



मजहरुल हक

आधुनिक भारत के निर्माण

मजहरुल हक

डॉ० कयामुदीन अहमद
डॉ० जटार्थकर ज्ञा

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

भाष्याद् 1906 ○ जुलाई 1984

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंदिरालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रम केन्द्र ○ प्रकाशन विभाग

- सुपरबजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्केस, नई दिल्ली-110001
- कामतं हाउस, करीम भाई रोड, बालाडे पायट, बम्बई-400038
- 8, एसप्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
- एल०एल०ए० आडीटोरियम, 736 अन्नासलै, मद्रास-600002
- विहार राज्य सहकारी, बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- निकट गवर्नर्सेट प्रेस, प्रेस रोड, विवेन्द्रम-695001
- 10 ग्री० स्टेशन रोड, लखनऊ-226001
- स्टेट अकिसोनिकल स्यूजियम बिल्डिंग, पञ्जिक गाँड़न, हैदराबाद-500004

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, लिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

पुस्तकमाला के विषय में

इस पुस्तकमाला का उद्देश्य, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए, भारत के उन स्वतामध्य पुत्रों और पुत्रियों के संघर्षों और उपलब्धियों की गाथा को लेखबद्ध करना है, जो हमारे राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वतन्त्रता की प्राप्ति में प्रमुख सहायक सिद्ध हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, ऐसी प्रामाणिक जीवन गाथायें उपलब्ध नहीं हैं।

इन जीवनियों को, विषय की अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से, सरल भाषा में लिखवा कर छोटी पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनायी गयी है। इनमें लघुप्रतिष्ठित नेताओं के जीवन और क्रियाकलाप का तथा उनके समय का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इनका उद्देश्य न तो विस्तृत अध्ययन के लिए सामग्री प्रस्तुत करना है और न अधिक विस्तृत जीवनियों का स्थान लेना है।

इन जीवनियों के लिखने का काम विभिन्न व्यक्तियों को तो पता पड़ा है। इसलिए जीवनियों को कालक्रमानुसार प्रकाशित करना संभव नहीं हो सका। फिर भी, यह आशा है कि कुछ ही समय के अन्दर, समस्त लघुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियाँ इस पुस्तकमाला में आ जायेंगी।

श्री आर० आर० दिवाकर पुस्तकमाला के प्रधान सम्पादक हैं।

आमुख

मजहरल हक की जीवनी एक सम्मन, पश्चिमी संस्कृति में ढले, सरकारी अधिकारी और बैरिस्टर से एक समर्पित स्वतन्त्रता सेनानी और एक महान् सत्याग्रही के रूप में बदलने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि उनका ऋमिक विकास केवल इसी अर्थ में नहीं हुआ कि उनकी गतिविधियों का क्षेत्र विस्तृत होता चला गया, अपितु इस अर्थ में भी हुआ कि राजनीतिक कार्य करने का उनका सामान्य ढंग उच्चकोटि का नैतिक विधान और व्यवहार में बदल गया।

मजहरल हक की सार्वजनिक गतिविधियाँ तीन विभिन्न किन्तु परस्पर सम्बद्ध स्तरों पर हुईं—स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय। उनमें एक संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण सर्व-इसलामवादी अध्याय भी था। इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने सक्रिय योग दिया। उनका विशेष उल्लेखनीय कार्य था बिहार में राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना, जिसके फलस्वरूप प्रसिद्ध सदाकात आश्रम और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। एक और महत्वपूर्ण और असाधारण उपलब्धि थी साप्ताहिक 'दी मदरलैण्ड' की स्थापना और उसका सम्पादन। 'दी मदरलैण्ड' का बाद में असहयोग आन्दोलन की 'मुखरम्भिका' के रूप में मान्यता मिल गयी।

मजहरल की राजनीतिक गतिविधियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी नैतिक और त्याग की ध्वनि थी, जो उन्होंने उन्हें प्रदान की। इस विषय में वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे और इसी के कारण उन्हें 'फ्कीर' और 'देशभूषण' की लोकप्रिय उपाधि मिली, जो ठीक ही थी। 'दी मदरलैण्ड' में 'राजनीति में तपस्था' विषय पर अपने अग्रलेख में उन्होंने लिखा कि राजनीति में तपस्थी, वे महान् आत्मा वाले व्यक्ति है, जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया है। जीवन में उनका एकमात्र उद्देश्य है सम्यता की तुला में

अपनी मातृभूमि को जंचा उठाना, उसे विदेशी आक्रमण से मुक्त कराना, उसको खोयी हुई स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त कराना तथा पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों से उसका सम्मान कराना। भारत की पवित्र वेदी पर वे सब-कुछ निछावर करने, सब कुछ चढाने के लिये तैयार रहते हैं। वे मातृभूमि के चुनिदा हैं । वे देश के चुनिदा हैं । हक स्वयं इस चुनिदा श्रेणी के थे ।

पुस्तकमाला के उद्देश्यों के अनुसार, मजहरुल हक के जीवन और कार्यों का यह संक्षिप्त विवरण केवल सामान्य पाठक के लिए अभिप्रेत है । परन्तु इसमें कुछ नवी जानकारी भी दी गयी है, जो आशा है, होगी ।

विस्तार में न जाकर, इस बात का ध्यान रखा गया है, कि अधिकारी, प्रशासक, बैरिस्टर, राजनीतिक नेता, पत्रकार, शिक्षाविद् और आदर्श सत्याग्रही के रूप में मजहरुल हक के कार्य के सभी विभिन्न पहलुओं को इसमें शामिल किया जाए । इस पुस्तक की तैयारी में, मजहरुल हक पर प्रकाशित संक्षिप्त सामग्री के अलावा, समकालिक सरकारी अभिलेखों का, जिनमें कुछ ऐसे गोपनीय अभिलेख भी थे, जो विहार सरकार की विशेष अनुमति से देखे गये तथा हक के लेखों का, जो इस समय 'दा मदरलैण्ड' के अत्यन्त दुर्लभ अंकों में उपलब्ध हैं, विस्तार से उपयोग किया गया है ।

हम प्रोकेसर एस० एच० अस्करी को हादिक धन्यवाद देते हैं, निन्हे आरंभ में यह कार्य सोपा गया और जिनके सुझाव पर बाद में यह हमें दिया गया ।

पटना

22 अक्टूबर, 1975

व्यू० अहमद

जै० एस० शा

विषय-सूची

1. परिवार एवं अतंकिक जीवन	1
2. इम्पोरियल लेजिस्लेटिव कॉसिल में	18
3. होम-रूल आन्दोलन में	28
4. सर्व-इस्लामवादी गतिविधियाँ	38
5. खिलाफत और असहयोग आन्दोलन	48
6. सदाकत आधम और बिहार विद्यापीठ	72
7. हिन्दू-मुस्लिम एकता के महानबूत	75
8. पत्रकार, लेखक और कवि	93
9. अन्तिम वर्ष और सूत्र	106
10. मूल्यांकन	118
घटनाओं का कालक्रम	125

परिवार एवं आरम्भिक जीवन

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, भारत में शांति रही और ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत हो गयीं। साथ ही, देश के विभिन्न भागों में अनेक ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन और विप्लव भी चलते रहे। इनमें 1857 का विप्लव और बहाबी आन्दोलन प्रमुख है, योगीक वे अधिक व्यापक और शक्तिशाली थे। 1857 के विप्लव में विहार की भूमिका महत्वपूर्ण और सम्मानास्पद¹ थी और उसे भी अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय बहाबी आन्दोलन में थी।

बहाबी आन्दोलन² जो उन्नीसवीं शताब्दी की पहली तिमाही में भारतीय मुस्लिम समाज के सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए शुरू किया गया था, धर्मियों और राजनीतिक, अंग्रेज-विरोधी रंग में रंगता चला गया। आन्दोलन के नेता, सैयद अहमद वरेलवी, ने अपने विचारों के प्रचार के लिए पटना को प्रथम संगठन केन्द्र के रूप में चुना। सैयद अहमद वरेलवी ने जो बीज बोया, वह 1831 में उनकी मृत्यु के बाद की अवधि में, तब फलित हुआ जब विहार ने बान्दोलन में बढ़-बढ़ कर भाग लेना शुरू किया। वस्तुतः 1845 से 1857 तक, पटना ही बहाबी आन्दोलन का मुख्यालय था। विलायत अली और इनायत अली तथा अन्यों ने आन्दोलन को बुझती हुई ज्योति को फिर में प्रज्बलित किया तथा अपने विचारों के प्रचार के लिए और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत के आदिवासी क्षेत्रों में अपने ही द्वारा स्थापित स्वतन्त्र राज्य के समर्थन में धन एवं स्वयंसेवक इकट्ठे करने के लिए देशभर में केन्द्रों का जाल बिछा दिया।

सन् 1858 से 1863 तक की अवधि में, सीमा पर बहाबियों और उनके आदिवासी सहायकों के विरुद्ध भारत-सरकार को अनेक सैनिक अभियान दल भेजने पड़े। परिणामस्वरूप, उसका ध्यान बहु-संघ्यक बहाबी केन्द्रों की ओर गया, जो 'पड्यन्जनीड़' कहलाते थे और सम्पूर्ण बंगाल

¹ दत्ता के. के. "बायोपासी बाफ कुवरसिह एड अमरसिह" पटना 1957

² अहमद, सू., "दी बहाबी मूर्मेंट इन इडिया", कलकत्ता 1966

प्रान्त एवं देश के अन्य भागों को अपने पंजे में ज़कड़े हुए थे तबा सरकार के विश्व संघर्ष के लिए आवश्यक ठोस सहायता पहुंचाते थे। 1864-1871 की अवधि में, बहुत से बहावी नेता गिरफ्तार किए गए, उन पर भुकदमा चलाया गया और उन्हें लंबे कठोर कारावास का दड़ दिया गया तथा उनकी सम्पत्तिया जब्त कर ली गयीं। ; ;

पटना में, जहाँ बहावी लोग सरकार के रोप और अविश्वस के विशेष भाजन बनें, सरकार के उत्तीर्ण की फूरता अधिक सक्त रही। बद में 1884 में, जब बहावी अपराधियों को अव्यवस्था द्वीप-समूह से पटना वापस भेजने के प्रबन पर विचार हो रहा था तो कुछ उच्च सरकारी अधिकारियों ने राय दी कि उन्हें किसी अन्य स्थान पर वसाना अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि पटना में तो बहुत से लोग उनसे सहानुभूति करेंगे और मुसोबत खड़ी हो जाएंगी।

उस समय एक और बड़ी घटना घटी थी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण पश्चिमी के राजनीतिक विचारों का प्रभाव बढ़ा। सारे देश के अतिरिक्त विहार ने इसमें बड़ा चढ़कर हिस्सा लिया। इसके परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग में भी अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गयी और वे सरकारी नौकरियों और अधिक शिक्षा सुविधाओं की मात्र करने लगे।

इसी अवधि में, सर सैयद ने भारतीय मुस्लिमों की सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के लिए आन्दोलन शुरू किया। बहावी आन्दोलन की विफलता ने उनके काम को अस्ति बना दिया, क्योंकि अन्य अनेक पुनर्जागरण आन्दोलनों की भाँति यह आन्दोलन भी राजनीतिक रूप से त्रिदिश सरकार के विश्व था, यही नहीं, यह पाश्चात्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी के विविकार का भी समर्थन करता था। पुनर्जागरण की लहर अवृद्ध हो गयी थी, इसलिए सर सैयद वा तक था कि मुस्लिमों को दूसरा मार्ग—पाश्चात्य प्रभावों को आत्मसात् करने और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वा मार्ग अपनाना चाहिए। इस दिशा में सर सैयद का पहला कदम था 1863 में गजीपुर में एक विज्ञान समिति (साइंटिफिक सोसाइटी) स्थापित करना। (जो बद में अलीगढ़ स्थानान्तरित कर दी गयी)। समिति का उद्देश्य अंग्रेजी के साहित्यिक एवं वैज्ञानिक महत्व के मानक एन्ड्रों का उद्दृ में अनुवृद्ध करना थी और इस प्रकार उन्हें अधिकाधिक सोणों को उपलब्ध कराना था।

नवजागरण से उत्साहित होकर विहार के मुस्लिम भी आधुनिकता के मार्ग पर चल पड़े। यह बात ध्यान देने की है कि लगभग इसी समय विहार में भी ऐसे ही प्रयास हो रहे थे¹। सर सैयद की भाँति सैयद इमदाद खली, प्रिसिपल सदर अमीन ने उसी उद्देश्य से, मई 1868 में, मुजफ्फरपुर में, विहार विज्ञान समिति (विहार साइटिकल सोसाइटी) को स्थापना की। अगले बर्ष, मुजफ्फरपुर में ही, एक नयी समिति, 'अब्दुमन-ए-न्तहजीब' (सास्कृतिक संस्था) बनी : इसका उद्देश्य भाषाविज्ञान संबंधी विषयों पर गोष्ठियां आयोजित करना और उदार शिक्षा का प्रचार करना था। विहार पर सर सैयद के विचारों के प्रभाव का इससे भी अधिक प्रस्तुत प्रमाण उस याचिका से मिलता है, जो पटना की मुहम्मदन शिक्षा समिति ने, 1886 में वंगाल के उपराज्यपाल को दी थी। याचिका में कहा गया था कि समिति ने "अलीगढ़ कालेजिएट स्कूल के छिल्टनों पर एक स्कूल स्थापित किया है।" यह स्कूल 1884 में शुरू हुआ था और 1886 तक इसमें 200 विद्यार्थी हो गये थे, "जिनमें 22 दुर्लभ, 29' शिया, 26 मोहम्मदी (वहाबी) और 47 हिन्दू थे" जब इन्हें विश्वविद्यालय प्रवेश-परीक्षा (यूनिवर्सिटी एन्ड्रेस एक्सामिनेशन) तक की शिक्षा दी जाती थी। याचिकादाता 'अलीगढ़ के छिल्टनों ने' एक छावावास के निर्माण के लिए सरकार से वित्तीय उपलब्ध रक्खा दे रखा था कि यह सहायता व्याविषयों के जब छालोंमें से इनकम से प्राप्त धन से बनाए गए कोप से तथा विद्यालय कांगोले के लिये विद्यालय योजना के लिए बनाए गए ब्रह्मपुर कोष को छिल्टन व्याज से दी जा सकती है।

शिक्षा की उन्नति और राजनीतिक चेतना के बीच का इस नहर-पूर्ण परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी और इंग्लैण्ड इंडिया में ब्रिटिश समाचारपत्रों और सामियिक पत्रिकाओं के नियम हुए रहे जहाँ² वे समाचारपत्र धोन के सामान्य विट्टेन्ड, ब्लॉक ब्रॉक न्यूजिझायर्स और सरकारी नौकरियों में यहाँ के जैसे दो ब्रून ब्लॉक ब्रॉक डिग्रू जैसे के

1. "ब्रैन ब्रॉक हिस्टोरिकल लिंच" रोड ब्रॉन्ट 1943 द्वा रा. ३० प्रा वा. ब्रैंड

2. चौथी, बी. सी. पी., दी एम्प्रेस ब्रॉड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 1954।

वारे में विहार के लोगों की शिकायतों को अभिव्यक्त करने थे। 1871 की जनगणना रिपोर्ट ने जो साजा सामग्री प्रस्तुत की, उससे मैं तथ्य और भी उजागर हुए। उनमें से अधिकांश के लिए प्रशासनिक उपेक्षा को दोषी ठहराया गया। 1854 में एक पृथक् उपराज्यपाल के अधीन बंगाल सरकार के पुनर्गठन के बाद, विहार एक विशाल प्रशासनिक एकक का अंग बन गया, जिसमें पुराने बंगाल, असम, विहार और उड़ीसा के प्रान्त थे तथा जिसको जनसंख्या 7 करोड़ 80 लाख थी। यह विशाल एकक 18वीं शताब्दी के अन्त और 19वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजों की विजयों के कल्पन्वरूप बना दिया गया था। परन्तु, अब यह महसूस हुआ कि विहार के समृच्छिकास के लिए उसका एक पृथक् प्रशासनिक एकक बनाना आवश्यक है। शताब्दी के समाप्त होते-होते पृथक् विहार प्रान्त को भाँग जोर पकड़ने लगी।

संक्षेप में, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध एक संक्षयण-काल था, ऐसा काल, जिसमें राजनीतिक शक्तियां पुनः मिलकर समान लक्ष्य की ओर बढ़ रही थीं। 1857 के विप्लव के शान्त होने के बाद से सरकार मूर्मिशारी अभिजातवर्ग को सन्देह और वैमनस्य को निगाह से देखने लगी थी; परन्तु शिक्षित, अपनी बात कह सकने वाले, मध्यम वर्ग के आदिमानि ने उसे अपनों नीति बदलने के लिए बाध्य कर दिया। नवा मध्यम वर्ग पश्चिम के राजनीतिक विचारों से ओत-प्रोत था और अधिकाधिक स्वशासन एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए अत्यह कर रहा था। इसके प्रतिसंतुलन के रूप में, सरकार को अब मूर्मिशारी अभिजातवर्ग के प्रति अधिक उदार रुद्ध अपनाना पड़ा।

विप्लव और बहावो अन्दोलन दब जाने से, आम तौर से विभिन्न भारतीय नरेशों और जमीदारों द्वारा अंग्रेजों के विश्वद यद्यन्त्र चलाए जाने वाले समस्त संघर्ष का भी अन्त हो गया। विदेशी शासकों के विश्वद नवा संघर्ष अब युद्ध-धेनों में नहीं, सम्मेलनों और परियद भवनों में चलाया जाने वाला था। नए खेल के नियम भी स्वयं अंग्रेजों ने पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार बनाए थे। परन्तु भारतीय शीघ्र होने ए खेल में लग जाए; उन्होंने उसके नियमों को समझा और उनमें

प्रवीणता प्राप्त की तथा अधिकतर महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में अपने भी कुछ नियम उनमें जोड़े और अन्त में अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में पछाड़ दिया।

विहार के मुसलमान भी संक्रमण की स्थिति से गुजर रहे थे। 1857 के बिद्रोह और वहाबी आन्दोलन के दमन तथा मुस्लिमों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के प्रति दर्शायी गयी सामान्य उपेक्षा के कारण वे परवार-विहीन जहाज की तरह डगमगा रहे थे। परन्तु सर संखद के आन्दोलन का प्रभाव विहार में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार विहार में, लगभग परस्पर-विरोधी दो प्रवृत्तियाँ थीं—‘एक और हिस्क प्रतिक्रिया और प्रत्येक पश्चिमी वस्तु का पूर्ण बहिष्कार था, तो दूसरी ओर एक शक्तिशाली पुनर्जागरण आन्दोलन था, जो पश्चात्य प्रभाव को बात्मसात करने पर जोर देता था।¹ ये परिस्थितियाँ थीं, जिनमें मजहूल हक ने अपना आरंभिक, संस्कारप्राही, जीवन घिराया।

मजहूल हक शेख अहमदुल्ला के इकलौते बेटे थे। उनका जन्म पटना से 25 किलोमीटर पश्चिम ग्राम बाहपुरा में जमीदारों और नील-उत्पादकों के एक प्रतिष्ठित मध्यमवर्गीय परिवार में,, 22 दिसम्बर, 1866 को हुआ था।

यह परिवार मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले में दाऊदनगर का रहने वाला था; परन्तु बाहपुरा चला आया था, जहां हक के परवाया (प्रपिता-मह) को सनुराल थी। उनके पितामह शेख अहमदुल्ला की एक छोटी जमीदारी थी तथा बास-पास उनका बड़ा बादर था। उनके पितामह के माई, काजी रमजान अली, सारन जिले के मशहूर नील-उत्पादक थे तथा मूल्य के समय वे 13 नील-कारखानों के मालिक थे, जो अच्छी चालू हालत में थे।

परन्तु साथ ही, एक भिन्न प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थी, हक के कुछ रिस्तेदार वहाबी थे। बाहपुरा के समीप ही मेहदायन गांव

1. आर० आर० दिवाकर (स) “विहार धू दी एनिज” 1951 प० 676

में वहावियों का एक भशहूर परिवार रहता था। पटना का वहावी नेता अहमदुल्ला, जिसपर 1865 में 'विटिश साम्राज्य' के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में सहायता देने के कारण मुकदमा चलाया गया था और जिसे कालेपानी को सजा दी गयी थी, भूल व्याप से भेदवावन का रहनेवाला था। अंदमान में 16 वर्ष से अधिक समय तक कठोर कारावास को दंड भुगत कर, 1881 में वह मर गया था। वह समाचार धोरेंधीरे चलता हुआ कभी पर भी पहुंचा होगा और उसने कदाचित् युवक हक्क के मन पर प्रभाव डाला होगा। इसके अतिरिक्त, हक्क के पितामह के एक भाई काजी फर्जन्द अली ने, सारन जिले में, 1857 के विद्रोह में भाग लिया था।

हक के नजदीकी पूर्वजों और उनकी सन्तान की संक्षिप्त वंशावली¹ नीचे दी जा रही है :—

शेख नवाजिश अली
शेख अहमदुल्ला + सकीनातुनूनिसा

मजहुरख हक

गफूरनूनिसा + अब्दुल हक

रजियातुल फातमा + डा. संयद महमूद

गोथिया बेगम
(वि. 1892
म. 1902)
निःसंतान

किश्वर जहां
(वि. 1906,
म. 1912)

हसन द्वृसेन

मुनीरा बेगम
(वि. 1917)

निःसंतान

¹ ये जानकारी के लिए हर डॉ यूसफ घुसीदो, प्राप्तवाक, उर्दू विभाग, पटना विधानसभा के बाहरी हैं।

मौलवी सज्जाद हुसैन के आचार्यत्व में अरबी और कारसी की परम्परागत प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हक को स्कूल में भर्ती किया गया। उन्हे छात्रवृत्ति मिलती थी और बर्नाक्यूलर (मिडिल) परीक्षा उन्होंने 1874 में पास की। इसके बाद वे पटना कालेजियेट स्कूल में भर्ती हुए। परन्तु अपने माता-पिता को विना बताए अथवा उनकी अनुमति लिए विना ही घर से चले जाने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। वे घर लौट आए और फिर पढ़ाई में लग गए। कदाचित् यही कारण है जिससे इतनी बड़ी (बीस वर्ष की) आयु में 1886 में उन्होंने बैट्रिक्युलेशन परीक्षा पास की। उसी वर्ष वे पटना कालेज में भर्ती हुए परन्तु अपने स्वतंत्र एवं चंचल स्वभाव के कारण शीघ्र ही एक अध्यापक से उनका झगड़ा हो गया जिससे उन्हें कालेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे लखनऊ के कैनिंग कालेज में भर्ती हुए परन्तु वहाँ भी वे अपने माता-पिता को विना बताए घर से निकल गए। इस बार वे अधिक साहसिक यात्रा पर निकले थे। मई 1888 मे केवल 70 रु० अपने साथ लेकर वे किसी प्रकार एक तीर्थयात्री (हज) जहाज पर सवार हो गए। वे अद्दन में फंस गए और तीन महीने तक चिन्तापूर्ण प्रतीक्षा करते रहने के बाद उन्हें अपने स्नेह मे पागल हुए पिता से कुछ रुपया मिला जिसे जुटाने के लिए पिता को अपनी जमीदारी के एक गांव रामपुर को गिरवी रखना पड़ा था। सितम्बर मे इंग्लैण्ड पहुंचने के बाद हक शीघ्र ही कानून के अध्ययन मे लग गए।

इंग्लैण्ड¹ मे हक महात्मा गांधी और सर अली इमाम के सम्पर्क में आए। इस आरम्भिक अवस्था मे भी हक पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। दोनों ही कानून की पढ़ाई कर रहे थे और दोनों के ही कुछ समान हित थे। अली इमाम के साथ हक का सम्पर्क बढ़ते-बढ़ते मिलता मे बदल गया जो उनके घर लौटने पर और भी गांधी हो गई। बाद के वर्षों मे दोनों ने विहार के मुस्लिमों को विहार प्रान्तीय सम्मेलन (विहार प्रोविंशियल कानफेंस) के क्रियाकलाप से सम्बन्धित करने मे प्रमुख भाग लिया।

1. हक ने इंग्लैण्ड से अपने पिता को जो पत्र लिखे, उनसे वह उनके अवस्थान और अध्ययन के बारे मे अत्यन्त रोचक जानकारी मिलती है। देखिए सिद्धीकुर्दमान (स),

“भकातिव-ए-मौलाना भजदूषल हक, ”दिल्ली, 1965 इसमे उनमे 141 पत्र हैं

उस समय इंग्लैण्ड में पढ़ने वाले बहुसंख्यक भारतीय मुसलिम छात्रों में सम्पर्क स्थापित करने तथा सामूहिक गतिविधियां चलाने के लिए हक ने 'अंजुमन-ए-इसलामिया' नाम को एक संस्था बनाई। यह संस्था एक साम्राज्यिक संगठन न थी। सचिवदानन्द सिन्हा¹ जो इंग्लैड में हक के समकालीन थे और जिन्होंने अंजुमन की कुछ बैठकों में भाग लिया था लिखते हैं कि 'यद्यपि प्रत्यक्षतः यह मुस्लिमों के लिए बनाई गई थी फिर भी वर्षों तक यह मुस्लिम और गंग-मुस्लिम भारतीयों के लिए मनचाही मिलनस्थली बनी रही। हक इसके प्रथम सचिव थे।

कानून के साथ-साथ हक वक्तृत्व कला का भी अध्ययन करते थे। वे शेक्सपियर और शेरिडन के प्रशिद दृश्यों का आश्चर्यजनक ढंग से अवतरण कर सकते थे। यह प्रशिक्षण शायद उन्होंने हसन इमाम के साथ लिया था जो उस समय इंग्लैड में ही थे और वक्तृत्व कला में भी उतने ही निपुण थे। इसी अधिधि में हक ने कांसीसी भाषा भी सीखी थी। 1891 में वे वैरिस्टर बने। वे उसी वर्ष घर लौटे और पटना में प्रैक्टिस करने लगे। अगले बर्ष उन्होंने उत्तर प्रदेश में खरसन्ती गांव के हाफिज अब्दुल समद की पुत्री गोथिया वेगम से शादी की जो 1902 में निःसन्तान ही मर गई। 1906 में उन्होंने अपनी एक रिटेदार किश्वर जहां से शादी की जिससे दो पुत्र पैदा हुए—हसन और हुसैन। 1912 में उसकी मृत्यु के बाद 1917 में उन्होंने बदरहाँ तैयबजी की एक भतीजी मुनीरा वेगम से शादी कर ली। मुनीरा वेगम वर्ष 1922 में² रहती है। उसके पास विविध व्यक्तियों द्वारा हक को लिखे गए पत्रों का संग्रह है।

पटना में प्रैक्टिस शुरू करने के कुछ ही वर्षों बाद हक को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मुसिफ़ नियुक्त किया गया। परन्तु यह पद उनकी प्रकृति के अनुकूल न था तथा अधिकारियों के साथ उनके सम्बन्धों में अकसर तनाव आ जाता था। बताया जाता है कि एक बार एक अप्रेज जुडिशियल कमिशनर ने उनसे "भूरे शिकारी कुत्तों का एक जोड़ा मांगा, परन्तु हक ने साफ-साफ भना कर दिया"³ और कहा कि जो अधिकारी

¹ सिन्हा एम०, "यम एमिनेट विहार बन्टेम्परेटरीज," पटना 1944 पृष्ठ 76-77

² हाल ही में उमरों मृत्यु हो चुकी है।

³ आयं, एम० शार० डी मैनेज आफ आमियाना", 1962 पृ० 7

कुत्ता मांगता है वह भविष्य में कुछ भी मांग सकता है। इसके बाद उन्होंने त्यागपद दे दिया। इस कहानी में कितनी सचाई है यह तो पता नहीं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके त्यागपद का असली कारण नीकरी का उनके स्वभाव के अनुकूल न होना तथा प्रियजन के वियोग से शोकमन्तप रहना था। लगभग इसी समय हक की इकलौती बहिन के पति अब्दुल हक की जो सारन जिले में ग्राम अन्दार के जमीदार थे, मृत्यु हो गई। हक, जो अपनी बहिन को बहुत प्यार करते थे इस घटना से बहुत दुखी हुए। 1896 में नीकरी छोड़ कर उसके पास रहने के इरादे से वे अन्दार चले गए और जिले के मुख्यालय छपरा में प्रैक्टिस करने लगे।

1897 में जिले में अकाज पड़ा जिसके लिए हक ने सहायता कार्य आयोजित किया और धर्मार्थ सहायता कोष बनाया जिसके बे ही सचिव थे। 1903 में वे सारन नगरपालिका के उपाध्यक्ष चुने गए; उस समय अध्यक्ष पद पर आमतौर से कलबटर रखे जाते थे। हक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में अधिक विश्वास करते थे। वे लोगों को अपने झगड़े सरकारी न्यायालयों से बाहर तय करने की सलाह दिया करते थे। इसकी प्रेरणा नि.सन्देह उन्हें वहाबियों के उदाहरण से मिली थी। स्थानीय निकायों में गैर-स-रकारी लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करते हुए, वे यह तर्क देते थे कि भूमि पुत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए तथा उत्पादकों (मालिकों) का उनकी सम्म्या और हित के अनुपात के अनुसार घटा देना चाहिए। अपने कार्यकाल (1903-1906) में उन्होंने नगरपालिका की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार किया। उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो कार्य किया वह यद्यपि उनके बाद के राजनीतिक कार्यों के आकरण में ढक गया फिर भी वह वास्तविक उपलब्धि वाला कार्य था। लगभग इसी समय, उन्होंने अन्दार के समीप परीदपुर गांव में कुछ जमीन खरीदी, एक बड़ा बाग लगाया और एक बंगला बनवाया। इसी बंगले, "आशियाना" (नीड़) में उन्होंने 1923 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर अपने जीवन के अन्तिम सात साल बिताए।

1908 के आरम्भ में, हक पुनः पटना चले गए और वहां प्रैक्टिस शरू कर दी। वे जिला जेल के समीप, फेजर रोड पर (जिसका नाम जब

मञ्चहरण हक पथ है), एक मकान में रहने लगे; परन्तु बाद में, उसी मढ़क पर उत्तर की ओर स्थित एक दूसरे मकान 'सिकन्दर मजिल' में चले गए। इसी के साथ, हक ने अपने राजनीतिक जीवन के सक्रिय एवं अधिक व्यापक धोत्र में पदार्पण किया। यह काल विहार के हो नहीं, देश के इतिहास का भी एक हलचलभरा और घटनापूर्ण काल था। विहार को पृथक प्रान्त बनाने की मान जोर पकड़ रखी थी। बाद में सीध्र ही, महत्वपूर्ण मालैं-मिन्टो सुधारों ने राजनीतिक चेतना बाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खीच लिया। इसी काल में (1905 में) बंगाल प्रान्त का विभाजन हुआ और इसी काल में (1906 में) अखिल भारतीय मुस्लिम सीण बनी, जो भारतीय मुसलमानों में बहुती हुई राजनीतिक चेतना की प्रतीक थी, परन्तु जिसमें पृथकतावादी भावनाओं की अन्तर्धारा भी थी। हक को आरम्भिक राजनीतिक गतिविधिया इन्ही समस्याओं के इर्द-गिर्द केन्द्रित थी।

यह कहा गया है कि 1858 से 1898 तक सैयद अहमद खा एक ऐसी धुरी बने रहे, जिसके चारों ओर मुस्लिम राजनीति चरकर लगाती रही। उनका मत था कि एकमात्र शिक्षा ही भारतीय मुसलमानों की समस्त व्याधियों—राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक को रामबाण औषधि थी। उनका विश्वास था कि "शिक्षा राजनीतिक स्वतन्त्रता से भी अधिक आवश्यक है। शिक्षा के बिना, राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर भी कायम नहीं रह सकती।" इसलिए अपने जीवन के आरम्भिक भाग में उन्होंने अपना धार इसी धोत्र पर केन्द्रित किया और भारतीय मुसलमानों को राजनीति से अलग रहने की सलाह दी। फिर भी, उद्योगवी शताव्दी के अन्त म दशकों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास एवं निर्वाचित सम्प्रदायों के शुभारम्भ के साथ, मुसलमानों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए। दुर्भाग्य से उन प्रयत्नों ने राजनीतिक पृथकताधाद का रूप ले लिया और वे सर गेयब की मृत्यु के बाद भी जारी रहे। अन्त तूबर 1906 में, मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल बाइस-राय से गिमला में गिला और उसने अपनी कुछ मारे रखी, जिनमें पृथक् निर्बाचक को महत्वपूर्ण मान भी थी।

इन्हों परिस्थितियों में, मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए, एक अधिल भारतीय राजनीतिक दल बनाने के उद्देश्य से, दिसम्बर 1906 में, दाका में, मुस्लिम नेताओं की एक आम सभा बुलाई गई। अन्यों के साथ-साथ हक और अली इमाम ने भी दाका की सभा में भाग लिया जैसा कि सचिवदानन्द सिंहा ने कहा है, “वे प्रस्तावित संस्था की पृष्ठभूमि में डालने और उसके स्थान पर अधिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसके लक्ष्य और उद्देश्य उन लक्ष्यों और उद्देश्यों से सर्वथा भिन्न थे, जो मूल रूप से प्रस्तावित निए गए थे”¹। सभा ने तंक़ीब किया कि “भारत के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए” तथा “भारत के मुसलमानों में अन्य समुदायों के प्रति वैमनस्य की भावना को रोकने के लिए” “आख इडिया मुस्लिम लीग नाम की एक राजनीतिक संस्था बनाई जाए”²। मुस्लिम लीग के संस्थापक-सचिवों में हक एक थे। उन्होंने विहार में भी उत्तरा गठन किया और कुछ समय तक उसके प्रान्तीय सचिव रहे। 1915 में वे मुस्लिम लीग और कुछ समय तक उसके प्रान्तीय सचिव रहे। 1915 में, वे मुस्लिम लीग के बम्बई अधिकारण के अध्यक्ष चुने गए। आरंभिक वर्षों में लीग के उद्देश्य और कार्य उनसे भिन्न थे: जो वाद के वर्षों में उन जैसे ही हो गए और, जैसा कि सचिवदानन्द गिन्हा ने कहा है हक ने शिख संस्था को बड़ी सावधानी से स्वास्थ्यकर विधि से ‘पाला-पोसा’।

हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों को साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में उतारने के लिए हक ने आरम्भ में जो प्रयत्न निए उनमें विहार प्रान्तीय सम्मेलन (विहार प्राविधिक बान्केस) में उनकी भूमिका विशिष्ट थी। विहार प्रान्तीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रायोजित विहार प्रान्तीय सम्मेलन विहार के हितों, विशेष रूप से पृथक प्रान्त को मांग, को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। हक आरम्भ से ही इससे परिणाम रूप से सम्बद्ध थे तथा इसके प्रधान सचिव (1908) और उपाध्यक्ष (1909) रह चुके थे। यह पृथक प्रान्त की मांग के लिए एक संयुक्त हिन्दू मुस्लिम राजनीतिक

¹ गिन्हा, पूर्वोत्तर पुस्तक, पृ. 78

² नोबेत, एम०, “मुस्लिम इडिया”, इताहावाद, पृ. 78

मोर्चा दैवार करने में काफी सफल रहा। सचिवदानद सिन्हा ने जो एक समकालीन थे और पृथक प्रान्त के रूप में विहार के संविधान के मुख्य निर्माताओं में थे इस घटना के महत्व का वर्णन इस प्रकार किया है : “हमने एक नया मोर्चा बनाया, जिसमें विहारी मुसलमान को भी उतना ही प्रमुख और सामान्य पाठं अदा करना था, जितना उसके समदेशी हिन्दुओं ने विगत वर्षों में अदा किया था।”¹ इस विषय के एक अन्य लेखक ने भी इस घटना के महत्व पर टिप्पणी की है : “मुस्लिम नेताओं के इस (विहार प्रान्तीय सम्मेलन) के साथ सम्बद्ध हो जाने से संघर्ष एक कदम और आगे बढ़ा— नेतृत्व के मामले में अब उसका आधार विस्तृत हो रहा था।”²

इस नयी सहयोग-सन्धि के बाद, विहार प्रान्तीय सम्मेलन का प्रथम महाधिवेशन, अप्रैल 1908 में, अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ। विहार को पृथक प्रान्त बनाने के लिए एम० फखरुद्दीन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका भभी जिला-प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। हक ने भी सुधारों के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने पृथक निर्वाचिक मण्डल संबंधी प्रस्तावों की आलोचना की। आगामी अगस्त में, विहार की तीनों सार्वजनिक संस्थाओं-विहार भूमिधर संघ, विहार प्रान्तीय सम्मेलन और विहार प्रान्तीय मुस्लिम लीग-ने एक संयुक्त शिष्टमण्डल उपराज्य-पाल के पास भेजा, जिसने विहार की शिकायतों के संबंध में एक ज्ञापन दिया। यह ज्ञापन इस दूष्ट से अद्वितीय और विशिष्ट था कि ‘यह किसी विशेष समुदाय, जाति, वर्ग या सम्प्रदाय की ओर से न था, बल्कि विहार के समस्त जन समूह के विचारों और भावों को विनम्रता एवं भण्डितभाव से प्रस्तुत करता था। और इसीलिए यह भाशा की गयी थी कि “किसी एक जाति, वर्ग या सम्प्रदाय के विचारों की तुलना में हमारे विचारों का अभिव्यक्ति का बजन स्वभावतः बहुत अधिक बढ़ जाएगा।

हक नवम्बर 1911 में पटना में बायोजित विहार प्रान्तीय सम्मेलन के तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण

¹ सिन्हा, एवं पूर्वोत्तम पुस्तक पृ. 24

² चौधरी, पूर्वोत्तम पुस्तक पृ. 99

'लूट' में मुसलमानों का हिस्ता कानूनी से तय नहीं होगा, अपितु राष्ट्रीय समर्पण में उनके हिस्ते के अनुपात में मिलेगा।

शिक्षा में पिछड़ापन

हरु ने प्रान्त में शिक्षा को स्थिति पर भी विचार किया और उसकी कमियों को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि समस्त प्रान्त में, जिसको आवादी ३ करोड़ थी, केवल एक सरकारी कालेज था, और वह भी आदर्श कालेज न था। प्रवेश सीमित या और 'होनहार युवकों', को उच्च शिक्षा के अवसरों से बचित रहना पड़ता था। इससे भी अधिक, शिक्षा-शुल्क (फीस) बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिससे छात्रों की सख्त्या और भी घटने की सभावना थी। कुछ दिनों से एम० ए० के छात्रों को इतिहास और अर्थशास्त्र भी पढ़ाए जाने लगे थे, परंतु इतना ही पर्याप्त न था। 'वास्तव में हम यह चाहते हैं कि पटना कालेज को प्रथम श्रेणी का आवासी कालेज बना दिया जाए, जिसमें विद्या की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं के लिए अध्यापक पद हों।' उन्होंने सीनेट में विहार के लोगों को कम प्रतिनिधित्व दिए जाने की भी निन्दा की, जो 'सी में केवल तीन' था। इसे बढ़ाने की आवश्यकता थी, ताकि प्रान्त को शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा सके। तकनीकी शिक्षा पर विचार करते समय हरु को पता चला कि 'उसकी स्थिति भी बेहतर न थी'। विहार स्कूल आफ इजीनियरिंग तथा टेक्निकल मेडिकल स्कूल अब भी स्कूल ही थे और कालेज नहीं बनाए गए थे। सरकार तकनीकी शिक्षा के लिए बगाल को तो 'प्रचुरतावा में' और 'उदारता से' सुविधाएँ दे रही थी, पर विहार को नहीं देती थी। तीन निजी कालेजों को, जिनकी स्थिति शोचनीय थी, मरकारी जनुदान अत्यल्प एवं अपर्याप्त था। हक ने गोबले के प्रायमिक शिक्षा विधेयक का डट कर समर्थन किया। उन्होंने विधेयक को अति महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि 'इसका प्रभाव इतना दूरगामी होगा कि हमारे मातृभूमि का भाष्य ही बदल जाएगा। जनता के अन्नान पर रोना आता था और उस समय की सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक समस्या यह थी कि उनमें थोड़े भी खान का सचार कैसे किया जाए।' उन्होंने मुझाव दिया कि योजना को सोक्रिय बनाने, लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में

पढ़ने के लिए भेजने को प्रेरित करने तथा उन्हे परामर्श और धन की सहायता देने के लिए, अन्य प्रान्तों में बने सभों के समान प्राथमिक शिक्षा संघ बनाए जायें। परन्तु उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वे पंजाब की नकल न करें, जहा हिन्दू शिक्षा संघ और मुस्लिम शिक्षा संघ बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि 'ऐसा करना धातक होगा।'

नौकरी आदि के संबंध में शिकायतें

नौकरी आदि के सम्बन्ध में विविध शिकायतों पर बोलते हुए हक् ने माग की कि सार्वजनिक सेवाओं में विहार के लोगों को अधिक हिस्सा दिया जाए। हक् ने कहा कि अप्रैल 1908 में बंगाल के उपराज्यपाल सर एंड्रू फेजर ने स्वीकार किया था कि वर्तमान स्थिति विहार के लिए 'अन्यायपूर्ण' और हानिकारक है तथा इस बात पर बल दिया था कि विहार को ऐसी सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें अधिकतर प्रान्त के ही लोग हो। यह सच है कि केवल विहारी होने से ही कोई नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकता था उसमें अन्य योग्यताएँ भी होनी चाहिए थी। परन्तु, सर एंड्रू का कहना था कि विहारी होना भी ऐसा दावा है, जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता..... 'यदि कोई व्यक्ति देशी भाषा बोलता है तो वह अधिक अच्छा न्यायाधीश होता है, अधिक अच्छा कार्यपालिका अधिकारी होता है और अधिक अच्छा स्कूल-मास्टर भी होता है।' हक् ने कहा कि उपराज्यपाल के प्रशंसनीय उद्गारों को कार्यान्वित नहीं किया गया। 'प्रशासन के उच्चतम स्थानों' पर नियुक्तियों की भी स्थिति अवन्नोपजनक थी। उच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश (शर्फुदीन) को छोड़कर, कोई विहारी 'सम्मान के ऊपर पद' पर नियुक्त नहीं किया गया। उच्च न्यायालय अधिनियम तभी पास हुआ था और कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को संख्या बढ़ाई जाने वाली थी। यह उचित था कि किसी विहारी को 'विषेषण से हिन्दू को नियुक्त किया जाता, क्योंकि उच्च न्यायालय की पीठ पर एक विहारी मुसलमान पहले से ही था'।

यह दिखाने के लिए कि विहार के समस्त जिलों में 'सभी भयंकर रोगों के रोगियों की संख्या सर्वाधिक थी और केवल चेतक ही ऐसा रोग

था, जिसमें उनका स्थान दूसरा था' हक ने सेनिटरी कमिशनर की रिपोर्ट से विस्तृत उद्धरण दिए। शाहाबाद, जिसकी जलवायु प्रान्त में सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक थी, भी अधिक मत्तेरियाग्रस्त स्थान होने की प्रतिदिन था गया था। इस सबके लिए उन्होंने विहार के प्रति सरकार के हृषणतापूर्ण रुख को दोषी ठहराया।

बगाल का विभाजन और विहार प्रान्त

हक बंगाल-विभाजन के 'अत्युद्देश्य' और 'विवादास्पद' विषय पर भी विस्तार से बोले। विभाजन के विषय में विहारियों की भावना और रुख, बगालियों की भावना और रुख से मेल नहीं खाला था: वस्तुतः ये दोनों में विद्यमान सामान्य राजनीतिक भावना के विश्वद था। विहारी लोग विभाजन को पृथक प्रान्त के अपने अभीष्ट लद्य की ओर बढ़ा हुआ कदम समझते थे। बगाल के पुनर्गठित प्रान्त में, अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के कारण, विहार की स्थिति कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। पूर्ण पृथक्करण की ओर आधा मार्ग तय हो चुका था। इसलिए, हक 'वर्तमान व्यवस्था' को 'पुराने, बेढ़ेंगे, बोक्षित प्रशासन' की तुलना में अधिक अच्छा समझते थे। हक को इस प्रश्न पर बगालियों की भावनाओं से कुछ सहानुभूति थी। परन्तु उन्होंने उन्हे बताया कि 'नए हित' अस्तित्व में आ गए हैं और व्यावहारिक राजनीति का तकाजा है कि इन हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हक विभाजन रद करने के विरोधी थे परन्तु उसमें सुधार किया जा सकता था। सुधार के विषय में उनका ख्याल था कि 1906 में राज्यदानन्द सिन्हा और महेश नारायण द्वारा तैयार की गई पुस्तिका में इसके लिए एक अच्छा और व्यावहारिक तरीका सुझाया गया है। हक ने सधेप में अन्तिम सध्य इस प्रकार बताया: "हम न तो पहली स्थिति में जाना चाहते हैं और न विभाजन को रद करना चाहते हैं।" १ हम तो व्यवस्यापिका और कायंपालिका परिपदों, एक उच्च न्यायालय और एक विश्वविद्यालय सहित पूर्ण पृथक्करण चाहते हैं।"

यह सब होते हुए भी, हक एक अतिराष्ट्रीयतावादी क्षेत्रीय नेता न थे। बंगाल से अपने सम्पर्क, विशेषरूप से उसकी 'जागृति' के कारण,

विहार को जो 'अगणित लाभ' मिले, उन्हें वे स्वीकार करते थे और उनको सराहना करते थे। उन्होंने उन बंगाली भोइयों से भी जो धोड़ियों से विहार में रह रहे थे, कहा कि वे अपने को विहार प्रान्तीय सम्मेलन की गतिविधियों से बलग न करें।

यह बताना आवश्यक है कि देश के उस समय के अधिकाश राजनीतिक नेताओं की भाँति हक 'राजभक्तिवादी' (लायसिस्ट) थे। राजा जार्ज पंचम को भारत की शाही यात्रा के अवसर पर, उन्होंने विहार की जनता की ओर से, उनका राजभक्तिपूर्ण स्वागत किया था। यह अद्वितीय सम्मान था, 'इससे पहले कभी किसी त्रिटिश सम्मान ने अपने समुद्रपारीय उपनिवेशों की यात्रा नहीं की थी।' हक समझते थे कि 'सर्वज्ञ परमात्मा ने हमारे भाग्यनक्षत्र को येट ट्रिटेन के भाग्य नक्षत्र से जोड़ दिया है और यदि हम इस भाग्यशाली एवं अनुकूल ग्रह-योग से लाभ न उठायेंगे तो दोष हमारा ही होगा और पीछे पछताना पड़ेगा, जो वास्तव में कुख्यदायी होगा।' वे यह नहीं चाहते थे कि त्रिटिश शासन समाप्त हो जाए, बल्कि यह चाहते थे कि कुछ ऐसे सुधार हों, जिनसे अधिक उत्तरदायी स्वशासन प्राप्त हो।

इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कॉसिल में

1 6 दिसम्बर, 1909 को, मजहूल हक वगान प्रान्त के एक मुस्तिम निर्वाचन क्षेत्र से भारत के गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव कॉसिल (विधान-परिषद) के लिए गैर-सरकारी सदस्य चुने गये। परिषद के गैर-सरकारी सदस्य के बारे में उनके कुछ निश्चित विवार ये हैं। उनका कहना था कि गैर-सरकारी सदस्य का काम "सरकार को परेशान करना या उसके कार्यों में वाधा लाना नहीं, अपितु: जनता के विचारों, धारणाओं और भावनाओं को उसे बताना, सलाह देना और हार्दिक एवं सच्चा सहयोग प्रदान करना है।" मदस्य सरकारी प्रस्तावों का बखूबी विरोध कर सकता है, परन्तु ऐसा करने समय उससे सदन की मर्यादा की रक्षा की आशा की जाती है। कुछ कानून जनता के प्रतिनिधि के रूप में तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत रूप में भी उसे अपने विचार स्वतन्त्रापूर्वक प्रकट करने चाहिए। परन्तु मजहूल चाहते थे कि ऐसा करते समय उसे इस अन्तर को, भली-भाति स्पष्ट कर देना चाहिए। अपने आलोचकों को, जो यह कहते थे कि कॉसिल के सदस्य को अपने निर्वाचक मंडल के विचारों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए, उत्तर देते हुए, उन्होंने बहा, "ऐसा करना परिषद के मान्य सदस्यों को उनके होठों पर 'हिज मेजस्टीज वाइस' का प्रसिद्ध ट्रैड मार्क लगा कर मात्र ग्रामोफोन की मशीने बना देना होगा अथवा जिन्हें एडमंड बर्क 'स्थानीय एजेंट' कहते थे उनको मिथ्यति में ला देना होगा। यदि विसी चुनाव में यह सिद्धात लागू किया गया तो लेशमान भी स्वामिमान रखनेवाला ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असम्भव हो जायेगा, जो सामने आये और किभी प्रतिनिधिमूलक अमेस्यनी के लिए निर्वाचित होने के लिए तैयार हो जाये। मैं स्वयं विचार की स्वतन्त्रता, भाषण की

स्वतंद्रजा ने विवाह करता है। यदि नेरे जात्य निज इत्या के लिए नुस्खे छना करें तो वे बहुत कि वे इच परिषद के अनुस्ख और योग्य नहीं हैं उस उन्हें यह अधिकार है कि उनको बात बातर और ब्रह्मज्ञ के जाय नहीं जाय। ने ऐसा कोई कारब नहीं देखा, किन्तु इच परिषद ने किसी जन-प्रतिनिधि को अपने विचार प्रक्रिया करने के द्वारा इन्हें दोका जाये कि वह अपने निवाचकों के विचारों को अनिवार्य नहीं करता।”¹

चान्द्रशिंक विद्यो पर उनके विचार प्राप्त उनके निवाचकों के विचारों ने मिल होये थे। उन्होंने भुवेन्द्रनाथ बनु के विशेष विवाह विधेयक² का उन्नपन किया, जिसके लिए उनके कुछ चन्द्रशिंदों ने उनको बड़ा बानोचना की। परन्तु उन्होंने आत्मविवाह का बत था, इत्यतिए पन्थः चान्द्रशिंक विवाह के पध्न में अपने तर्क प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने कहा “नुस्खे विवाह है कि मैंने अपने विचार इन्होंने इनामदारों में व्यक्त किये हैं जिन्होंने ते कर सकता था। परन्तु अपने वचाव के लिए मैं पुनः कहूँगा कि ये नेरे व्यक्तिगत विचार हैं। साम ही, मैं थो नम्बुन हृदय को इच बात ने रहनत नहीं हूँ कि नुस्खे परिषद में अपने स्थान में इत्यतिए ल्याघत्र दे देना चाहिए, क्योंकि मैं किसी विशेष नुस्खे पर अपने उन्नदाम ने मिल नहीं रखता हूँ। मेरा अपना अतग व्यक्तिगत है, जिनको नुस्खे हर कोनत पर रखा करनी है। शायद मेरे तोग मुझ ये नापत्र हो जायेंगे परन्तु इससे क्या ?”³

मुख्यमन्त्री हक्क ने बगात के एक देशीभाषा के समाचारपत्र को आधिक गद्दाख्या देने के चरकारी प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सरकारी विचारों के प्रचार के लिए ऐसी व्यवस्था में अन्तर्निहित अनेक दोषों की ओर चरकार का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे अनेक प्रत्यन में जिन पर हिन्दू और मुसलमान तथा सर्वथा परस्पर विरोधी विचार रखते थे। इन गम्भीर में बंगाल-विभाजन का उदाहरण दिया जा सकता है। आमतौर पर मुसलमान तो विभाजन से खुश थे, पर हिन्दू सरकार के इस विधेय

1. भारत के संस्कार जनसंघ की परिषद की 19 पार्ट, 1912 को भर्ता हो।

2. दृष्टि, 26 दिसंबर, 1912।

से दुःखी थे । ऐसे मामलों में समाचारपत्रों को भारी कठिनाई हो सकती थी यदि वे विभाजन का समर्यन करते, तो निश्चय ही कोई हिन्दू उन्हें न पड़ता । इसके विपरीत, यदि वे उसका विरोध करते, तो निसंदेह मुस्लिम भावनाओं को ठेत पहुंचती । इसलिए मजहबल हक कुछ ऐसे कानून पास करना अधिक पश्चान्त करते थे जो आंग्ल-भारतीय समाचारपत्रों सहित समस्त समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञाप्तियाँ छापने के लिए बाध्य करे । सरकार वास्तव में राजद्रोहात्मक साहित्य के प्रसार से उत्पन्न प्रभाव को नष्ट करना चाहती थी । मजहबल हक दिल से यह महसूस करते थे । उन्हें यह कहने में तनिक भी हिचकिचाहट न थी, भले ही उनके देशवासी उन्हें गलत समझें, कि “भारतीय लोकमत के नेताओं ने इस विषय में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया ।” राजद्रोह रोकना नेताओं का परम कर्तव्य था, जिसे मजहबल हक के अनुसार, वे संस्थायें बना कर, सभायें करके और उसके विश्व नियमित अभियान चलाकर, आसानी से पूरा कर सकते थे ।

अराजकतावादियों से मजहबल हक की नहीं पटती थी और राजद्रोह का उपदेश उन्हे अच्छा नहीं सगता था । 1907 का राजद्रोही यमा अधिनियम 31 अक्टूबर, 1910 को समाप्त होने वाला था परन्तु सरकार अनिवार्यत काल तक जारी रखना चाहती थी । परिस्थिति कुछ सुधर गयी थी और मजहबल हक तथा कुछ अन्य गंग-सरकारी सदस्य यह महसूस करते थे कि देश का सामान्य कानून ही कुछ श्रेणियों के अपराधों से निवटने के लिए काफी था । 6 अगस्त, 1910 को विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा: “कुछ पागल युवकों ने हृत्याओं और विघ्वंमक कायाँ से देश की शान्ति को भंग करने की ठान ली है और समस्त देश को उसका दंड भुगतना पड़ रहा है ।” उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि विहार ‘विद्रोहात्मक अपराधों’ से मुक्त है और वहाँ हिंसा भड़कने का कोई भय भी नहीं है । फिर विहारियों को देश के कुछ अन्य भागों के अपराधियों के साथ क्यों दंडित किया जाय? इसलिए “दमनात्मक और उत्जेनात्मक कानून बना कर दयार्द एव उदार यिन्तु भावुक जनता के भावों को ठेस पहुंचाना” न तो बच्ची नीति है और न अच्छी राजनीति । उनका विश्वास था कि सरकार और

जनता तथा भारत के विभिन्न सम्प्रदायों और जातियों के मध्य सच्चे और हार्दिक सहयोग में ही भारत की मुक्ति है। परन्तु उन्हें भय था कि यदि विधेयक पास हो गया तो वह सरकार के साथ जनता के सहयोग को निश्चित रूप से रोक देगा।

परिपद में मजहूल हक सरकार और उसके अधिकारियों की आलोचना आमतौर से कम ही करते थे। कभी-कभी वे सरकार के अच्छे इरादों की सराहना भी खुलकर किया करते थे। परन्तु ऐसे भी अवसर आते थे, जब परिपद में कुछ सरकारी सदस्यों द्वारा भारतवासियों के राष्ट्रीय-चरित पर अशोभनीय छीटाकशी करने के विरुद्ध उन्हें भारी रोप प्रकट करना पड़ता था। इस प्रकार 28 फरवरी, 1912 को; परिपद में पुलिस-प्रशासन पर दिये गये अपने भाषण में उन्होंने कहा, “... इस परिपद में हम इसे अंतिम बार सुन रहे हैं और भविष्य में इस परिपद में या इसके बाहर कही भी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे भारत और उसकी जनता का अपमान न करें।”

नये कर लगाने के बारे में मजहूल हक के अपने अलग विचार थे। सिद्धात्त: वे नये कराधान के विरोधी न थे। यदि उसका वास्तविक उद्देश्य देश का विकास होता था तो वे उसका समर्थन भी करते थे। परन्तु वे इस विचार को हास्यास्पद समझते थे कि जब भी धन की जावश्यकता हो तब सरकार ही सब कुछ करे। भारतीय कारखाना विधेयक पर अपने भाषण में दादाभाई नौरोजी ने इस बात पर बल दिया था कि कारखानों में बच्चों को शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। परन्तु मजहूल के अनुसार यह कर्तव्य अनिवार्य रूप से उन लोगों का है जो उन बच्चों के श्रम से धनी हुए हैं। दादाभाई के विचारों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मजहूल हक ने कहा “जो महाशय राज्य के कर्तव्यों को सुनते-सुनते मैं थक गया हूँ। हमारे क्या कर्तव्य हैं? क्या हमारे कोई कर्तव्य हैं भी? क्या सरकार ही सब बातों के लिए जिम्मेदार है? हा, तो मैं निवेदन करता हूँ कि यह कर्तव्य पूँजीपति का है जो उसे सहर्ष पूरा करना चाहिए।

श्रमिक हित वस्तुतः मजहूल हक को बहुत प्रिय था। वे करारबद्द (बंधुआ) मजदूरी के कटु आलोचक थे। 4 मार्च, 1912 को जब इस

प्रश्न पर परिपद में विचार हो रहा था तो उन्होंने भाषुक हो कर यहाँ “महानुभाव ! परमात्मा ने मनुष्य को स्वतन्त्र पंदा किया है परन्तु उसका यह दिव्य अधिकार मनुष्य के बनाये कानूनों ने छीन लिया है। मनुष्य को जितनी अन्त करण और कार्य की स्वतन्त्रता होनी चाहिए उन्होंनी ही थम की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। वे करारवद (बंधुआ) मजदूरी को कानून डारा लादी गयी गुलामी से कम समझते थे। उन्होंने कहा “करारवद मजदूरी की समस्त व्यवस्था सिद्धातः दूषित है यह मालिक को पशु बना देती है और मजदूर का नैतिक पतन कर देती है। यह वैध ठेके के बश में गुलामी के निकृष्टतम रूप को प्रोपित करने का पाप करती है। यह प्रथा कल्पना में बुरी, कार्यन्वयन में अमानवीय और परिणामों में शरात्तर्पूण है और अविलम्ब बन्द होनी चाहिए।”

परन्तु मजहूल हक की सबसे अधिक रुचि शिक्षा में थी। उन्होंने गोमृग्ने के प्राथमिक शिक्षा सबन्धी विधेयक का दृढ़ता से समर्थन ही नहीं किया, अपितु प्राथमिक शिक्षा को पूर्णयता निःशुल्क बनाने के लिए एक पृथक विधेयक भी प्रस्तुत किया। उनके विचार से निःशुल्क आरम्भिक शिक्षा सर्वदेशीय प्राथमिक शिक्षा की ओर पहला कदम था। वे चाहते थे कि लड़कों की शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा में भी प्रगति हो अवसर ही इम सम्बन्ध में मौजूदा सामाजिक प्रथाओं का ध्यान रखना आवश्यक था। कुछ समय तक स्थानीय गलत धारणाओं को सन्तुष्ट रखना था। परन्तु इसमें उन्हें यह तनिक भी सन्देह न था कि स्त्रियों का स्तर ऊचा उठाये बिना देन का पुनरुदार नहीं हो सकता। गोदले यह कह कर कि यह विस्तार का का दिपय है अपने विधेयक के प्रावद्यान की लड़कियों पर लागू करने के दिपय पर विचार करने से एक गये थे। परन्तु मजहूल हक उसे विधेयक दा अभिन्न अंग समझते थे और उन्होंने साफ-नाफ कहा, यदि कन्या शिक्षा हटाई जाती है तो इस बारे में भेरा आधा उत्साह समाप्त हो जायेगा।”

परन्तु मजहूल हक को प्रगतिशील विचारों को उन्हीं के सम्प्रदाय के अधिकांश लोग पसन्द नहीं करते थे। विनीप हन से, उनके भूमेंद्र यन् के विशेष विवाह विधेयक के समर्थन से बहुन रोप पंदा हो गया।

1912 में परिषद् के चुनावों में चुने भी न जा सके। परन्तु 1913 के कानपुर मस्जिद कांड ने उन्हे फिर उनकी पहली स्थिति में पहुँचा दिया और पुनः मुस्लिम राजनीति का अग्रणी बना दिया।

कानपुर मस्जिद कांड

१९५७
२१०८

कानपुर मस्जिद कांड उब हुआ यब कुछ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भारतीय मुसलमानों की भावनायें गम्भीर रूप से भड़क उठी थी। यद्यपि बंगाल-विभाजन रद्द करने का व्यापक स्वागत हुआ था फिर भी उससे मुसलमानों विशेष रूप से बगाली मुसलमानों के दिमाग क्षुध्य हो उठे थे। इसे सरकार द्वारा दिये गये कुछ आश्वासनों से पूरी तरह मुकरना समझा जाता था। अधिकाश भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए नवाब बकरन मुल्क ने कहा “ब्रिटिश संग्राम के मंत्रों एक के बाद एक बराबर यह आश्वासन दे चुके हैं कि विभाजन एक ‘स्थायी तथ्य’ है और एकीकरण की बात सरकार के क्यनों और कायों में विश्वास न करने कर एक कारण मानी जायेगी।”

यूरोपीय शक्तियों द्वारा तुर्की पर किये गये आक्रमणों (1912-13) और ईरान में सोवियत संघ अठिकमण से भारतीय मुस्लिमों को रोप और भी बढ़ा। तुर्कों के प्रति भारत सरकार के मनमाने रूप से भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश-विरोधी भावना पैदा हो गयी। तुर्की के लिए चन्दा इकट्ठा करने और चिकित्सा सहायता भेजने के लिए देश भर में सभाएं की गयी। इन में से कुछ सभाओं में हक ने सक्रिय भाग लिया। 16 फरवरी, 1913 को उन्होंने कलकत्ता में ऐसी ही एक सार्वजनिक सभा में भावण दिया जिसमें उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों से तुर्की की सहायता के लिए धन इकट्ठा करने की अपील की। यह बात ध्यान देने की है कि खिलाफत-नूर्ब की इस आरम्भिक स्थिति में भी उनकी यह अपील केवल मुसलमानों को लक्षित करके नहीं की गयी थी। इससे पहले पटना में उन्होंने धोषित किया था कि तुर्की के विश्व छेड़े गये युद्ध को वे “एशियावासियों और यूरोपियासियों” का युद्ध समझते हैं।

भारतीय मुसलमानों के बढ़ते हुए भनमुटाव और विरोध की' इसी सामान्य पृष्ठभूमि के कानपुर मस्जिद केस को राजनीति दृष्टि से विस्फोटक प्रश्न और अपने समय का विशेष ध्यान आकर्षित करने वाला अभियोग बना दिया। 2 जुलाई, 1913 को कानपुर के म्यूनिसिपल अधिकारियों ने सड़ा को चौड़ा करने की एक योजना के पन्तर्गत मछलीबाजार कानपुर में एक मस्जिद के हिस्सों को पुलिसदल की सहायता से गिरा दिया। स्थानीय मुसलमानों ने इस कार्यवाई का विरोध किया तथा थागे कार्यवाई रोकने के लिए सेपिट० गवर्नर जेम्स मेस्टन से प्रार्थना की। परन्तु प्रार्तीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। यह यह कहा जा सकता है कि इससे पहले एक मन्दिर के हिस्से को गिराने का प्रश्न मद्भावपूर्वक सुलझा लिया गया था; यह मन्दिर भी सड़क चौड़ा करने में हफावट ढालता था। सरकार से किसी प्रकार का आश्वासन न मिलने पर मौलाना आजाद मुभानी की अध्यक्षता में "मुसलमानों की एक आम सभा हुई जिसमें यह निष्णय हुआ कि मस्जिद के गिरे हुए हिस्सों को खुद ही दुवार बना लिया जाय। बहुत से मुसलमानों ने जिनमें बच्चे भी ये काम नुह किया। सरकार ने भी भीड़ को गैर-सानूनी घोषित कर दिया और 3 अगस्त को पुलिस ने गोली चला दी तथा गोलीबारी के बाद बहुत से मुसलमान घलड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिये गये। इस घटना के 5 दिन बाद ही जले पर नमक छिड़कने के लिए सेपिट० गवर्नर ने पुतित के उत्तर सिंहाहियों को जिन्होंने गोलीबारी की थी, सनदे (थेल्ता-प्रमाणपत्र) बाटे।

इस घटना ने देशभर में विरोध का एक तूफान खड़ा कर दिया जिसमें सभी विवारधाराओं के मुसलमान शामिल हुए। सद्बन्ध के प्रसिद्ध छिरंगी महल के मौलाना अब्दुल बारी ने सद्बन्ध के मुसलमानों के बचाव के लिए एक संस्था बनायी दया अब्दुल कसाम आजाद के कलकत्ता में कानपुर परिवर्त रखा संस्था बनायी। समाजात्मक पत्रों, विनेप हर से उद्दृ तमाचारणों ने इस प्रश्न को उठाया और "अल-हिजाज" एवं "जमीदार" ने गोलीबारी बना उसके बाद के राजनीतिक आनंदोत्तन के समाचार द्वारा छाते। गैर-उद्दृ तमाचारणों के समाचारणत भी बिल्कुल

चुप न थे। बंगाली ने अपने उपसम्मादक बी० के० दासगुप्त को अपने विशेष संवाददाता के रूप में कानपुर भेजा और उन्होंने इस घटना तथा आन्दोलन के विस्तृत विवरण भेजे। बाद में उन्होंने 'कानपुर मस्तिष्ठ' शीर्षक में एक पुस्तक प्रकाशित की जो उनकी 'मुसलमान देशवासियों' स्मृति को समर्पित थी, जिन्होंने 3 अगस्त, 1913 को अपनी बलि दी थी। 12-19 नवम्बर, 1913 के 'अल-हिलाल' में, इस पुस्तक को सराहना-पूर्वक समीक्षा की गयी। इस पुस्तक का मूल्य एक रुपया था। अंग्रेजों के भी कुछ समाचारपत्रों ने भी इस घटना पर टिप्पणी की।

राजनीतिक आन्दोलन के अलावा गोलीबारी में आहत लोगों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता देने तथा इस कांड में गिरफ्तार लगभग 80 व्यक्तियों के बचाव की तात्कालिक समस्या थी। मुकदमों से हक का सम्बन्ध तब शुरू हुआ जब उन्होंने बचाव-पक्ष के बकील के रूप में काम करना आरम्भ किया। यह उन्होंने तब किया जब बहुत कम बकील इस काम को हाथ में लेने को तैयार थे। विना फीस लिए की गयी उनकी सेवा की सराहना 'अल हिलाल' ने सार्वजनिक रूप से की। उसने अपने 20 अगस्त, 1913 के अंक में हक का पूरे आकार का चित्र छापा जिसका शीर्षक था "स्वतन्त्रता और सत्य के सच्चे सपूत श्री मजहूरल हक बैरिस्टर पट्टना जो पीड़ित मुसलमानों की ओर से 'इस्लाम' के लिए बकील के रूप में पैरवी कर रहे हैं।" बाद में कुछ और व्यक्ति बचाव पक्ष के बकीलों की सूची में शामिल हो गये जिनमें एक हक के जामाता डा० संयद महमूद भी थे। 22 अक्टूबर के 'अल-हिलाल' ने बचाव पक्ष के बकीलों का एक सामूहिक फोटोचित्र छापा जिसका शीर्षक था "परमात्मा उनका भला करे जिन्होंने उनकी सदूषता की है जिनका बोई मित्र था सहायक न था।" एक स्पानीय उर्दू दैनिक ने इस मुकदमे को दैनिक कोट्टे कारंवाई के प्रकाशन की व्यवस्था कर ली। सितम्बर में, प्रमुख भारतीय मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल, जिनमें भीलाना मुहम्मद जली भी थे, इस मामले में त्रिटिश सम्मान के मंत्रियों से तथा अन्तिम उपाय के स्वरूप में त्रिटिश जनता से अपेक्षा करने के लिए दूर्लंग गया। यद्यपि विदेश मन्त्री अध्यक्ष

अन्य इसी मतिमंडलीय मती अथवा अन्य किसी मन्त्रिमंडलीय मन्त्री ने इस बारण शिष्टमंडल का स्वागत नहीं किया कि वह भारत नरसार से सताह लिए बिना चला आया था, फिर भी वह पूर्णतया विफल नहीं रहा ।

समस्या के हल के लिए सरकार ने समझौते का ओचित्य अनुभव किया । अबतूबर में, गवर्नर जनरल लाईंहाडिंग कानपुर गये और उन्होंने गोलिबारी का स्थान देखा तथा घोषणा की कि तोड़ा हुआ हिस्सा उसी सापेक्ष स्थिति में पुनर्निर्मित कर दिया जायेगा जैसा वह पहले था, परन्तु वह नई सड़क के किनारे के फर्श के ऊपर यभो के महराबों पर बनाया जायेगा ।" अभियुक्तों के विरुद्ध जो मुकदमे चलाये जा रहे थे वे बाप्स ले लिये गये । समझौते की शर्तों की घोषणा से पहले सरकार और कुछ मुसलमान नेताओं के मध्य पर्दे के पीछे बातलाप हुआ था । मुस्लिम समूदाय का एक वर्ग इस तकनीकी कारण से समझौते से असन्तुष्ट था कि उसमें बब भी मस्जिद का एक भी भाग सावंजनिक मार्ग के रूप में छोड़ दिया गया था और इस प्रकार मूल शिकायत कि मस्जिद का कोई भाग मट्टे में नहीं बदला जाना चाहिए, बिना हल के ही रह गयो थे । इस प्रश्न को लेकर 'अल-हिलाल' तथा कुछ अन्य उद्द समाचारपत्रों में अनेक पत्र प्रकाशित हुए, जिनमें से कुछ में हक का भी समझौता स्वोकार बराने में सहायता करने और इस प्रकार विश्वासघात करने के लिए आलोचना की गयी । कुछ संवाददाताओं ने तो हक पर यह भी दोष लगाया कि उन्होंने मुकदमे के लिए एकदिन की गयी विशाल धनराशि या गदन बिया है तथा इस विषय में कुछ व्यग्रात्मक एवं अशोन्नीय करिताये भी लियी गयी । परन्तु, इस महत्वपूर्ण तथ्य के अतिरिक्त कि धन का प्रबन्ध हक के हाथ में न था, यह याद रखना चाहिए कि अपने उदार, राष्ट्रबादी विचारों और कार्यों के कारण हक पहले ही कुछ अठिबादी, बटूर मुसलमानों के कोपभाजन बन चके थे, यह उस प्रकार प्रकट होता है, जो 13 अप्रैल, 1913 के 'अल-हिलाल' में द्या था और जिसमें हक को यतिविधियों पर चुटकी लेते हुए कहा गया था कि नेतृत्वों के लिए ठोपन एकदिव्य करते हैं पर राज पांच

वक्त की नमाज पढ़ने की कोई परवाह नहीं करते। सम्भवतः आलोचना और उत्तेजना का काम यही वर्ग कर रहा था।

परन्तु इसके विपरीत अबुल कलाम आजाद हक के आचरण का दृढ़ता से समर्थन कर रहे थे। उन्होंने 29 अक्टूबर, 1913 के 'अल हिलाल' के सम्पादकीय स्तम्भ में बताया कि हक केवल बचाव पथ के बकील हैं, उनका काम अपने मवकिलों को छुड़ाना है और उन्होंने वह बखूबी पूरा किया है, कोई मस्जिद सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की जा सकती है या नहीं, यह प्रश्न तरफ़नीकी और धार्मिक है और हक कोई मौलिकी नहीं है जो इस विषय में दखत दे सकें। आजाद ने स्वीकार किया कि मैं स्वयं समझौते की शर्तों से तन्तुष्ट नहीं हूँ, परन्तु हक को दोप देना गलत और अनुचित है।

मातृभूमि होता है इस अवधि में हक को आजाद का विश्वास और समर्थन प्राप्त था। कानपुर गोलीकाड़ के पहले भी 'अल-हिलाल' के कई अंकों में उनके कार्यों का वर्णन है। कलकत्ता की उपर्युक्त समा में हक का परिचय कराते हुए आजाद ने कहा था कि एक चीज़, जो हक के बारे में मुझे पसन्द है, वह यह है कि वे आरम्भ से ही, केवल दो वर्ष (1911-13) से नहीं, एक शिक्षित और उदार मुसलमान हैं।

कानपुर काड़ ने हक को एक प्रमुख राजनीतिक नेता बना दिया। इसका अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक परिणाम यह हुआ कि इसने मोहाम्मद अब्दुल बारी, अली भाई, अबुल कलाम आजाद, हमरत मोहाम्मद और हक जैसे युवा मुस्लिम नेताओं को अग्रिम पक्ष में ला कर खड़ा कर दिया। सरकार के साथ अन्ध-सहग की नीति पर चलने वाले पुराने नेता पृष्ठभूमि में चले गये।

होम रूल आन्दोलन में

होम रूल आन्दोलन पूना और मद्रास में एक ही साथ शुरू हुआ। माडले जेल से मुक्ति (जून 1914) के बाद से ही, तिलक देव ने होम रूल आन्दोलन शुरू करने के लिए अधक प्रयत्न कर रखे थे। परन्तु कही अप्रैल 1916 में जाकर वे होम रूल लोग बना सके, जिसका मुद्यालय पूना था और अध्यक्ष विप्रित्ता थे। उसी समय श्रीमती एनी बीसेन्ट भी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी इस विचार के समर्थन की कोशिश की थी, परन्तु नहीं करा सकी। इंग्लैंड में कांग्रेस के काम से पूर्ण मनुष्ट न होने के कारण उन्होंने वहाँ जून 1916 में एक सहायक होम रूल लोग स्थापित की। सितम्बर 1916 में उन्होंने मद्रास में भी होम रूल लोग बनायी। इसका लक्ष्य वही था जो कांग्रेस का था—राष्ट्र-मङ्गल के अन्दर स्वराज्य। कदाचित् श्रीमती एनी बीसेन्ट के तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण, इसको गहरी छाप पड़ी। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने बाद में लिखा, “वातावरण विद्युन्मय हो गया और हम में में अधिकांश युवक निवट भविष्य में बड़ी चीजों की आशा करते लगे।”

1916 का वर्ष हमारे देश के इतिहास में अनेक कारणों से स्पर्धीय है। गोखले और फौरोज शाह मेहता की मृत्यु से तिलक और श्रीमती बीसेन्ट भारतीय राजनीति की प्रग्राम पक्षित में आ गये। श्रीमती बीसेन्ट कांग्रेस के नरम दल (माडरेट) और गरम दल (एकस्ट्री-मिट्ट) में एस्ता स्थापित करने में सफल हो गयी अधिकातर मनहरल हर, याजा महमूदायाद और अन्य मुस्लिम नेताओं के प्रयत्न से मुस्लिम लोग और कांग्रेस में समझौता हो गया और लघुनज्ञ समझौते पर हस्ता-

धर हो गये। इस समझौते के अनुसार, दोनों पार्टियों ने स्वराज्य को भारत का लक्ष्य मान लिया। इस प्रकार देश में विद्यमान राजनीतिक स्थिति से आन्दोलन को बढ़ावा मिला और देश के विभिन्न भागों में होम रूल लीग की शाखाएँ स्थापित हो गयी।

बिहार में, होम रूल आन्दोलन पहले ही मजहब्ल हक तथा अन्य लोगों को काफी प्रभावित कर चुका था। 16 दिसम्बर, 1916 को, घटना में, मजहब्ल हक की अव्यक्तता में, होम रूल लीग की प्रान्तीय शाखा स्थापित हुई। इस अवसर पर हक ने एक मर्मस्पर्शी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस देश में होम रूल (स्वशासन) के लिए प्रवल तक दिये और यह धोपित करते हुए कुछ लोगों के अविश्वास को दूर कर दिया कि यह आयरिशा (आयरलैंड की) छाप का होम रूल आन्दोलन नहीं होगा। हक के अनुसार, इसका अर्थ था “विटिश राज के अधीन स्वशासन (स्वराज्य)।”

1917 में देश भर में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो गयी और होम रूल के पक्ष में व्यापक जन आन्दोलन शुरू हो गया। आन्दोलन भारत के कोने कोने तक फैल गया तथा देश भर में होम रूल लीग की शाखाएँ स्थापित हो गयी। परन्तु शीघ्र ही सरकार का दमन-चक्र शुरू हो गया और आन्दोलन की बढ़ती हुई सोकप्रियता के साथ-साथ उसकी तीव्रता भी बढ़ती गयी। फरवरी 1917 में पंजाब सरकार ने भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन एक आवेदन निकाल कर तितक का प्रान्त में प्रवेश वर्जित कर दिया। 15 जून, 1917 को, मद्रास सरकार ने श्रीमती वीसेन्ट और उनके घनिष्ठ साथियों जी०एस० अर्णडेल और वी० पी० वाडिया को नजरबन्द कर दिया। इस घटना की देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई इसके तुरन्त बाद ही मुहम्मद अली जिन्ना होम रूल लीग में शामिल हो गये।

महात्मा गांधी ने, जो अब तक आन्दोलन से अलग रह रहे थे, 10 जुलाई 1917 को वाइसराय के निजी सचिव जे०इ माफे को लिखा “मेरे विनम्र विचार से नजरबन्दियों एक भारी गलती है। इससे पहले

मद्रास में पूर्ण शान्ति थी, परन्तु अब घोर अव्याप्ति है। भारत सभ्यों लग से थीमती वीसेन्ट के साथ न था, परन्तु अब वे भारत को अपने तीर तरीकों पर चलाने में काफी आगे बढ़ गयी है।…… मुझे स्वयं थीमती वीसेन्ट के तीर-तरीके अधिक पसन्द नहीं हैं, मैंने युद्ध के दौरान राजनीतिक प्रचार चलाये जाने का विचार पसन्द नहीं किया है। मेरे विचार से हमारा समय ही सर्वोत्तम प्रचार होता पर साथ ही कोई भी व्यक्ति थीमती वीसेन्ट के भारत के लिए महान त्याग और प्रेम अथवा पूर्णतया साविधानिक बने रहने की इच्छा से इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु समस्त देश मेरे विरुद्ध था।…… काप्रेस थीमती वीसेन्ट पर और थीमती वीसेन्ट काप्रेस पर हावी होने का प्रयत्न कर रही थी। अब दोनों लगभग एक हो गयी है।"

विहार में भी 1 जुलाई को, पटना में, मजहूल हक की अवधाता में, थीमती वीसेन्ट को नजरखन्दी के विरोध में एक विरोध समा हुई। संयद हसन इमाम ने सक्रिय भाग लिया और जैसा कि स्वानीय समाचारपत्र "दी एक्सप्रेस" ने बताया, "इस समय एक मुख्य बात यह हुई कि लोग के अन्त में बहुत से नेता लोग, जो अब तक होम रुब लोग से अलग थे, उनमें शामिल हो गए।" योग्य ही, नजरखन्दों को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह अभियान शुरू करते का विचार उठा।

जुलाई में अधिल भारतीय काप्रेस समिति और मुस्लिम लीग परिषद् का सम्मिलित अधिवेशन हुआ। सत्याग्रह के ग्रीष्मित्य पर प्रान्तीय काप्रेस समितियों और मुस्लिम लीग परिषद् के विचार जाने का नियमित किया गया। वरार ने सत्याग्रह के पश्च में मत दिया परन्तु अमरी, बर्मा और पजाय ने माटेग्यु की प्रत्याशित भारत यात्रा का ध्यान में रखते हुए उसे स्वयंसित रखने की सलाह दी। यू० पी० ने यत्नमान स्थिति में उसे अनुचित बताया।

विहार, जो मजहूल हक के समय पथ प्रदर्शन में काम कर रहा था, इस विषय में स्पष्ट राय रखता था। उसका नियंत्रण अनुटा था। विहार का विचार था, कि "एक अवधि निश्चित की जानी चाहिए,

जिसके अन्दर होम रूल के नज़रबन्धियों तथा अली भाइयों और मौताना ग्रन्ति कलाम आजाद को छोड़ने की मांग की जानी चाहिए। विहार विभिन्न मंचों से मुक्ति की मांग दुहरायेगा और उसे तीव्र बनायेगा तथा विफल होने पर प्रान्त के सावंजनिक कार्यकर्ता सक्रिय त्वर से जनता को सत्याग्रह का उपदेश देना शुरू कर देंगे और उसके फलस्वरूप होने वाली सभी कठिनाइयों और बलिदानों को सहने के लिए तंगर रहेंगे।

परन्तु कुछ घटनाओं से, जो लगभग इसी प्रान्त में और उसके नेता मजहूरूल हक के व्यक्तिगत जीवन में घटी, आन्दोलन पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा होगा। महात्मा गांधी ने पहले ही चम्पारन में अपना काम शुरू कर दिया था और वहा अपने सहयोगियों को सुनाह दी थी कि वे होम रूल आन्दोलन से तब तक अलग रहे जब तक जांच पूरी न हो जाए। इसके अलावा, जो प्रान्त अब तक साम्राज्यिक रूद्भाव का अनुठावृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उसी के शाहाबाद जिले में गम्भीर साम्राज्यिक उपद्रव भड़क उठे और इस समस्या पर मजहूरूल हक तथा प्रान्त के अन्य नेताओं को अधिक और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसके अलावा एक व्यक्तिगत कारण था। मजहूरूल हक ने 50 वर्ष की अवस्था में तीसरी शादी कर ली थी। इससे भी "मजहूरूल हक के लिए कुछ प्रतिकूल बातें बरम" बन गया था। एक स्वानीय समाचारपत्र "दी पाटिलपुब" (18 अगस्त, 1917) ने लिखा "जीवन की इस अवस्था में उनकी शादी को हम विलासित के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझते। जो इस बात को जनते हुए भी कि यह देश का नेता है, इस उम्र में शादी करता है, वह कभी भी नेतृत्व के योग्य नहीं है। ऐसे काम निश्चय ही देश को पतन की ओर ले जायेंगे।" शायद यह पत्र हक के राजनीतिक विरोधियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था।

इसी दर्शन 20 अगस्त को माटेग्यू ने अपनी प्रमिड धोगणा को कि भारत में विटिश नीति का लक्ष्य देश में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। उन्होंने यह भी घोषित किया कि मैं बाइसराय से परामर्श करते तथा स्वशासन तो और भारत की प्रगति से मंबंधित सभी हितों के लोगों की बान मुनने के लिए भारत जाना चाहता हूँ।

इस घोषणा से देश का नमं बाहुबलण ठंडा पड़ गया। नदी नोति के अनुसरण में श्रीमती बीसेन्ट और उनके सहयोगी 16 सितम्बर 1917 को छोड़ दिये गये। परन्तु मालूम होता है यह समाचार विहार महो पहुंचा क्योंकि उसी दिन (16 सितम्बर को) गया शाखा ने बाबू दुर्गा प्रसाद के मकान में होम न्यून आन्दोलन का बैमातिक उत्सव मनाया। एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया कि मजहूरत हक और कृष्णसहाय को तार भेज कर उनमें प्रार्थना की जाय कि वे बाइसराय से श्रीमती बीसेन्ट, अफ्फेल, बाडिया, शौरत अली, मुहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद तथा अन्य नजरखांडे की रिहाई के लिए कहें। एक प्रमुख सदस्य परमेश्वर लाल द्वारा प्रमुख एवं प्रस्ताव के अनुसार, बाबू दुर्गा प्रसाद के मकान से एक जुलूस निकाला गया, जो नजरखांडे की शोध रिहाई और होम रूल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से नगर के अनेक पवित्र स्थानों में गया। जुलूस के साथ होम रूल का झड़ा भी से जाया जा रहा था। अपने अध्यक्षों द्वारा भाषण में विष्णुप्रसाद ने कहा कि जिस के सभी गांवों में होम रूल का प्रचार करना चाहिए ताकि वह किसानों तक पहुंच सके।

मद्रास प्रान्तीय कांग्रेस समिति पहले तो सत्याग्रह के विचार ने सहमत थी, पर 28 मितम्बर, 1917 को उसने निम्नांकित प्रस्ताव पाठ कर दिया।

“बदली हूई राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार स्थिति रखा जाए।”

6 अक्टूबर को इलाहाबाद में अधिकार भारतीय कांग्रेस समिति और मुस्लिम लीग परिपद का संयुक्त अधिकेशन आयोजित किया गया। आम राय सत्याग्रह के प्रश्न की व्याप देने के पक्ष में थी। अधिकेशन ने निश्चय किया कि कांग्रेस-लीग योजना के समर्थन में एक अर्जी के साथ एक शिष्टमंडल हो बाइसराय और विदेशमंडी के पास भेजा जाए। बाइसराय और विदेश-मंडी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शिष्टमंडल का स्थापन किया, जिसमें मटेम्यू के अनुगार “राजनीतिक जगत् के असली धूरधर थे,”/क्योंकि उनमें श्रीमती बीसेन्ट मजहूरत हर, हसन इमाम, बासन गिल, मार्फा और जिन्ना शामिल थे।

परन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं थीमती बीसेन्ट में परिवर्तन आ गया। बताया जाता है कि उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि 'हम मिंटो मार्टेंगू का समर्थन करना चाहिए। माडरेट (नरभ दल वाले) हर जगह इस क्षयन को दुहराते थे और कहते थे कि यदि भारत में एक्स्ट्रीमिस्ट (गरम दल वाले) तथा इंग्लैण्ड में डाईहार्ड (पुराने विचार वाले) मार्टेंगू का वहिकार करेंगे तो वे कुछ नहीं कर सकेंगे। दिसम्बर 1917 में, थीमती बीसेन्ट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। उनके अध्यक्षीय भाषण में भारत में स्वराज्य के सिद्धांत का विस्तृत विशदीकरण था।

कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर भारत के लिए उत्तरदायी शासन के लक्ष्य की घोषणा पर सामार सत्रोप व्यक्त किया और पुरजोर अनुरोध किया कि एक निश्चित अवधि में जनता के लिए आवश्यक संसदीय कानून बनाया जाये। उसने अपना यह विचार भी दृढ़ता से प्रकट किया कि इस दिशा में पहले कदम के रूप में सुधारों की कांग्रेस-लीग योजना तत्काल लागू की जाये।

विहार में, लगभग इसी समय, होम रूल कार्यकर्ता कांग्रेस-लीग योजना के पक्ष ने हस्ताक्षर-अभियान में जुटे दृए थे। 22 दिसम्बर, 1917 को, दरभंगा जिला कांग्रेस समिति के सचिव पंडित भुवनेश्वर मिथ ने, होम रूल लीग के पक्ष में 3,570 व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त एक महाकाय ज्ञापन विहार व उदीसा सरकार के मुख्य सचिव को भेजा। यह ज्ञापन भारत मंत्री को सम्बोधित था। इसी प्रकार की [एक याचिका, जिस पर 3,570 व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे, मुंगेर जिले के लोगों की ओर से भी भेजी गयी थी। वहा जाता है कि ज्ञापन स्वयं महामा गाई ने तंयार किया था। ज्ञापन का पाठ इस प्रकार है :—

"याचिका दाताओं ने उस स्वराज्य योजना पर विचार किया है और उसे समझा है, जो अद्वितीय मुस्लिम लोग परिदद और अद्वितीय भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा तंयार की गयी है तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अद्वितीय मुस्लिम लीग द्वारा गत बर्ष सर्वसम्मिलि से स्वीकार की गयी है।

२. याचिकादाता योजना को मजबूर करते हैं।
३. याचिकादाताओं की राय में उपर्युक्त योजना में प्रस्तावित सुधार भारत और साम्राज्य के हित में अत्यावश्यक है।
४. याचिकादाताओं का यह भी विश्वास है कि ऐसे सुधारों के बिना भारत सच्चे मन्त्रोग के द्युग में पदार्पण नहीं कर सकेगा।

इन वारणों में याचिकादाता प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके मुधार प्रस्तावों पर भजो-भाति विचार करें और उन्हें स्वीकार करें तथा इस प्रकार विशेष कष्ट उठाकर की गयी अपनी यात्रा को सफल बनायें और राष्ट्र की आशा को पूरा करे तथा इस अनुकम्पा के लिए याचिकादाता मदा आभारी रहेंगे।"

बिहार की एक और पटना, जिसने सरकारी धोवों में तहलका मचा दिया, गया के बाद दुर्गाप्रसाद के घर पर होमल का झड़ा लगाना था। इसने वही काम किया जो साड़ वो विदेशी के लिए लाज कम्बल करता है। १६ दिसम्बर, १९१७ के एक गोपनीय सरकारी नोट में वहाँ गया "कि यहाँ में किसी चीज़ ने जनता को इतना नहीं भड़काया जितना बाद दुर्गा प्रसाद द्वारा लगाये गये होमल के लड़े ने। लोग लड़े को प्रत्यक्ष अवज्ञा का कार्य समझते हैं। ये लड़े को महत्व को भली भाति समझते हैं, यद्याकि महाभारत में अनेक स्वतों पर कहा गया है कि महारथियों के अपने-अपने लड़े होते थे, और वे सोचते हैं कि लड़े को लगा रहने देने का अर्थ है कि सरकार के पास उसका लहराना रोकने की कोई शक्ति नहीं है।"

१० जून, १९१८ की प्रान्तीय गतिकार ने भारत सरकार से पूछा कि बाद दुर्गाप्रसाद के विरुद्ध बारंबाई को जाये। गृह-विभाग ने अपने उत्तर (६ मार्च, १९१८) में उस बारंबाई की याद दिलायी जो ऐसे ही एक अपराध के लिए धीमती योमेंट के विरुद्ध की गयी थी। ज़फ़िर सदाशिव अध्यक्ष ने अपने निर्णय में सद-डिवीजनल आक्सिलर द्वारा दिये गये उनके चातान की बढ़ जाती बना की थी। विद्वान् न्यायालीग्रन ने कहा था, "होम-स्ट या लड़ा लहराना भवंभावेष्ठ एवं न्यायसंगत वार्ष है तथा मजिस्ट्रेट वा-

कर्तव्य विधि सम्मत कार्यों के पालन में नागरिक की रक्षा करना होना चाहिए।” इसलिए प्रान्तीय सरकार को सलाह दी गयी कि वह “झटे को अनदेखा कर दे और बाबू दुर्गप्रिसाद के विछद्ध कोई कार्रवाई न करे। तब स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें तंग करने के लिए अत्यन्त आपत्तिजनक हथरंडे अपनाय। जून में उन्होंने “भद्रपान, दुराचरण और पुलिस पर आक्रमण” के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

यहां यह बता देना आवश्यक है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रद्वंद्वज के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। होमरूल लोग का तिरंगा झंडा हो वस्तुतः कांग्रेस का झंडा बन गया। बाद में, उसमें चर्खे का चिन्ह अंकित कर दिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस और होमरूल लोग को एक दूसरे के निकट से आया था। होमरूल लोग का सविधान समय को आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर दिया गया। 17, फरवरी 1918 को, होमरूल लोग की एक बैठक पटना में बुलायी गयी, जिसमें अनेक जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में अन्य पदाधिकारियों पे साथ-साथ मजहबी हक्क अध्यक्ष और बी० बी० सहाय सचिव चुने गये; बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ग्राम अभियान शुरू करने और चन्दा इकट्ठा करने के संबंध में गास किया गया। छपरा आनंदोलन का प्रमुख केन्द्र बन गया। सारन जिले के विभिन्न भागों में अनेक बैठकें की गयी। एक स्वामी मणींद्र सेन (शायद शाहाबाद जिले के निवासी) ने इन बैठकों में बहुत सक्रिय भाग लिया। पटना में भी, वर्ष के अग्रमिमक महीनों में लोग को गतिविधिया बहुत बढ़ गयी। 3 मार्च को लोग के मुख्यतः के रूप में एक समाचार-पत्र ‘दो सर्चलाइट’ निकालने के लिए हसन इमाम के निवासस्थान पर एक बैठक हुई। इस प्रयोजन के लिए हसन इमाम ने स्वयं 5000 रु का बंशदान किया। रेतवे स्टेशनों पर ऐसे मुद्रित पचे विश्वासी रखे रहते थे जिनमें होमरूल आनंदोलन की प्रशसा में गने लिखे होते थे तथा, जिनमें भारत में पुराने स्वयंसिंह दिनों की वापसी की प्रविश्यवाणी रहती थी और यात्री लोग उन्हें बड़े-बड़े से खगोलते थे।

18 अप्रैल को, धीमतो वीसेंट एक सक्षिप्त यात्रा पर पटना आयी। शहर में भारी उत्सवना थी। स्टेशन से पूर्ण-दु नारायण सिन्हा के मकान तक वे एक विजय जुलूस के साथ गयीं। जिस गाड़ी में वे बैठी थीं, उसे उत्साही लोग घीर रहे थे और जिस प्रकार, हिन्दू देवताओं की आरती उत्तरी जाती है, उसी प्रकार भारत में उनके सम्मान में तीन बार उनकी आरती उत्तरी जाती है। अपराह्न में उन्होंने अली मजिल में भाषण दिया।

उनकी गतिविधियों ने लोगों के दिमागों में भारी उथल-पुथल मचा दी। उनके इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, चाइसराय ने नान्द्राजय के पुद्द-प्रयत्नों में सहायता के लिए अपील निकाली। तदनुसार, 4 नई को एक बैठक हुई, जिसमें स्थानीय होमरूल के नेताओं ने सैनिक भर्ती के काम में सरकार को सहायता देने का आश्वासन दिया। परन्तु याद में, उनका जाचरण स्थानीय सरकारी अधिकारियों के लिए एक पहेली बन गया। इस विषय में अपने प्रतिवेदन में पटना डिवीजन के कमिशनर ने कहा, “जैसा कि आपको विदित है, सैनिक भर्ती के संबंध में होमरूल की बैठक पटना बहर में, गत मास की 15 तारीख को हनन इमाम की अध्यक्षता में और गया में, गत मास की 25 तारीख को हुई, जिनमें हनन इमाम, एम. सिन्हा और यान बहादुर सफ्फर या ने भाषण दिये। अब तक भर्ती पर इन समस्त लच्छेदार भाषणों का क्रियात्मक प्रभाव शून्य मातूम पड़ता है……मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि इस सब बा बया अर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह इत्यतिए है यद्योऽपि होमरूल के व्याख्यान विज्ञारदों का कोई प्रभाव ही नहीं है तब्या दूसरे लोग कहते हैं कि वास्तव में वे सहायता करना ही नहीं चाहते। सच्चाई समयतः इन दोनों कथनों के बीच में है।”

परन्तु, लगभग इसी समय, लगतार कई पटनाएं घट गयीं। पहली बात ये हैं हूई कि जनता की एचि मुधार योजना की ओर मुड़ गयी। प्रान्तीय कांग्रेस समितियों से बहा या कि वे इस विषय पर अपनी सुविचारित राय भेजें। भवदृष्ट हूझ की अध्यक्षता में प्रान्तीय कांग्रेस समिति की एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने उदार दृष्टिकोण में भाषण दिया। उनका

मत था कि यह जानने के लिए कि सुधार योजना में वितना दम है, उस परख कर देखा जाए। बाद में, बम्बई में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में हसन इमाम ने भी लगभग ऐसे ही विचार प्रकट किये। अन्य प्रान्तों में तो सुधार योजना ने नरम दल वालों और गरम दल वालों के मध्य मतभेदों की खाई को ओर चौड़ा कर दिया, परन्तु विहार में मतभेद अधिक स्पष्ट नहीं हुए।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना युद्ध में जर्मनी की हार थी। तुर्की के टुकड़ों में बटने की सभावना ने देश भर के मुसलमानों की भावनाओं को भड़का दिया। रोलट एवट ने अन्य सम्प्रदायों में भी असन्तोष और क्रोध की भावना फैलाने में केवल मदद ही की। होम रुल आन्दोलन पृष्ठभूमि में चला गया और विलापत का प्रश्न सामने आ गया। असहयोग आन्दोलन भी शुरू हो गया और मजहूल हुक को विहार की जनता के नेतृत्व के लिए पुनः याद किया गया।

सर्व-इस्लामवादी गतिविधियाँ

विश्वभर के मुसलमानों में एकता और घनिष्ठता की भावना के सामान्य परंतु वर्षे में 'सर्व-इस्लामवाद' उतना ही पुराना है जितना स्वयं इस्लाम। आमतौर से यह प्रमुख एवं क्षीण भाव ही बना रहा और कभी-कभी तो मुस्लिम राज्यों में प्रतिद्वन्द्वों एवं संघर्षों के कारण इसका घोर विरोद्ध भी होता रहा। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, अन्तिम महत्वपूर्ण मुस्लिम गविन्ट तुर्की साम्राज्य (आटोमन एम्पायर), के विरुद्ध पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते हुए जाकरण के जोर से सर्व-इस्लामवाद को एक नया रूप और एक नयी जीवित प्राप्त हुई। सर्व-इस्लामवाद को यह नया रूप अधिकारागतः प्रसिद्ध जमालुद्दीन अफगानी (1838/9-1897) की गतिविधियों के कारण मिला, जिन्हें तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के रूप में, कुछ काल के लिए, एक उत्ताहों समर्थक मिल गया। तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद II सर्व-इस्लामवाद के एक प्रमुख आधार-स्तम्भ—विलाफत संस्था पा विकास करके मुस्लिम एकता की पुनरुज्जीवित भावना का राजनीतिक उपयोग करना चाहते थे। युवा तुर्की (यग ट्यूर्क) ने उनकी नीति को, कुछ समोद्धनों के साथ जारी रखा। भारतीय मुसलमानों में उसकी सबसे अधिक अनुक्रिया हुई तथा उसी के कारण 1920 से आरम्भ होने वाली दग्गाब्दी के सुप्रसिद्ध विलाफत आन्दोलन की नीव पड़ी।

यास्तव में, भारत-तुर्की सहयोग के प्रथल काफी पहले शुरू हो गये थे। ऐसे लिखित प्रमाण हैं कि इस देश में ब्रिटिश विस्तार के आरम्भिक वर्षों में ही टीपू सुल्तान ने अप्रेजों के विरुद्ध सहायतार्थ तुर्की को अपने दूत भेजे थे। इस्लामी जगत का घलीफा हैंने के कारण तुर्की का सुल्तान स्वभावतः महान् धर्म-रक्षक

समझा जाता था। इसलिए मुस्लिम-जगत में तुर्की की बहुत प्रतिष्ठा थी। सन् 1880 के आस-पास विहार में, विशाल पैमाने पर, भारत-तुर्की सहयोग की विद्यमानता का पता चला है। यह मालूम हुआ है कि विहार के विभिन्न भागों में तथा बाहर भी, 1876 से ही, तुर्की की सहायता के लिए (रून-तुर्की युद्ध) धन एकत्रित किया जा रहा था। मोरोहारो और मुजफ्फरपुर (दोनों विहार में) के जिला अधिकारियों ने इस प्रयोजन के लिए हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त समायें किये जाने की सूचना दी थी। सूचना में बताया गया था कि स्त्रियों ने धन जुटाने के लिए अपने जेवर तक बेच दिये थे। छपना जिसे का निवासी और कलकत्ता बैधिज्ञा बर्ग का सदस्य अजमत बली पहला प्रतिनिधि था, जो प्रकट रूप से भारत से भेजे गये धन के आवन्दन और व्यवहार की जाच के उद्देश्य से की गया था। परन्तु बस्तुतः वह भारत और तुर्की के मध्य गुप्त सम्पर्क शायित करने के लिए गया था। देश के अन्य भागों में भी ऐसे बहुत संगठन बन गये, जो तुर्की के साथ विटिश विरोधी सहयोग के प्रयत्नों लगे हुए थे। इनमें एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण 'अजुमन-ए-इस्लाम' था। यह का भूतपूर्व प्रश्न नमंती ओस्मान पाणा आन्दोलन का मुख्य नंतरक था। तुर्की का सुल्तान पहले तो आन्दोलन से अपने आप को भव्यद करने हिंचकिचाया; परन्तु जब उसे यह बताया गया कि भारत के अप्रेज एक केवल भारतीय स्वर्ण सेवकों को ही तुर्की जाने और रूस-तुर्की युद्ध नामित होने से नहीं रोक रहे, तुर्की की सहायता के लिए एकत्रित की गयी विशाल धन राशि को भी रोक रहे हैं, तो आन्दोलन को बड़ावा देने में अपने आधारितिक प्राधिकार का उपकरण के लिए राजी हो गया। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए, तुर्की सम्बन्धों को दृढ़ करने के लिए कुस्तुनतुनिया (कास्टेनोपित) उद्दौ अब्दवार 'पाइक-इस्लाम' शुरू किया गया।

परत में अधिकारियों को कड़ी सतर्कता के बावजूद, भारत तुर्की अब्दाध गति से बलता रहा। 1908 में मोलाना अबुल कलाम ने ईराक, मिस्र और तुर्की की यात्रा की। वे अनेक ईरानी और अन्तिकारियों के सम्पर्क में आये, जो अपने-अपने देशों में लोकतन्त्र ३/८३—४

और स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए काम कर रहे थे। आजाद युवा नुक़्र जान्दोलन से बहुत प्रभावित हुए। मौलाना आजाद के अनुसार, युवा तुक़ी को इस बात से बड़ा आश्चर्य था कि भारतीय मुसलमान कान्तिकारी आन्दोलन से पहले से ही सम्बद्ध थे, फिर भी, तुक़ी से लौटने के बाद, वे इस दिशा में और भी अधिक उत्साह से काम करने लगे। उन्होंने एक उद्दृ साप्ताहिक समाचारपत्र 'अल-हिलाल' शुरू किया जिसकी लोकप्रियता शीध ही सरकार के लिए भारी सिरदर्द बन गयी। लगभग इसी समय वे मौलाना मजहूल हक के समर्क में आये। 'अल-हिलाल' के 1912-13 के अंको में कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में हुई उन सभाओं के अनेक उल्लेख हैं, जिनमें हक ने तुक़ी के लिए धन एकवित करने तथा सहनुभूति प्रकट करने के बास्ते भाषण दिये थे। कानपुर मस्जिद केस के दौरान, वे उस समय के कुछ सर्वाधिक पुराने सर्व-इस्लाम यादियों के निकटतर समर्क में आये, जैसे 'जमीदार' के जाफर अलीयाँ, 'कामरेड' के मुहम्मद अली, अंजुमन-ए-बुद्दाम-ए-कादा' के शौकत अली (मुहम्मद अली के भाई) आजाद मुभानी (कानपुर केस में राजडोह के अपराध में गिरफ्तार) अभिनिधिध पत्र 'तांहीद' के संपादक हसन निजामी तथा बहुत से अन्य इसी दरम्यान (नवम्बर 1913) रेड क्रेनेंड सोसाइटी का एक तुक़ी प्रतिनिधिमण्डल भारत आया, जिसके कारण मजहूल हक को नर-इस्लामवादियों से बहुधा मिलने-जुलने के और भी अनेक अवमर मिले।

तुक़ी प्रतिनिधियों¹ तथा मौलाना अबूल कलाम आजाद, हसन निजामी और आजाद मुभानी के साथ मजहूल हक कोई बैठके हुईं। मजहूल हक ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने प्रतिनिधियों से बहात कि वे जपने देशमानियों और मुल्तान को भी जाकर बतायें कि भारतीय मुसलमान इस्लाम की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए, आयरन्स्ट्रो पड़ने पर जपने प्राणों और समृद्धि दा बनिधान करने को तैयार हैं।

यह पढ़ने ही निरिक्षा हो चुल था कि मजहूल हस दो महीने बाद भारतीय राष्ट्रीय प्रग्राम के प्राप्तिनिधि के रूप में दैर्घ्य जायेंगे।

1. तुक़ी प्रतिनिधिमण्डल में सूर्योदय पाता, इस्लाम बेंग और एवर बमार थे।

इसलिए तुकों प्रतिनिधियों के साथ यह तय हुआ कि बापसी यात्रा में वे तुका जायेंगे। 18 अप्रैल, 1914 को हक मुहम्मद अली जिना, भूपेन्द्रनाथ बनु, एन० एम० समर्थ, सचिवदानन्द सिन्हा, बी० एम० शर्मा और लाला लाजपतराय के साथ जहाज द्वारा इंग्लैंड के लिए रवाना हो गये। वहाँ अपना काम पूरा करके वे भारत लौट आये। मार्ग में वे कुस्तूनतुनिया भी गये (जून में), जहाँ युवा तुकं पार्टी और रेड क्रेसेन्ट सोसायटी के संगठन-कर्ताओं ने उनका हादिक स्वागत किया। वहाँ उनके अवस्थान काल में “उनके आतिथ्य-सरकार को देखभाल के लिए तुकों सरकार ने त्यूफीक बैग को नियुक्त कर दिया था।” तुकों अधिकारियों ने भी उनका हादिक स्वागत किया। सुल्तान के साथ भेटवार्ता की अनुमति भी उन्हें दी गयी। यद्यपि उन्होंने भारत सरकार की शासन-पद्धति की आलोचना की, फिर भी उनके बयान इतने सन्तुलित थे कि उन पर कोई सन्देह न था कि ‘उनकी यात्रा का कुछ और ही उद्देश्य था। कुस्तूनतुनिया-स्थित ब्रिटिश राजदूत को सूचना के अनुसार मजहबी हक वैभाषिक पत्र ‘जहान-ए-इस्लाम’ से सम्बन्धित थे, जिसके एक अंक में सम्मादक के साथ उनकी भेट वार्ता छपी थी। नीचे भेटवार्ता के फांसीसी भाषान्तर के अंद्रेजी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है:—

27 जून, 1914

भारत और तुकों के मुसलमान

हम भारत के एक महान् मुसलमान मजहर-उल-हक इफेंडी की अपने नगर में उपस्थिति की घोषणा कर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले बहा है एस० एम० बाई० मुल्तान मुक़वार को उनसे भेटवार्ता कर चुके हैं।

मजहर इफेंडी का स्वागत-सरकार पेरा-राजमहल में बिया गया था, जहा वे ‘ला इक्दम’ के सम्मादक के साथ आये थे। ‘ला इक्दम’ के सम्मादक के समादा उन्होंने महस्वपूर्ण घोषणायें की हैं। दूड़ दिनों बहुत वे चार जन्य प्रतिनिधियों के साथ ब्रिटिश सरकार ने दृग्गद्युम्न इंग्लैंड गये थे कि वह यह स्वीकार करे कि इस उन्न जन्य के लिए 12 सदस्यों की असेम्बली में ब्रिटिश भारत मन्दी द्वारा ही ही उन्न जन्य यद किये जाते हैं, उनके स्थान पर पूर्णिमा इंग्लैंड दूर्दृक्षी दूर-

चुने जायें। ब्रिटिश मन्त्रिभूमि ने यह मांग स्वीकार कर ली है और संसद (हाउस ऑफ लाइंडस) में पास हो चुकी है। मजहब इफेन्डी ने यह भी कहा है, "लन्दन में अपना काम समाप्त करके मैं अपने साधियों को छोड़ कर यहां चला आया हूं। कुस्तूनतुनिया मेरे मित्र मेरी यात्रा के कार्यक्रम से अवगत थे।"

"भारत के मुसलमान, आरम्भ से ही, धार्मिक वर्गों से तुकीं (आटो-मनों) के साथ बंधे होने के कारण, इस देश के कल्पाण और समृद्धि में सदा ही रुचि रखते हैं। मैंने युवा तुकीं तथा युवा तुकीं का अध्ययन करने के लिए ही यह यात्रा की है। भारत की जनता को तुकीं और तुकीं के बारे में सही जानकारी नहीं है। यूरोप के समाचार पत्रों की तरह भारत के समाचार पत्र भी तुकीं की सही तस्वीर पेश करने में सफल नहीं हुए।

कोसटेन्टीनोपोल में प्रवास के दौरान मुझे बहुठ से राजनीतिज्ञों तथा मंत्रियों से बातचीत करने का सुअवसर मिला। मैं वहां के पुराने अवशेषों संप्रहालयों तथा धार्मिक संस्थानों को देखते गया। तुकीं के प्रति मेरा प्रेम और लगाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे तीव्र गति से प्रगति और परिवर्तन को और यढ़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि दिदितुके इसी गति से ओर ऐसे ही दृढ़ निश्चय के साथ 20 वर्ष और काम करें, मेरा भवलव ही यदि यूरोप की शक्तिया न देने वाले तरट यड़े करके इस राष्ट्र के कार्य में वाधा न डालें, तो तुकीं सोग न केवल अब तक हुई हानि की धूतिपूति न करते गे अपितु देश को बही आगे ले जाएंगे।

"मैं युवा तुकीं से मिल चुका हूं—अत्यन्त प्रभावशाली और अत्यन्त प्रशस्त हैं युवा तुकीं। मैंने देखा है कि वे सभी शियाशील और धार्मिक वृत्ति के हैं। वे सत्यनिष्ठा रो काम करते हैं और आवादायें रखते हैं।" युदा करे निकट भविष्य में ही उनके यह प्रयत्न सफल हो जायें।

"एस० एम० अ० ई० मुहम्मद ने मुझसे साधारण के दौरान, जिसरा अवनर उन्होंने मुझे कृपापूर्वक दिया, भारतीय मुसलमानों द्वारा युद्ध में शाही तुकीं छवि (शाह) को दिये गये समर्थन के लिए भारी रूतन्तरा प्रवर्ट की है। घीमान उच्च योग्यताओं और महान् इस्तामी मुण्डों के निपान है। इनने मुहिम जगत को युश होना चाहिए।"

कुस्तूनतुनिया के एक और समाचार पत्र 'इस्टर्स' के सकाददाता ने मजहबत हर के नाम एक भेटवार्टा वा विवरण, 23 जून,

1914 के अंक में छापा । इसी समाचारपत्र में हमीदी मस्जिद और मुस्तान के साथ उनकी भैंट का विवरण छापा ।

'जहुन-ए-इस्लाम' नियमित रूप से मजहूल हक के पास आता था बाद में राजद्रोहात्मक लेख प्रकाशित करने के अपराध में उसे जब्त कर लिया गया तथा मजहूल से इस पत्र के साथ उनके सम्बन्ध के बारे में एक अधिकारी द्वारा पूछताछ की गयी ।

मजहूल हक को भारत में आये कुछ ही दिन हुए थे, तभी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया । अधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी । युद्ध के प्रति उनके रूप के बारे में एक सरकारी रिपोर्ट में निम्नलिखित बताव्य अंकित है:

"5 सितम्बर, 1914 को उन्होंने इस विषय में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया मुसलमानों को किस प्रकार हिस्सा लेना चाहिए । उनके भाषण ने जो छाप छोड़ी वह स्पष्ट रूप से जर्मन-तुर्की रक्ष को प्रकट करती थी और यद्यपि उन्होंने यह कहा कि मुसलमानों को अंग्रेजों का वकादार रहना चाहिए, परन्तु यह इसलिए कहा गया क्योंकि तुर्की को इस युद्ध में आच आने की कोई संभावना न थी । यदि तुर्की इंग्लैंड के साथ युद्ध में लिप्त होता तो पहलू विलकूल भिन्न होता । भाषण से साफ़ जाहिर होता था कि उनकी वकादारी तभी कुरु थी जब तक सर्व-इस्लामवादी हित अप्रभावित थे । तुर्की के साथ युद्ध को घोषणा के तुरन्त बाद, थीमती बीसेन्ट अपने पत्र 'न्यू इंडिया' की ओर से इस बारे में उनके विचार जानने के लिए कि मुसलमानों को क्या रूप अपनाना चाहिए, उनके पास गयी । उन्होंने उत्तर दिया कि निजी शोक (तभी उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी) के कारण वे कुछ राय न दे सकते । परन्तु कुछ दिनों बाद, वह देखकर कि भारत के मुसलमान वकादार हैं, उन्होंने तात्पर्यक सरकारी संकेत से एक घोषणापत्र निवाला, जिसमें कहा गया कि क्योंकि तुर्क छले गये हैं और आक्रमणकारी के रूप में युद्ध में शामिल हो गये हैं, इसलिए हमें अंग्रेजों के प्रति वकादार रहना चाहिए । यदि वे अन्य द्वारों के अन्यायपूर्ण आक्रमणों से जपनी रक्खा कर रहे होते तो भारतीय मुसलमान तहेदिल से उनका साथ देते; परन्तु ऐसे आक्रमक दुःसाहस्रों में वे नहीं पड़ना चाहते । भारत के सात करोड़ मुसलमानों की

ठोस और वास्तविक शक्ति, केवल एक ऐसी भावुकता के लिए, जो तथ्यों से सर्वया विपरीत हो बलिवेदी पर नहीं चढ़ायी जा सकती।"

युद्ध के आरम्भ में, मजहूल हक्क ने सार्वजनिक मामलों में प्रकट रूप से रुचि लेना बन्द कर दिया। परन्तु सरकार की इस बारे में निश्चित जानकारी थी कि अबुल कलाम आजाद, मुहम्मद अली, हसन निजामी तथा अन्य बहुत से लोग गुप्त रूप से उनसे मिलने के लिए उनके पास आते-जाते रहते थे। मुहम्मद अली अपने केस के लिए धन एकत्र करते के बास्ते पटना आये थे, और मजहूल हक्क ने उन्हें 200 रु. दिए थे। फिर मार्च 1915 में, जब लाहौर के बैरिस्टर और 'मुस्लिम रियू' के सम्पादक छवाजा कमालुद्दीन पटना आये तो हक्क ने 'अंजुमन इस्लामिया' के वार्षिक अधिवेशन में उनका परिचय कराया था। इसके बाद, 25 मई को, दिल्ली के मुख्य आमुजत (चीफ कमिशनर) द्वाये मुहम्मद अली और शौकत अली नजरबन्दी का विरोध करने के लिए बाकीपुर में उन्होंने एक सभा की। पहला प्रस्ताव, जिसमें आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी, उन्होंने स्वयं पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों भाइयों से उन्हें बेहद प्रेम था, उन्होंने मुसलमानों का प्यार अंजित कर लिया था और मुसलमान उनको पूजा करते थे तथा उनको कष्ट से बचाने के लिए सब प्रकार का त्यग करने को तैयार रहते थे। इसलिए, सरकार के लिए उचित था कि संकट को इस पड़ी में जबकि मुस्लिम समूदाय इनका अधिक धूमधार था, थोभ के ओर कारण उपस्थितियां न किये जाते। इससे जाचकर्ता अधिकारी को इस बारे में सन्देह न रखा कि "वे तेजी से सर्व-इस्लामवादी आन्दोलनकारी बनते जा रहे हैं।" पकड़े हुए पत्रों से भी इस बात की पुष्टि हुई कि तुके समाचारपत्र के प्रतिनिधि त्यूफीक बेग के साथ उनका परिणाम सम्बन्ध था। त्यूफीक बेग सारे राज-प्रांतोंका सर्व-इस्लामवादी विचारों के प्रचार के लिए 1913-14 में भारत आये थे। 14 जुलाई, 1914 के पत्र में, त्यूफीक बेग ने हक्क को तुर्की सेना में भर्ती की प्रगति और युद्ध-प्रयत्नों के लिए जर्मन युद्ध-प्रयत्नों की प्राप्ति के बारे में लिया था। 20 अगस्त, 1914 के एक दूसरे पत्र में, त्यूफीक ने निरती नूमानी (आजमगढ़) को, भारतीय मुसलमानों को तुर्की में पठान होने वाली पटनाथों को उहों जानकारी देने के लिए तुर्की में एक उद्दृ समाचार-

पन्न निकालने की योजना के बारे में लिखा था। उन्होंने मजहूल हक की कुस्तूनतुनिया यात्रा का भी उल्लेख किया था और यह बताया था कि तुर्की सरकार ने उन्हें उनके अतिथि सरकार की देवभाल के लिए नियुक्त किया था तथा वे तुर्की से 'अत्यन्त प्रसन्न' हो कर गये थे।¹

रेड क्रेटेन्ट सोसायटी ने प्रमुख मुसलमान नेताओं से, जिनमें मजहूल हक भी थे सम्पर्क स्थापित किया था और वैसी ही सहायता मार्गी थी जैसी उन्होंने पहले बालकन यूदों में दी थी। इसके अलावा, मजहूल हक मध्य प्रदेश में छिन्दवाड़ा जेल में मुहम्मद अली से मिलने के लिए आने वालों में एक थे, परन्तु 'मानवों' होने और सरकार द्वारा उनके दर्जे को मान्यता दिये जाने के कारण, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर भी, आमूचना गुप्तचर विभाग के निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने 23 मई, 1917 के एक नोट (टिप्पणी) में लिखा :

"भारतीय मुसलमानों के एक वर्ष के तुर्की-समर्थक विचार युद्ध में हमारे लिए बाधक बने हैं तथा 1914 में भारतीयों को भारतीयों के सम्बन्ध में को गयी गलत बयानी से जमानों को तथा तुर्की में अवश्य पार्टी को अपनी विश्वव्यापी युद्ध-योजनाओं में कुछ हद तक प्रोत्साहन मिला है। मूले विश्वास है कि गलत बयानी करने वालों में मुख्य मजहूर-उल-हक हैं, यही कारण है कि मैंने 30-4-1917 को अपनी टिप्पणी में लिखा था कि मजहूल हक को सार्वजनिक प्रतिष्ठा के पद से हटाने में हमारी असमर्थता हमारी त्रिया-विधि पर एक धन्वा है। जब तक वे स्वतंत्र और सरकार की कृपा से 'माननीय' हैं, तब तक यह निश्चित है कि भारत में तुर्की-समर्थक पनपते रहेंगे। पंजाब में मजहूल-हक जैसे वर्गिकों को राजनीतिक नेता के रूप में उसके पद पर ठहरने भी दिया जाता।"²

बाद में 'पिलाफत' और असहयोग आन्दोलन के दिनों में, मजहूल हक ने, प्रान्त के विभिन्न भागों में आयोजित लगभग सभी सभाओं में, जिन्हें उन्होंने सम्पोषित किया, विट्जेस सरकार को तुर्की सम्बन्धों नोटिकों को कटू आलोचना की। कावा तथा अन्य धार्मिक स्थानों की पवित्रता

1. और 2. इस विवरण के लिए हम मिं. डेविड डेव द्वारा लिखा गया है। देविए होन पोल।

2. ५० ४०८-१०, जूलाई 1917

ब्रिटिश सेना ने नष्ट कर दी थी। 14 जून, 1921 को, तुर्की के सम्बन्ध में, कठजूरी नदी (उडीसा) पर आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, 'सरकार वहतो है कि मुलह हो गयी है, परन्तु हम कहते हैं कि कोई मुलह नहीं है। मुलह से पहले लायड जार्ज ने कहा था कि तुर्की की अद्यादता भ्रंग नहीं की जायेगी, परन्तु अब उन्होंने कहा है कि पेलेस्टाइन अब कभी तुर्की का राज्य देता नहीं रहेगा। हमारे पवित्र स्थान यहूदियों और ईसाइयों को दे दिये गये हैं। अब कोई . . . इस से इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे दलीका नजरबन्द हैं। तुर्क हर चीज से वंचित कर दिये गये हैं। परन्तु तुर्की का एक छोटा सा देश अंगोरा है और ऐसी सूचना है कि वहा जहाज और सेना भेजी जा रही है।'

सरकार को यह भी जानकारी थी कि उन्दे मित्र और साथी मोलाना अबुल कलाम आजाद राजी में एक स्थानीय मस्जिद में तुर्की सेना की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रेड फ्रेसेन्ट सोसायटी के कुछ मदस्य 1924 में पुनः भारत-यात्रा पर आने वाले थे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार और भारतमन्त्री के मध्य पत्र-व्यवहार पहले ही गुह हो चुका था। रेड फ्रेसेन्ट साथाइटी की पिछली गतिविधियों के कारण, भारत सरकार उन्हें इस देश की यात्रा के लिए अनुमति देने में बहुत हिचकिचा रही था। परन्तु अनुमति न देना खतरा मोल सेना था। यह घोषणा की गयी थी कि रेड फ्रेसेन्ट कमीशन मुस्लिम कमाल पाणा ने उन यूनानी मुसलमानों के लिए चन्दा इन्ट्रा करने के लिए बनाया है, जिनकी अखलान्ददतो तुर्की ईसाइयों से दी जानी है। सभी मुस्लिम देशों को शिष्टमंडल भेजने का निश्चय किया गया था। सरकार यह सोच रही थी कि लासेन की समिध के अपल में आते ही, शिष्टमंडल को किसी भी तरह से अनुमति देने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, यदि उसके काम में मुकिया दी गया, तो आगा था कि वह ब्रिटिश सरकार के पक्ष में आ जाएगा। परन्तु यदि शिष्टमंडल की यात्रा को अनुमति तब तक न दी गयी जब तक कि वह और न रोकी जा सके, तो यह बर था कि भारत में आते ही वह बोयला जाएगा। यह यह निकायत करेगा कि बेट विटेन यूनानी ईसाई

शरणार्थियों के लिए तो अरुण देने को तैयार है, पर अपने तुकीं सहधर्मियों की सहायता के लिए चन्दा इकट्ठा करने से अपनी मुस्लिम प्रजा को रोकने में पूरी शक्ति लगा रहा है। अतः रेड क्रेसेन्ट शिष्टमंडल को यात्रा के लिए आवश्यक अनुमति देदी गयी और वह फरवरी 1924 में भारत पहुंच गया। त्यूफीक वेंग भी इस शिष्टमंडल का एक सदस्य था। परन्तु तब तक मजहूरल टक सभी प्रयोजनों के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। शिष्टमंडल के सदस्यों से यह आश्वासन ले लिया गया था कि जब तक वे भारत में रहेंगे, तब तक वे राजनीतिक विषयों पर चर्चा न करेंगे। उनकी यात्रा संक्षिप्त ही रही। 12 मार्च को उन्होंने अपना भारत प्रमण अचानक समाप्त कर दिया और स्वदेश लौट लये।

खिलाफत और असहयोग आन्दोलन

खिलाफत और असहयोग आन्दोलन दोनों मिलकर भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में कई महत्वपूर्ण और प्रेरणाप्रद अध्याय बन गये हैं। सथनम् समझौते के तुरन्त बाद वे समुक्त राष्ट्रीय संघर्ष को संभावनाओं को सेकर चले थे। यद्यपि वे विभिन्न परिस्थितियों में शुरू हुए थे, फिर भी उन्होंने सरकार-विरोधी कार्रवाई का एक जैसा वायंक्रम बना लिया। परिणामस्वरूप तत्सम्बन्धी घटनायें एक-दूसरी से इतनी अधिक मिल गयी हैं कि उनका अलग करना कठिन है।

इन आन्दोलनों का समय (1919-1923) भी मजहबल हक के जीवन का सबसे अधिक रचनात्मक और व्यस्ततापूर्ण समय था। हिन्दू-मुस्लिम एकता के सच्चे दूत मजहबल हक ने साम्राज्यिक सद्भाव के तत्कालीन वारावरण को अपने कियाकलाप के लिए प्रेरणाप्रद और अत्यन्त अनुकूल पाया।

यह सुविदित है कि 'खिलाफत' संस्था पैगम्बर मुहम्मद की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई। यह कुछ धार्मिक-राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गयी थी। पहले चार खलीफाओं के समय को छोड़कर और कभी इस संस्था ने धार्मिक या राजनीतिक धोन में अधिक प्रभावी ढंग से काम नहीं किया, किन्तु इसका प्रतीकात्मक महत्व सदा ही बहुत अधिक रहा। हज के साथ-साथ यह संस्था भी संसार के समस्त मुसलमानों को जोड़ने यातो एक सामान्य और परिवृश्य कही थी। सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में, आठोंमन सुकों द्वारा मिय के जीत लेने के साथ ही, 'यसीका' की पदवी भी आठोंमन सुल्तान को मिल गयी, परन्तु बहुत दिनों तक यह सुप्तायस्था में पड़ी रही, विंक भारत के मुगल बादशाह आठोंमन सुल्तानों

को अपने राजनीतिक समकालीन मानते थे, धार्मिक प्रवर कभी नहीं मानते थे। अठारहवीं शताब्दी में हुए इन दो प्रमुख मुस्लिम शक्तियों के सामान्य अधःपतन ने उनके कुछ बुद्धिजीवियों में समान भाष्यहीनता का भाव पैदा कर दिया, जिससे समान इस्लामी विरासत की चेतना जाग्रत हुई।

‘महान पूर्वी प्रश्न’ने, जो 19वीं शताब्दी में बहुत दिनों तक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर छाया रहा, अप्रत्यक्ष रूप से छिलाफत की संस्था को नया जीवन दे दिया। रूस के अतिक्रमणों से जर्जर तुर्की साम्राज्य को सहारा देने के प्रयत्न में, त्रिटिश सरकार यह उपयोगी समझती थी कि तुर्की सुल्तान के पद को मुसलमानों के खलीफा के रूप से उठाला जाए और इस प्रकार तुर्की को खोलीय अखंडता के प्रश्न को एक अधिक व्यापक इस्लामी प्रश्न से जोड़ दिया जाए। रूस-तुर्की युद्ध (1876) के प्रारम्भ में, भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों की तुर्की के प्रति सहानुभूति और समर्थन प्रकट करने वाली विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित भले ही न किया हो, पर अनदेखा अवश्य कर दिया। परन्तु ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर त्रिटिश सरकार एक खतरनाक खेल खेल रही थी। कुछ तत्कालीन अंग्रेजी समाचारपत्रों तथा कुछ सोचियत समाचारपत्रों ने आगाह किया कि तुर्की वया भारतीय मुसलमानों के मध्य सम्पर्क को बढ़ावा देने से त्रिटिश सरकार स्वयं संकट में फंस जायगी। यह चेतावनी सही निकली, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की स्वयं उस धुरी में शामिल हो गया।

युद्ध के दौरान, लायड जार्ज ने भारतीय मुसलमानों से पक्का कायदा किया था कि तुर्की की खोलीय अखंडता भंग नहीं को जाएगी। इसलिए भारतीय मुसलमानों को विश्वास था कि खलीफा का आधिपत्य जहरियत-उल अरब पर, जिसमें सभी धार्मिक स्थानों सहित मैसौपोटामिया, अरब, सीरिया और पेस्टाइन शामिल थे, कायम रहेगा। परन्तु आटोमन साम्राज्य के भावी विषयन ने उन्हें बहुत निराश कर दिया। छिलाफत के भविध पर विचार करने के लिए, 16 फरवरी, 1919 को पठना में एक सभा की गयी। सभा की अध्यक्षता करते हुए हसन इमान ने एक भाषण दिया, जिसने थोताओं को अवि प्रभावित किया। उन्होंने उन्हें

तुर्की की प्राचीन महानता को याद दिलायी और उन प्रयत्नों की भत्संना की, जो सुल्तान को 'चिलाफन' से हथने के लिए किये जा रहे थे। मुसलमान सैनिकों ने युद्ध जीतने में ब्रिटेन की सहायता की थी और तुर्की को बात्म-निर्णय के उस सिद्धान्त के लाभ से विजय नहीं किया जाना चाहिए था, जिसके लिए वचनवद्ध होकर युद्ध लड़ा गया था।

मनहरूल हक ने जो पहले ही कुछ अप्रणीतुर्की राजनीतिज्ञों के सम्बर्ख में आ गये थे और सर्व-इस्लामवादी आन्दोलन के लिए कुछ काम कर चुके थे, स्वभावतः खिलाफत आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने उपर्युक्त सभा में भी भाषण दिया और तुर्की के युद्ध में प्रवेश के लिए मिश्र राष्ट्रों को दोष दिया। पटना के बायुक्त ने प्रतिवेदित किया कि "सुल्तान की स्थिति और इस्लाम के पवित्र स्थानों की अभिभावकता के उसके अधिकार के प्रभान पर भावना पहले तो भड़कने सकती है।"

जिस समय भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान और खालीफा के भाष्य के बारे में चिन्तित और उत्तेजित थे, उसी समय कुछ अन्य युद्धोत्तर पटनाओं ने देश में अधिक व्यापक एवं सामान्य अशान्ति पैदा कर दी।

प्रत्याशित एवं यन्त्रोपजनक राजनीतिक सुधारों को बताय, सरकार 'लगड़े' मान्डफोड़ मुघारों और रॉलट एक्ट को लेकर सामने आयो। इस एक्ट में सरकार को उन सभी गतिविधियों को कुचलने के लिए नये और मनमाने अधिकार दे दिये, जिन्हें वह राजदोहास्मक समझे। इस एक्ट ने भारतीय जनता को अधिक उत्तेजित कर दिया।

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया। 30 मार्च का दिन देशभर में हड्डवाल, उपराष और प्राप्तना दिवस-भवानों के लिए निर्मित किया गया। बाद में तारीख बदल कर 6 अप्रैल कर दी गयी। परन्तु दिल्ली में समय पर इस परिवर्तन की घूसना न मिलने के कारण हड्डवाल 30 मार्च को ही हो गयी। युलिस द्वारा युनूस पर गोली चलाने से पाच मोर्टें हुईं और मनेक म्याक्ड हड्डवाल हुए।

पटना के स्थानीय नेता इन घटनाओं को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। स्थानीय समाचारपत्र 'सर्वलाइट' रोलट विलों के विरुद्ध आन्दोलन तेज़ करने तथा गांधीजी के अभियान को समर्थन देने में जुटा हुआ था। 4 अप्रैल को स्थानीय राजनीतिज्ञों की एक बैठक हुई, जिसमें 6 अप्रैल को 'विनश्चता दिवस' में भाग लेने का निश्चय किया गया। अगले दिन शाम को मजहबूल हक के निवास-स्थान पर एक और बैठक हुई, जिसमें विशेष व्यौरा तैयार किया गया। अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि दिल्ली की घटना ने हिन्दुओं और मूसलमानों को एक दूसरे से बांध दिया है। हसन इमाम ने इनमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया। सरकार की गोपीनीय पाक्षिक रिपोर्ट (18 अप्रैल, 1919) में इस सम्बन्ध में निम्नाकित व्यौरा दिया गया है : "पटना में हसन इमाम को व्यक्तिगत प्रभाव बहुत अधिक है और जिस क्षण उन्होंने शामिल होने का निश्चय किया उसी क्षण प्रदर्शन की सफलता निश्चित हो गयी। जिन लोगों ने 6 अप्रैल के जुलूस और सभा में भाग लिया, उनकी संख्या 10 हजार से एक लाख के मध्य आकी गयी है। एक लाख का अनुमान हसन इमाम का है, जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और जिन्होंने उस दिन की घटना का समाचार तार द्वारा स्थानीय सरकार को भेजा था। उन्हें केवल सभा की विशालता का ही नहीं, कार्यवाही को मुख्यस्थित ढंग से चलाने का भी श्रेय मिला, क्योंकि उनकी प्रार्थना पर जिलाधीश पुलिस को यथा सम्भव दूर रखने और शान्ति एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी व्यक्तिगत गारन्टी पर छोड़ने को राजी हो गये थे।....."

रिपोर्ट के अनुसार, इस अवस्था में भी, यह निश्चित न था कि सभी स्थानीय राजनीतिज्ञ सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल हो जायेंगे। परन्तु पजाव जाते हुए मार्ग में पलबल स्टेशन पर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी (10 अप्रैल) के समाचार ने इस प्रगति को तुरन्त पक्का कर दिया। 'सर्वलाइट' ने जनता को जिक्रिय करने की अपनी भूमिका प्रशंसनीय ढंग से निभायी। 11 अप्रैल की शाम को एक नमा हुई जिसमें हमन इमाम ने सावंजनिक रूप से आन्दोलन में शामिल होने की प्रतिज्ञा की। मजहबूल हक तथा अन्य सभा से पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे। इन प्रयोगन के लिए एक रजिस्ट्रेशन बैंड राजेन्ड्र प्रसाद के निवास-स्थान पर खोला।

इन नेताओं ने प्रेस कानूनों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने के बपने इरादे को घोषणा की।

शोध ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के समाचार ने संपूर्ण राष्ट्र को आतंक एवं ऋष के भावों से भर दिया। एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार इसने 'सम्पूर्ण विहार की जनता पर निश्चित रूप से धोमक प्रभाव डाला तथा सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों के विश्वद कोष और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। सरकार के दुश्वकों के बारे में तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगी और सरकार के लिए सबसे अधिक चिन्ता की बात थी हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य एकता का तेजी से बढ़ना।' इडिया 1919 के अनुसार, 'सामान्य उत्सेजना की एक विशेषता हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य बमूलपूर्व भाईचारा थी।'

लगभग इसी समय शान्ति समझौतों की शर्तों की जानकारी जनता को मिली। शान्ति-समझौतों के परिणामस्वरूप तुर्की को अपनी भूमि के एक भाग से वचित कर दिया गया। युद्ध के दौरान सम्पन्न गुप्त करारों के आधार पर ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने तुर्की साम्राज्य को बस्तुतः आपस में बाट लिया था। नयी शान्तिकारी सोवियत सरकार ने तो अपना प्रस्तावित हिस्सा छोड़ दिया था, परन्तु ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की साम्राज्य के कुछ बहुत अच्छे हिस्से संरक्षित प्रदेशों (प्रोटक्टोरेट) के रूप में हासिया लिये। मुल्तान की स्थिति सचमूच कैदी जैसी रह गयी। इस व्यवस्था की बहुत जालोचना हुई। इसे ब्रिटिश सरकार का नीचतापूर्ण विश्वासपात यताया गया और केवल भारत के समस्त मुसलिम समुदायों ने ही नहीं अन्य समुदायों ने भी महात्मा गांधी के पथ प्रदर्शन में विलाक्त के प्रश्न पर आन्दोलन चलाने का निश्चय कर लिया। नवम्बर (1919) के आरंभ में महात्मा गांधी ने समाचारद्वारों में एक ऐत छपवाया, जिसमें तुर्की के प्रति ब्रिटिश रुद्ध के विरोध में शान्ति उत्तमों का विहिष्णारकरण की गलाह दी गयी। विहार ने तुर्कत गांधीजी के आह्वान का अनुपालन किया। हरान इयाम ने आन्दोलन का नेतृत्व किया और 30 नवम्बर को पटना में एक सार्वजनिक यमा हुई बिहार उन्होंने शान्ति-उल्लंघनों के वहिन्दार की जोरदार वकालत की। अन्य यमाओं ने भी तुर्की के भाष्य

पर आंसू बहाये और आँखान का पूर्ण समर्थन किया। फलस्वरूप वकील वर्ग सामूहिक रूप से शान्तिउत्सवों से अलग रहा। रांची में, जहाँ मौलाना आजाद का प्रभाव असाधारण था, वहिष्कार अधिक जोरदार था। किसी मुसलमान ने उत्सवों में भाग नहीं लिया। किसी के घर में रोशनी नहीं हुई और न किसी मुसलमान वर्चे ने स्कूल के खेलों में भाग लिया। दुकानें भी बन्द रहीं और 14 दिसंबर की रात को मुसलमान का एक जत्था मुसलमानों की शिकायतें दोहराता हुआ तथा उत्सवों में भाग न लेने की सबसे प्रार्थना करता हुआ, बाजार में धूमता रहा। रांची में 'मदरसा' में 13 दिसंबर को छुट्टी नहीं मनायी गयी। इसके बजाय, लगभग सभी विद्यार्थी अपनी बांहों में काली पट्टियां बांध अपनी-अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहे। विहार के अन्य भागों में भी विलापत के प्रश्न पर काफी उत्तेजना रही।

फरवरी और मार्च के महीनों में विलापत का प्रश्न भारतीय राजनीति पर छाया रहा। इंग्लैंड में तुर्की-विरोधी आनंदोलन और कुस्तुन-तुनिया पर कब्जा करने के लिए सेना के प्रस्थान ने आग में धी डालने का काम किया। मार्च के आरम्भ में मौलाना मुहम्मद अली के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल इंग्लैंड गया और गिटिश प्रधानमन्त्री से मिला। अपने मामले को शान्ति सम्मेलन (पीस कार्सेस) की सर्वोच्च एन्डर (सुप्रीम कोसिल) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देने की उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गयी। प्रधानमन्त्री लाम्ड जार्ज ने शिष्टमंडल को उत्तर दिया कि तुर्की को उन देशों के रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उसके (तुर्की के) नहीं है। इस उत्तर से भारत में लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। इसलिए 19 मार्च का दिन राष्ट्रीय शोक, उपवास प्रार्थना और हड्डताल के लिए निश्चित किया गया। महात्मा गांधी ने पुनः घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ शान्ति-सन्धि की गते भारतीय मुसलमानों की भावनाओं के अनुकूल न रही गयी तो वे किर अस्त्रयोग आनंदोलन का नेतृत्व संभाल लेंगे।

19 मार्च को सारे विहार में हड्डताल रही। भागलपुर, मुंगेर, डालटन गज, भारा और मुजफ्फरपुर में आमतौर से दुकानें बन्द रहीं। जनेक

स्थानों पर प्रस्ताव पास कर ब्रिटिश सरकार के रूपे पर और असन्तोष प्रकट किया गया। मुजफ्फरपुर में एक प्रस्ताव में कहा गया कि 'तुर्की साम्राज्य का विच्छेद यह: मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं और सिद्धांतों को आधार पहुंचाता है, अतः इससे भारतीय मुसलमानों का वकादारों में अनुचित रूप से विचार पैदा हो सकता है।' शाहबाद, मुजफ्फरपुर, गया, भुगोल और भागलपुर जिलों में हिन्दुओं ने प्रदशनों में प्रमुख भाग लिया। मानभूम जिले में एक रोचक विशेषता यह रही कि मारवाड़ियों ने भी नक्षिय भाग लिया।

अशान्ति के इसी बातावरण में पंजाब के अत्याचारों पर गैर सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई (25 मार्च)। सर माइकेल ओडायर की नृशस्ता स्वभावत मार्वंजनिक निन्दा का विषय बन गयो। यह निश्चय किया गया कि पिछले वर्ष (1919) 6 से 13 अप्रैल तक के सप्ताह में घटी घटनाओं की याद में इस वर्ष 6 से 13 अप्रैल तक के सप्ताह को देश में राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाये। तदनुमार सप्ताह का कार्यक्रम तैयार करने के लिए 6 अप्रैल को पटना में एक मार्वंजनिक मभा आयोजित की गयी। मभा के मुद्रण आयोजक मजहूल हक, को०वी० दत्त, सरकारी हस्तेन याँ और हमन इमाम के दामाद एस० सामी थे। वाद में उसी दिन शाम को एक और मभा हुई जिसको अध्यक्षता मजहूल हक ने की। मभा ने रॉलट एस्ट की निन्दा की और जलियावाला वाग स्मारक निधि के लिए चन्दा एवं वर्जन करने से बास्त एक मनित गठिन की। उसके बाद, विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन मभायें होती थीं, जिनमें विलासित के प्रस्ताव पर विचार किया जाता था तथा यशोका को गुरुशा के लिए प्रार्थनायें को जाती थीं। मजहूल हक तथा अन्य स्थानीय नेताओं के निमन्वन पर, मोलाना शोएल खनोर यिहार आये और उन्होंने अनेक सभाओं को सम्बोधित किया। इन मभाओं में सरकारी नोकरी के बहिष्कार का उपरोक्त दिया जाता था तथा सरकार के माध्य सहायाग न करने की धमकी दी जाती थी। स्वप्न शोएल खनोर ने धोयणा की कि यदि यिताफ़त का प्रयत्न ऐसे ढंग से तय किया गया, जो मुगलमानों के अनुसूत न हो तो ये स्वयं को सरकार की प्रता भवया ताज के प्रति बकादारी के किसी बन्धन से बधा गमनना बन्द कर

देंगे। उस हालत में मुसलमानों को जिहाद (धार्मिक संघर्ष) और हिजरत (निष्क्रमण) में से एक को चुनना होगा। उनके पास हथियार न थे, इसलिए जिहाद असम्भव था। अतः उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। परन्तु सरकार को यह जानकारी थी कि शौकत अली ने युवा मुसलमानों को गुप्त रूप से यह सलाह दी थी कि वे खुदा के आदेशों का पालन करें अर्थात् यदि खिलाफत के सम्बन्ध में उनको इच्छाओं को उपेक्षा की जाये तो युद्ध की घोषणा कर दे।

परन्तु विधान-परिषदों (लेजिस्लेटिव कॉसिलों) के वहिष्कार का निर्णय अभी नहीं किया गया था। 1919 की सुधार योजना के अधीन चुनाव पास आ रहे थे। मजहबूल हक ने अनेक जिलों में चुनाव दीरे किये और कांग्रेसी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने एक सभा को मोतीहारी में 18 अप्रैल को, तथा दूसरी को छपरा में 5 मई को, सम्बोधित किया। इन सभाओं में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम-एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मुसलमानों को याद दिलाया कि खिलाफत के प्रश्न पर हिन्दुओं ने उनका साथ दिया था, इसलिए उन्हे सरकार के दोनों लक्ष्यदायों में वैमनस्य पैदा करने के प्रयत्नों का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने हिन्दू भाइयों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए तथा गोवर्ध नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत के प्रश्न पर उनके साथ विश्वासघात किया है और 'चोर को तरह मेसोपोटामिया अपने लिए चुरा लिया है तथा तुर्की साम्राज्य के टुकड़े दूसरों को बौट दिये हैं।' वे मुसलमानों को जिहाद घोषित करने की सलाह दे सकते थे परन्तु यह असम्भव था, क्योंकि वे शस्त्रहीन थे। इसलिए बदले के रूप में, वे ब्रिटिश माल का वहिष्कार कर सकते थे।

15 और 16 मई को फुलवाड़ी में एक उलेमा-पर्मेलन हुआ। उसमें प्रान्त से बाहर के आलिम भी शामिल हुए जिनमें प्रमुख कानपुर के मौलाना कादिर आजाद मुभानी और मयूरा के मौलाना अब्दुल बजीद थे। सम्मेलन में कुछ वक्ताओं ने थोताओं को जिहाद के लिए प्रेरित किया। परन्तु बहुमत असहयोग के पक्ष में था। सरकार अपनी ओर से मुसलमानों पर यह छाप डालने की कोशिश कर रही थी कि वे हिन्दुओं के

हाथों में धेतर है, व्योकि हिन्दुओं का वस्तुतः विलापत से कोई सम्बन्ध न था।

इसी दरमान, केन्द्रीय विलापत समिति की एक विशेष बैठक इलाहा-बाद मे हुई (जून) और वहास्त्रीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार एक हस्ताधर अभियान आरंभ किया गया। यह भी निश्चय हुआ कि वाइसराय को एक ज्ञापन दिया जाए। इस आन्दोलन में अग्रणी मजहूल हक, ऐसी समी और नूहल हसन थे।¹ अगस्त को पटना में आयोजित एक बैठक में, नूहल हसन ने प्रान्तीय विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फुलवाड़ी के शाह बद्रदीन ने शम्मुल उलेमा को उपाधि और शाह सुलेमान ने आनरेटी (अवैतनिक) मजिस्ट्रेट का पद छोड़ दिया। 15 अगस्त को मजहूल हक के घर पर एक हिजरत कमेटी बनायी गयी। फुलवाड़ी के शाह मुहीउद्दीन उसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इस समय तक प्रान्त मे विलापत आन्दोलन यथात् में मजहूल हक और गुलाम इमाम के निपन्नण मे आ गया था। उन्होने कलकत्ता में विलापत सम्मेतन मे विशेष प्रतिनिधि उलेमा को भेजने के विशेष प्रयत्न किये।

विहार प्रान्तीय काग्रेस समिति और विहार प्रान्तीय सम्मेलन ने भी असहयोग के पक्ष में प्रस्ताव पास किये। प्रान्तीय सम्मेलन ने असहयोग के सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए एक व्यावहारिक योजना तैयार करने के बास्ते एक समिति बनाने का निश्चय किया। तदनुसार, भजहरू हरू, राजेन्द्र प्रसाद और शाहमुहम्मद जुबेर की एक समिति बनायी गयी। सम्मेलन को इस बात का थेय है कि सबसे पहले¹ स्वराज्य की प्राप्ति को उसी ने अग्रहयोग आन्दोलन के एक उद्देश्य के रूप में घिलाफ़त और पंजाब के अत्याचारों की धरिपूर्ति से जोड़ा।

कांग्रेस के बलकंता अधिवेशन (4 से 10 सितम्बर) के तुरन्त बाद, मजदूरसंघ हरू और सात अन्यों ने, कांग्रेस के प्रस्तावों के अनुगार कौसिल के घुनावों से अपनी उम्मोदवारी वापस ले ली। मजदूरसंघ हरू ने हठों की पोंगला एक पत्र में की, जो 'शर्चंसाइट' (19 सितम्बर, 1920) में उपग्रहित किया गया। पोंगला इस प्रतार थी :

उदाहरणीय विद्युत वितरण का एक ऐसा देश है।

“प्रत्येक कांग्रेसी का यह कर्तव्य है कि वह संस्था की बैठक में पारित कांग्रेस के प्रस्ताव के निवेशों का पालन करे। कांग्रेस ने प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनायी है। इत्ताफ़त सम्मेलन और मुस्लिम लोग द्वारा भी ऐसे ही प्रस्ताव पास किये हैं। सबसे पहला और मुख्य प्रस्ताव यह है कि जो चुनाव के लए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं वे सब अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें। मैंने सारन जिले के मुसलमानों से बोट देने को कहा था। परन्तु इन संस्थाओं के प्रस्ताव के अनुपालनायां में अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ और चुनावों में भाग लेने से इन्कार करता हूँ। एक मुसलमान की हैसियत से मैं ऐसी सरकार से कभी सहयोग नहीं कर सकता जो इस्लाम को नष्ट करते पर तुली हुई हो। एक भारतीय की हैसियत से मैं ऐसी सरकार के साथ काम नहीं कर सकता, जिसके हाथ पंजाब के मेरे देशवासियों के खून से रंगे हैं। जब तक उनकी शिकायतें दूर न होगी तब इस सहयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। आपके सुप्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से मैं अपने उन अगणित मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे चुनाव को सफल बनाने के लिए मेरे साथ काम कर रहे थे। जब प्रान्त के सभी मतदाताओं के लिए मेरा परामर्श है कि वे उन लोगों को अपना बोट न दें जो कांग्रेस के प्रस्ताव का उल्लंघन करने और एक फूर एवं अधर्मी सरकार से सहयोग करने का इरादा रखते हैं।”

कुछ स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने इस पत्र को अत्यन्त जापति-जनक ठहराया और प्रेस तथा लेखक दोनों के विशद कार्रवाई करने का विचार किया। ‘सर्वलाइट’ लगातार असहयोग आन्दोलन का समर्थन ही नहीं कर रहा था अपितु पहले एक लेख में उसने घोषणा की थी कि यदि ‘नोकरशाही’ के पास रोलट एवट है तो जनता के पास असहयोग।’ परन्तु भली प्रकार विचार करने के बाद परिपद के उपराज्यपाल ने निरचय किया कि मजहूल हक या प्रेस के विशद कानूनी कार्रवाई करना उचित न होगा। ‘सर्वलाइट’ पर अधिक निगरानी रखने का आदेश दे दिया गया और कह दिया गया कि यदि वह छिर कोई अपराध करे तो उस से पुनः जमानत मारो जाए।

यदि मज़हबी हक् पूरी शक्ति से अन्वेषण में जुट गये। उन्होंने न्यायालय में अपनी अच्छी-खासी प्रेक्षिट छोड़ की और अपने दोनों लड़के पटना न्यू कॉलेज से हटा लिए। उनके रहन-सहन के दृग में भी भक्त्मार्त परिवर्तन आ गया। इस पटना का उल्लेख करते हुए सचिवानन्द सिन्हा ने कहा है, “1920 में जब वे ‘असहयोगी’ बने तब तक हक् सबसे अच्छी पोशाक पहनने वाले भारतीयों में थे परन्तु महात्मा जी का नेतृत्व स्वीकार करते ही हक् अकस्मात् परिवर्तित हो गये। उन्होंने अपने मुख्यचिपूण मुन्द्र सिलाईवाले सूट ताले में बद्ध कर दिये, दाढ़ी-मूँछ न रखने वाले आदमी से बदल कर अभरना : ‘दाढ़ी वाला चीता’ बन गये, अपना रहन-सहन का विदेशी ढंग बदल लिया, अपने लिए पटना से बाहर एक स्थान बनाया, जिसका नाम उन्होंने सदाकत आथम (सत्य निवास) रखा, मोटर वार का इस्तेमाल छोड़ दिया, मास और मदिरा को तिलाजलि देदी और स्वयं को एक वास्तविक सन्यासी के रूप में बदल लिया।”¹

असहयोग अन्वेषण के दौरान, मज़हबी सारी ताकत मुख्य रूप से तीन उद्देश्यों को पूर्ति में लगा रहे थे। सरकार के विस्तृत की योजना, राष्ट्रीय स्कूलों का समर्थन, और साम्राज्यिक एकता को बढ़ावा। वे जनता के सभी वर्गों में सोकप्रिय थे, परन्तु विद्यार्थी समाज पर उनका प्रभाव कुम्भक था। उन्होंने असहयोग अन्वेषण के हित को अपने बड़ाने के लिए इस समाज के उत्तम ही और शक्ति का सुदृश्योग दिया। उन्होंने 10 और 11 भक्तवर को डाल्टनगंगा में सी० एफ० एन्ड्रुज को भव्यता में भाष्येति विहार छात सम्मेलन में भाग लिया। यदि तरु बन्द्रोल छात संघ के नियम लड़कों को राजनीतिश गतिविधियों में भाग लेने से रोक देते थे। परन्तु मज़हबी हक् ने एक लम्बे भाषण में छात्रों का राजनीति में भाग लेना उचित ठहराया और सम्बन्ध नियमों में समुचित समोधन प्रस्तुत किये। परन्तु स्वागत समिति के प्रध्यक्ष ने इसका विरोध किया और अपने पे यह नियम हुआ कि इस प्रस्तुत पर सम्मेलन के एक विनेप घटिवेन्न में विचार किया जाए। किर

1. शिवा, एम०, “ब्रह्म एकिनेट विहार काटपांडितीय”, १८, १९४४, पृ० ८१-८२।

भी, एक प्रस्ताव पास कर केन्द्रीय संघ और जिला संघ से प्राथमिका को गयी कि वे छात्रों से यह प्रतिवाच करायें: "मैं सत्यनिष्ठा से धोपणा करता हूँ कि मैं कोई कपड़ा अथवा पहनने के वस्त्र लेव तक इस्तेमाल न करूँगा जब तक मुझे यह सन्तोष न हो जाएगा कि यह स्वदेशी है।" छात्र समुदाय में अजहश्ल हक के बाद के काम और विहार विद्यापीठ की स्थापना पर धन्यवाच विचार किया जाएगा।

अजहश्ल हक का क्रियाकलाप छात्र समुदाय तक ही सीमित न था। अपनी डाल्टनगंज यात्रा में मिले अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने असहयोग आन्दोलन के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए वहाँ एक सार्वजनिक सभा की। इससे पहले 8 अक्टूबर को उन्होंने गया में एक असहयोग सभा में भाषण दिया था।

उन्होंने विहार और उड़ीसा प्रान्तों के विस्तृत दौरे किये और अत्यन्त जोशीले भाषण दिये। प्रायः 30 राजेन्द्र प्रसाद भी उनके साथ रहते थे। जब कभी यह महसूस होता कि लोग आन्दोलन में पर्याप्त इच्छा नहीं ले रहे, तो स्थानीय नेता अविकल्प रूप से अजहश्ल हक से सहायता मांगते थे और वे कभी पीछे न हटते थे। 27 अक्टूबर, 1920 को हिल्सा में दिये गये उनके भाषण को सी० भाई० डी० रिपोर्ट के उद्धरण नीचे दिये जा रहे हैं। इससे आन्दोलन के लिए उनके उत्तराह का ही नहीं, जनता में उसकी भारी लोकप्रियता का भी साफ़-साफ़ पता चलता है।

"मुख्य संगठनकर्ता एक जगननाथ पाठक था, जो सभा के घर्षण के लिए तथा अजहश्ल हक, चन्द्रवंशी सहाय, पंडित जीवाननंद और डा० गुलाम इमाम के लिए एक कार के किराये-भाड़े के बास्ते धन एकवर करने में विशेष इच्छा ले रहा था। सगभग 1,000 भादमी उपस्थित थे और करारी के शाह गफूर मध्यम की कुर्सी पर थे। थोड़ामों से मजहश्ल हक का परिचय करते हुए शाह गफूर ने कहा कि सरकार ने हमारे धार्मिक धरिखारों और विशेषाधिकारों का हमन किया है, इसलिए अब उस पर विवाद नहीं करना चाहिए। 'विव प्रवार भगवान् कृष्ण ऐसे

ही समय में सत्य को रखा के लिए पंदा हुए थे, उसी प्रकार मजहूल हक, कृष्ण को भाँति हमारे संकट में हमारी सहायता के लिए पंदा हुए हैं।'

सभा को संबोधित करते हुए मजहूल हक ने भारतीयों को सलाह दी कि वे शत्रु (यूरोपियनों) की घासतों, आचारों और रीतियों को छोड़ दें। वे पिछले 150 वर्षों से भारतीयों के घन को लूट रहे हैं और उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। मवक्का और मदीना गत 1300 वर्षों से मुसलमानों के हाथ में रहे हैं, परन्तु गवनर जनरल द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद यूरोपीय इन परिव्रत नगरों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मवक्का पर वम गिराये गये हैं और अध्यात्म शाह गफूर ने यह देया है। वे (हक) उन्हें भड़काना तो नहीं चाहते थे, परन्तु उन्होंने हिल्सा को जनता की ओर से सरकार से पूछा कि यह बाबर तीन बरे तक क्यों छिपा कर रखी गयी। क्या सरकार यह सोचती थी कि भारत के मुसलमानों का इन परिव्रत स्थानों से कोई लाभ न पाय। उन्हें मरुसामें लड़ने की क्या आवश्यकता थी? कल हिन्दू धर्म के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। यदि वे अपनी रक्षा चाहते हैं तो उनमें एकता होनी चाहिए, क्योंकि यूरोपियनों से न्याय की आशा नहीं की जा सकती।

उसी दिन हक ने यात्रा में एक ओर सभा को सम्बोधित किया। उसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, अन्दुलवारी और चन्द्रबंशी सहाय ने भी भावण दिये। परन्तु इस सभा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसका आपोइन विस्तार सभा ने किया था और भारत धर्म महामंडल के प्रिति गगा विष्णु मिथ्र ने भी उसी भंग से भ्रस्त्योग के पदा में भावण दिया था। सभा की अध्यक्षता एक स्थानीय जमीदार सूरज चिह्न ने की थी। पहां भी मजहूल हक ने विटिंग सरकार के पत्ताचारों का विवाद किया। 'पंजाब नुल्म' का उत्तेष्ठ करते हुए उन्होंने कहा, "पंजाब में इत्ति वे ईमान और जनीत गवर्नर्मेंट ने हजारों का धून और बे-मरमती की।" इस तिए उन्होंने थोकाघों को सलाह दी कि वे ऐसी सरकार से भ्रस्त्योग न करें। उन्होंने थोकाघों को चिटा किया कि इन्होंने दारणों से मापोनी स्वराम्य आदते हैं और उसके साथ के रूप में उन्होंने भ्रस्त्योग कर गुमाव दिया

है। उन्होंने मतदाताओं से प्रारंभा की कि चुपावों में वे मतदान न करें। उन लोगों के नाम लिखने के लिए, जिन्हें बोट न डालने के लिए मताया जा सकता था, ऐसे हुए फार्म शाह उमेर को दे दिये गये।

हक ने 30 अक्टूबर को इस्लामपुर (पटना) की सभा को और 1 नवम्बर को विहार शरीफ की सभा को सम्बोधित किया। इन सभाओं में वे लगभग एक ही ढंग से बोले। उनके भाषणों ने स्वनावतः स्थानीय अधिकारियों में भारी खलबली पैदा कर दी। यह सुझाव दिया गया कि मजहबी हक को गिरफ्तार करके उन पर रोक लगायो जाए। परन्तु उपराज्यपाल सहित उच्च अधिकारियों ने ऐसे कदम को उचित नहीं समझा। भारत सरकार को भेजे गये पत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये गये: “उपराज्यपाल ने परिपद में सावधानी से विचार किया है कि कैसे आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। वे उस घटरे को भली भांति समझते हैं जो आनंदोलनकारियों की शरारतपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयत्न न कर ऐसे भाषण स्वच्छन्दता पूर्वक चलते रहने देने से उपस्थित हो सकता है। पूर्ण विचार के बाद, सपरिपद उपराज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि चालान से होने वाली हानिया उसके लाभों से अधिक होंगी इसमें कोई सन्देह नहीं कि चालान से रुठबा बढ़ जाएगा और वे अपने को शहीद कहने लगेंगे। उन पर मुकदमा चलाना, जबकि सरकार के सलाहकारों को उसकी सफलता में भारी सन्देह है, अत्यन्त अनिष्टकर होगा।”

महात्मा गांधी शीघ्र ही विहार प्राने बते थे। सरकार ने उनकी यात्रा का प्रभाव जानने के लिए तब तक इतजार करने का निश्चय किया। यह भाषा थी कि उनकी यात्रा स्थानीय नेताओं पर संयोगात्मक प्रभाव डालेगी। “परन्तु, यदि प्रान्त से उनके चले जाने के बाद, भस्त्रयोग आनंदोलन उसी ढंग से चलता है, जिस ढंग से नवम्बर के मध्य तक चल रहा था, तो स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई घबराय करनी पड़ेगी। स्वनावतः पहला कदम यह होगा कि भारत सरकार को सलाह दी जाय कि वह राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम को प्रान्त के कुछ चिलों पर लाय कर दे।

दिसम्बर के आरम्भ में, महात्मा गांधी ने शोकत अली के साथ साथ गये तथा सभाओं में भी शामिल हुए। मजहूल हक भी कई स्थानों पर उनके उन्होंने व्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किये गये अत्याचारों तथा प्रवर धार्मिक स्थानों के प्रतिक्रमण की बात उहरायी। गांधीजी की अधिकारियों की रिपोर्टों के अनुसार विहार में गांधीजी के दोरे का पटना डिवोजन में, खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों की भावना असन्दिध्य हृप से प्रवल हो गयी। वे मुसलमान भी, जो बत्मान संविधान के प्रति निष्ठावान थे, वह महसूस करने लगे कि व्रिटिश सरकार ने उन्हें जो बचन दिया था उसका पालन नहीं किया।"

नागपुर अधिवेशन के बाद, असहयोग आन्दोलन और भी तेज हो गया। कुछ प्रमुख नेता, जो असहयोग में विश्वास नहीं रखते थे, अलग हो गये। परन्तु अन्यों ने इस कार्यक्रम को और भी अधिक उत्साह से आगे बढ़ाया। विहार में भी हसन इमाम, सच्चिदानन्द सिंहा तथा अन्य इससे हट गये। नागपुर कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव के अनुसार, विहार प्रान्तीय कांग्रेस समिति ने "प्रान्त भर में असहयोग सम्बन्धी गतिविधियों के गठन, निरेगन एवं नियन्त्रण के लिए" एक संगठन समिति बनायी। इस समिति के 9 महस्यों में से एक मजहूल हक थे, अन्य थे— दीप नारायण सिंह, व्रजसिंहांग प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, धरणीधर, कृष्ण प्रकाश सोन मिन्हा, मुहम्मद शफी, अब्दुल यारी और रामविनोद सिंह। समिति ने वित्त योग्यों के मर्ग दर्शन के लिए नियम बनाये। आन्दोलन के अहिमा स्वरूप एवं विशेष बल दिया गया। अभी तक सविनय अवना असहयोग कार्यक्रम की अंग नहीं बनो थी। कार्यकर्ताओं को गतिविधिया एवं अन्य कार्यों तक ही सीमित रही गयी थी।

1921 में, विहार में अमहायोग आन्दोलन ने तेजों से प्रगति की। मजहूल हक, राजेन्द्र प्रसाद तथा प्रान्त के अन्य नेताओं ने असहयोग के

कायंक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत दौरे किये और विभिन्न भागों में अनेक समायें की। शीघ्र ही, समस्त राज्यों में, भारी संख्या में पंचायतें बन गयी। छोटा नागपुर और सन्याल परगना के जिले तथा प्रान्त के नान रेगुलेशन जिले भी अप्रभावित नहीं रहे। मार्च 1921 तक आन्दोलन की जड़ें गहरी जम गई और सरकारी अधिकारी स्थिति के 'अति गम्भीर' समझने लगे। सरकार ने आन्दोलन के ज्वार को रोकने के लिए अब तक जो उपाय किये थे, वे फेल हो चुके थे। तिरहुत डिवीजन टूफान का केन्द्र था। सरकार ने समाजों पर रोक लगा दी थी, इसलिए इस डिवीजन में आन्दोलन मुख्य रूप से रैयत समाजों द्वारा चलाया जा रहा था। अन्य भागों में भी, स्थानीय पंचायती अदालतों (असहयोगियों द्वारा स्थापित) ने काफी सफलता प्राप्त कर ली थी। छात्रों और अध्यापकों द्वारा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का सफल वहिकार अधिकारियों के लिए एक और सिर दर्द था। सरकार को यह भी सन्देह था कि असहयोगी पुलिस और सेवा को बफादारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

अतः स्थानीय (प्रान्तीय) सरकार ने आन्दोलन की प्रगति को रोकने के लिए जिला अधिकारियों को विस्तृत हिदायतें भेजीं। फरवरी 1921 के आरंभ में निश्चिह्न आदेश पास कर के मजहबल हक और एजेन्ड प्रसाद को आरा में प्रवेश करने से रोक दिया गया। यद्यपि अनेक धेवों में और विधान-परिषद में इस कार्रवाई की धोर निन्दा की गयी, फिर भी सरकार के रुद्ध में कोई परिवर्तन नहीं आया। ग्रामों में अतिरिक्त चोकीदार रखे गये और रैयत से अतिरिक्त भार उठाने को बहा गया। इसके अलावा, कुछ प्रभावशाली ईसों को विसंगी आन्दोलन शुरू करने के लिए प्रयत्न किया गया। सरकार समर्पक घोषणायों को आन्दोलन के विरोध में फतवा जारी करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, जिन्होंने सरकार को अपनी सेवा अपित को और लोगों को सरकार के पक्ष में लाने के लिए स्वरं ही पुस्तकार्य आदि निरासी।

लगभग इसी समय पडित मदन मोहन मालवीय के सदप्रयत्नों से गांधीजी और भारत के बाइसराय लाई रीडिंग के मध्य एक मीटिंग आयोजित की गयी। लाई रीडिंग ने गांधीजी का ध्यान अली भाईयों के वक्तव्यों की ओर आकर्षित किया और आशका व्यक्ति की कि इनसे हिस्सा भड़क सकती है। इस पर गांधीजी ने अली भाईयों से एक वक्तव्य लिया, जिसमें उन्होंने ऐसे किसी इरादे से इन्कार किया। लाई रीडिंग स्पष्टीकरण ने मनुष्य हो गये और सहयोगियों का चालान करने का विचार छोड़ दिया। इसके विपरीत, अधिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी निश्चय किया कि “यदि असहयोगियों का चालान किया जाय या उन पर दीवानी मुकदमा चलाया जाय तो उन्हें चाहिए कि वे जनता के समक्ष अपनी निररारधित सिद्ध करने के लिए तब्दीं का पूरा विवरण न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के बाद आगे को कार्यवाही में भाग न लें। परन्तु जबकि फौजदारी के अधीन यदि उनसे कोई जमानत मांगी जाये, तो देने से इन्कार कर दें और इसके बदले जेल जाना स्वीकार कर लें।

इसी बीच, अगोरा में तुकी सरकार के विहृद पुनः युद्ध छिड़ने की आशका उत्पन्न हो गयी। कार्य समिति का भत पा कि यदि युद्ध पुनः मुख्यमानों की इच्छा के विहृद शुरू होगा, अतः भारतीय संतिकों का वर्तम्य है कि वे उसके सम्बन्ध में अपनी सेवा से इन्कार कर दें। 8 जुलाई 1921 को कराची में अधिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। मुस्लिम मार्गों को दृह्यते हुए सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास कर यह पोषित किया कि “आज ने किसी भी ईमानदार मुस्लिम के लिए सेना में नौकरी करना बद्यवा उनके लिए रंगलटों की भर्ती में सहायता करना या बहुवर्द्धाना गैर कानूनों होगा।” उसने यह भी धमको दी कि यदि ब्रिटिश सरकार ने अगोरा गरकार के साथ जड़ाई की तो सविनय अवज्ञा मुक्त कर दिया जायगा। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने अली भाईयों और उसके गांधियों को तग करने वा निश्चय कर लिया और चित्तम्बर में अली भाई गिरफ्तार रह लिये गये। जब उनको गिरफ्तारी वा बारण मालूम हुआ, तो गांधीजी ने स्वयं गांधीनिधि स्प में प्रस्ताव दृह्यता और राष्ट्र में भी ऐसा हो जाने को कहा। तिवक्त स्वराज्य फँड में बहुत धन इच्छा हो गया था, इगनिए कांग्रेस के लिए विदेशी वस्त्रों के बहिर्भार और

खदूदर आन्दोलन को तेज करने की योजना शुरू करना संभव हो गया। शराब - विरोधी प्रचार में भी काफी प्रगति हुई। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। कांग्रेस ने व्यापारियों से अपील की कि वे नशीली वस्तुओं का व्यापार बन्द कर दें। इसमें सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया जाना स्वाभाविक था।

इन महोनों में मजहूल हक की गतिविधियां पुनः सरकार के लिए भारी चिन्ता का विषय बन गयी। सरकार के नियेदकारी उपायों के बाबूद वे पूरे जोश के साथ जनता को संगठित करते रहे। 21 अप्रैल को उनके जनस्थान वाहपुरा में और 25 अप्रैल को राघोपुर में दिये गये अनेक प्रेरणाप्रद भाषणों को सरकार ने "अत्यन्त आपत्तिजनक और उत्तेजना फैलाने वाले" करार दिया। फिर भी उनके विरुद्ध कार्रवाई न को जा सकी।

जून 1921 में, असहयोग के सन्देश को जनता तक पहुंचाने के लिए मजहूल हक ने उड़ीसा और छोटा नागपुर क्षेत्रों में विस्तृत दौरे किए। उनके चक्रधरपुर के दौरे की एक विस्तृत गुप्त रिपोर्ट हमें उपलब्ध हुई है। वे एक बड़ी युरोप दुसेन और गोपबन्धु दास के साथ 19 जून को प्रातः काल वहाँ पहुंचे थे। मजहूल हक स्थानीय नेशनल स्कूल के छात्रावास में ठहरे थे। वहाँ पहुंचने के तुरन्त बाद, उन्होंने स्थानीय प्रभावशाली निवासियों को एक निजी बैठक आयोजित की और रहीम बररा की अध्यक्षता में वहाँ एक खिलाफत कमेटी बनायी। सांथ काल लगभग 7 बजे, स्थानीय म्यूनिसिपल बाजार में एक सावंजनिक सभा हुई, जिसमें 4000 लोग शामिल हुए। स्थानीय नेशनल स्कूल के हैडमास्टर पडित गोदावरी मिश्र ने श्रोताओं से मजहूल हक का परिचय कराते हुए बताया कि वे महात्मा गांधी के सहपाठी, विहार खिलाफत कमेटी के सेकेटरी और एक महान नेता हैं और तुरन्त ही भीड़ ने "महात्मा गांधी की जय, भारत मता की जय", के नारे लगाते हुए उनका अभिवादन किया।

मजहूल हक ने ग्रिटिंग सरकार के अत्याचारों का वर्णन किया तथा हिन्दू मुस्लिम एकता, विदेशी माल के बहिष्कार और मादक द्रव्यों से परेश के लिए जोरदार वर्गात्तम की।

लगभग इसी समय पंडित मदन मोहन मालवीय के सद्प्रयत्नों से गांधीजी और भारत के वाइसराय लाड रीडिंग के मध्य एक मीटिंग आयोजित की गयी। लाड रीडिंग ने गांधीजी का ध्यान अली भाईयों के वक्तव्यों की ओर आकर्षित किया और आशका व्यक्त की कि इनसे हिसां भड़क सकती है। इस पर गांधीजी ने अली भाईयों से एक वक्तव्य लिया, जिसमें उन्होंने ऐसे किसी इयादे से इन्कार किया। लाड रीडिंग स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट हो गये और सहयोगियों का चालान करने का विचार छोड़ दिया। इसके विपरीत, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी निश्चय किया कि “यदि अंतर्हयोगियों का चालान किया जाय या उन पर दीवानी मुकदमा चलाया जाय तो उन्हें चाहिए कि वे जनता के समक्ष अपनी निरपराधित सिद्ध करने के लिए तथ्यों का मूरा विवरण न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के बाद अगे की कायंवाही में भाग न लें। परन्तु जाव़ा फौजदारी के अधीन यदि उनसे कोई जमानत मांगी जाये, तो देने से इन्कार कर दें और इसके बदले जेल जाना स्वीकार कर लें।

इसी बीच, अगोरा में तुर्की सरकार के विरुद्ध पुनः युद्ध छिड़ने की अाशंका उत्पन्न हो गयी। कार्य समिति का भत था कि यदि युद्ध पुनः मुसलमानों की इच्छा के विरुद्ध शुरू होगा, अतः भारतीय सैनिकों का कर्तव्य है कि वे उसके सम्बन्ध में अपनी सेवा से इन्कार कर दें। 8 जुलाई, 1921 को कराची में अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन हुआ। मुस्लिम मांगों को दुहराते हुए सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास कर यह घोषित किया कि “अज से किसी भी ईमानदार मुस्लिम के लिए सेना में नौकरी करना अथवा उनके लिए रंगलटों की भर्ती में सहायता करना या सहभर्त होना गैर कानूनी होगा।” उसने यह भी घमकी दी कि यदि ब्रिटिश सरकार ने अंगोय सरकार के साथ लड़ाई की तो सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया जायगा। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने अली भाईयों और उसके साथियों को तंग करने का निश्चय कर लिया और सितम्बर में अली भाई गिरफ्तार कर लिये गये। जब उतकी गिरफ्तारी का कारण मालूम हुआ, तो गांधीजी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव दुहराया और राष्ट्र से भी ऐसा ही करने को कहा। तिलक स्वराज्य फंड में बहुत धन इकठ्ठा हो गया था, इसलिए कांग्रेस के लिए विदेशी बस्त्रों के वहिकार और

खद्दर आन्दोलन को तेज करते की योजना शुरू करना संभव हो गया। शराब-विरोधी प्रचार में भी काफी प्रगति हुई। शराब की दुकानों पर घरना दिया गया। कांग्रेस ने व्यापारियों से अपील को कि वे नशीली वस्तुओं का व्यापार बन्द कर दें। इसमें सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया जाना स्वाभाविक था।

इन महीनों में मजहूल हक की गतिविधियां पुनः सरकार के लिए भारी चिन्ता का विषय बन गयी। सरकार के निपेधकारी उपायों के बाबनूद वे पूरे जोश के साथ जनता को संगठित करते रहे। 21 अप्रैल को उनके जनस्थान बाहपुरा में और 25 अप्रैल को राधोपुर में दिये गये अनेक प्रेरणाप्रद भाषणों को सरकार ने "अत्यन्त आपत्तिजनक और उत्तेजना फैलाने वाले" करार दिया। फिर भी उनके विरुद्ध कार्रवाई न की जा सकी।

जून 1921 में, असहयोग के सन्देश को जनता तक पहुंचाने के लिए मजहूल हक ने उड़ीसा और छोटा नागपुर क्षेत्रों में विस्तृत दौरे किए। उनके चकधरपुर के दौरे को एक विस्तृत गुप्त रिपोर्ट हमें उपलब्ध हुई है। वे एक बड़ी खुरझेद हुसेन और गोपदण्ड दास के साथ 19 जून को प्रातः काल वहाँ पहुंचे थे। मजहूल हक स्थानीय नेशनल स्कूल के छान्नावास में ठहरे थे। वहाँ पहुंचने के तुरन्त बाद, उन्होंने स्थानीय प्रभाववालों निवासियों की एक निजी बैठक बायोजित की और रहीम बदश की अध्यक्षता में वहाँ एक विलाक्षण कमेटी बनायी। साथ काल लगभग 7 बजे, स्थानीय म्युनिसिपल बाजार में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें 4000 लोग शामिल हुए। स्थानीय नेशनल स्कूल के हैडमास्टर पंडित गोदावरी मिथ ने धोताओं से मजहूल हक का परिचय कराते हुए चराया कि वे महात्मा गांधी के सहभाठी, विहार विलाक्षण कमेटी के सेक्रेटरी और एक महान नेता हैं और तुरन्त ही भीड़ ने "महात्मा गांधी की जय, भारत भाता को जय", के नारे संगाते हुए उनका अभिवादन किया।

मजहूल हक ने शिट्टा सरकार के प्रत्याचारों का वर्णन किया तथा हिन्दू मुस्लिम एकता, विदेशी माल के, बहिकार और मादक द्रव्यों से पर्याप्त के लिए जोखार बकालत की।

कुछ दिन पूर्व, मजहूल हक सावलपुर में एक जोशीला भाषण दे चुके थे, उन्होंने लोगों को सलाह दी थी कि वे सरकारी दमन से न डरें और जेल जाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा था, “मेरे विचार से असली काम तब होता है जब हम जेल में होते हैं। जेल से बाहर जो समय खर्च होता है वहां वास्तव में व्यर्थ ही खर्च होता है। जब हमारी मातृभूमि जनीरों में बधी और जकड़ी हुई है, तब हमें जेल से डरने की क्या आवश्यकता है। ऐसो परिस्थिति में तो फासी का तख्ता हमारे लिए अधिक स्वागत योग्य होगा।” 6 अगस्त, 1921 को, मजहूल हक ने मुपाल में एक असहयोग सम्मेलन में भाषण दिया, जिसमें देश की स्थिति अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण होते हुए भी, उन्होंने श्रोताओं को अहिंसक उपायों से काम करने की आवश्यकता बतायी। उन्होंने कहा, “अब वह समय आ गया है, जब तलबार हाथ में लेना और जिहाद के लिए तैयार होना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य हो गया है। परन्तु महात्मा गांधी का विचार है कि यदि मुसलमान ऐसा करेंगे तो वे अपना ही विनाश कर लेंगे, क्यों कि उनके पास हथियार नहीं हैं। और हर कोई जानता है कि इस्लाम आत्मविनाश की अनुभूति नहीं देता, यही कारण है कि कोई तलबार नहीं उठा सकता।” उन्होंने कहा कि स्वराज्य की चामों खद्दर में है। जब आपके पास यह चामों होंगी, तभी आप स्वराज्य का दरवाजा खोल सकेंगे।

मजहूल हक के इन उत्तेजक भाषणों ने स्थानीय अधिकारियों को पुनः उनके चालान की सलाह देने के लिए प्रेरित किया, परन्तु उच्च अधिकारियों के मत में मजहूल हक के भाषणों में ऐसो कोई नयी चीज नहीं थी, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

मजहूल हक की लेखनी में बहुत ताकत थी। साप्ताहिक ‘दी मदर लैंड’ में, जो उन्होंने सितम्बर 1921 में स्थापित किया था, उनकी सम्पादकीय टिप्पणियों ने स्थानीय सरकार के खेत्रों में हलचल मचा दी। 19 जनवरी, 1922 को, दिलाफत के प्रश्न पर अपने सम्पादकीय लेख में मजहूल हक ने कहा; जनीरातुल अरब, जिसमें पेलेस्टाइन, हेडजाज, अरब और मेसोपोटामिया हैं, मुसलमानों की गम्भीरतम् धार्मिक भावनाओं

का स्वर्ण करता है, और धमकी दी कि संसार में तब तक शान्ति न होगी और उन्हें तब तक चैन न मिलेगा, इसमें जो हस्तक्षेप करते हैं, जब तक 'बरहक खलीफा' इन देशों से अलग रहेगा। इंग्लैंड को मेसोपोटामिया और प्रेस्टाईन खाली कर देने चाहिए और मक्का के शरीफ को अपने विधिसम्मत शासक के विरुद्ध भड़काने से बाज आना चाहिए, अन्यथा, बत्तमान आन्दोलन वढ़ जायेगा और उस पर काढ़ पाना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। सरकार को यह सोच कर भ्रम में न रहना चाहिए कि समस्या अपने समय पर अपने आप सुलझ जायेगी। यह नहों सुलझेगी इस्तामी जगत का विरोध तो और वड़ेगा, "और केवल युद्ध ही जानता है कि वह कैसे छत्तम होगा।"

देश में जनता की उत्तेजित भावनाओं को देखते हुए ऐसी टिप्पणियां अनुचित और खतरनाक समझी गयी। 1 नवम्बर, 1921 को अली भाइयों को दो दर्पण के कठोर कारवास की सजा दी गयी। 4 और 5 नवम्बर को अधिल भारतीय कार्येत समिति की बैठक दिल्ली में हुई, जिसने प्रत्येक प्रान्त को यह अधिकार दिया कि वह, अपनी जिम्मेदारी पर, सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करे, जिसमें कर न देना भी शामिल हो। महात्मा गांधी वारडोली (गुजरात) में आन्दोलन का सूत्रपात करना चाहते थे। 17 नवम्बर को जिस दिन प्रिस आफ वेल्स जहाज से बम्बई में उतरे, भारे देश में, पटना में भी, हड़ताल रखी गयी। परन्तु बम्बई में जिन लोगों ने प्रिस (राजकुमार) के स्वागत समारोह में भाग लिया, उनके साथ भोड़ ने कुछ ज्ञादतिया का। उस पटना से दूधी होकर महात्मा गांधी ने 19 नवम्बर को उपवास शुरू कर दिया और उसे 22 नवम्बर को तब तोड़ा जब शान्ति स्वापित हो गयी। वारडोली अभियान स्थगित कर दिया गया है।

अधिल भारतीय कार्येत समिति ने, जिसकी बैठक 23 नवम्बर को बम्बई में हुई, देश भर में यान्त्रोय स्वयं सेवक दल बनाने का निश्चय किया। इस निश्चय के अनुसार समस्त प्रान्त के कार्येत वार्डंस्टार्जों में से यिहार का भो सेवक दल बनाया गया। इस संगठन का सबसे पहला कर्तव्य प्रान्त में जानि कायम रखना था। सदस्यों को बहुधा

की प्रतिक्षा करनी पड़ती थी और अपने कर्तव्यों के पालन में होने वाले समस्त कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता था। एक केन्द्रीय नियन्त्रण भण्डल बनाया गया, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में रखा गया। इसके 5 निर्वाचित सदस्यों में एक मजहूल हक थे। परन्तु 19 दिसम्बर, 1921 को, विहार व उड़ीसा की सरकार ने कांग्रेस स्वयं सेवकों, खिलाफ्त स्वयं सेवकों और असहयोग स्वयं सेवकों को, 1908 के भारतीय आपराधिक (एप्ड) विधि संशोधन अधिनियम की धारा 16 के अधीन गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया। शीघ्र ही, देशभर में, देशबन्धु दास, लाला लाजपत राय, पंडित मोती लाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। इस से पहले, 10 दिसम्बर को, अनेक केन्द्रों में कांग्रेस और स्वयं सेवकों के कार्यालयों की तलाशों की गयी तथा असहयोग आन्दोलन सम्बन्धी जमिलेख जब्त कर दिये गये और अन्धाधुन्ध नष्ट कर दिये गये। विहार के भी बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिये गये। सविनय अवधा का समर्थन करने के कारण 'दी मदर लैड' से और अधिक जमानत मानी गयी। पत्र ने जमानत देने से इन्कार कर दिया और वह अस्थायी रूप से बन्द हो गया। 22 और 23 दिसम्बर को, जब प्रिन्स लाफ खेल्स पटना आये, तो पटना में पूर्ण हड्डताल रही। शहर में प्रत्येक दुकान बन्द कर दी गयी, सभी मुख्य सड़कें लगभग खाली रही, कियाये भाड़े का कोई बाहर नहीं चला और जिस भार्ग से जुलूस निकला उस पर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अधिवेशन ने, जो 27 और 28 दिसम्बर को अहमदाबाद में हुआ "कांग्रेस के अद्वितीय असहयोग के कार्य-क्रम को पहले से भी अधिक तेजी से इस प्रकार और तब तक जारी रखने के दृढ़ निश्चय को पुनः दोहराया, जैसा प्रत्येक प्रान्त निश्चित करे और जब तक पंजाब और खिलाफ्त सम्बन्धी अत्याचारों की धतिपूर्ति न हो तथा स्वराज्य स्थापित न हो और जब तक भारत के शासन का नियन्त्रण गैरजिम्मेदार निगम के हाथों से निकल कर जनता के हाथों में न आ जाय।" सरकार के दमनात्मक उपायों में कोई कमी नहीं आयी। इसी बीच, 5 फरवरी 1922 को चौरो-चौरा काढ हो गया, जिसमें कुछ भीड़ ने घाने को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कास्टेलों को मृत्यु हो ग

विलासकृत और असहयोग वान्दोत्तन

अगले महीने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया गया और बिहार में में विभिन्न स्थानों पर विरोध समायें और हड्डताले हुईं। अप्रैल में एक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और आन्दोलन जारी रखने के लिए स्थानीय नेताओं ने राज्य के सुदूरवर्ती भागों में विस्तृत दौरे किये। इसी दरम्यान एक और घटना पटी, जिसने राष्ट्र का ध्यान पुनः मजहबल हक की पर केन्द्रित कर दिया और उन्हें देशभूषण फकीर मजहबल हक की लोकप्रिय उपाधि दिलायी। यह घटना थी एक सम्पादकीय लेख लिखने के सम्बन्ध में हक को गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाया जाना, इस लेख में उन्होंने जेलों में कुछ राजनीतिक वन्दियों पर किये गये अमानुषिक बत्याचारों की आलोचना की थी। इस विप्रय पर आगे एक अध्याय में विस्तृप्त प्रकाश दाला गया है।

इसीबीच विलासकृत के प्रश्न को भी पृष्ठभूमि में डाल दिया गया। मुस्तका कमाल को अध्यक्षता में, बंगोरा सरकार की चमत्कारपूर्ण संनिक सफलताओं के बाद, अक्टूबर 1922 में, मुदानिया में युद्धविराम संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद नवम्बर 1922 से जुलाई 1923 तक लासेन शान्ति सम्मेलन हुआ। तुर्की को साम्राज्य सरकार, जो अब वस्तुतः कब्जा करने वाली तेना के बंगूठे के नीचे थी, पूर्णतया अविश्वसनीय हो गयी और उसके सभी प्रभावी अधिकार बंगोरा सरकार के हाथों में चले गये। उसने 28 अक्टूबर, 1923 को तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया। इससे पहले, अन्तिम यलोफा-नुल्तान मुहम्मद पठ छिप कर निकल गया था और एक त्रिटिस यूद्धपोत द्वारा माल्टा पहुंचा दिया गया था। उसे युल्तान के रूप में ही नहीं, यलोफा के रूप में भी, अधिकारच्युत कर दिया गया, तथा उसके भतीजे बबूल मजीद को नया यलोफा चुन लिया गया। परन्तु उसका कायंकाल बहुत छोटा रहा, क्योंकि नेशनल बसेम्बली ने गमगिम्ब वहस के बाद 3 मार्च, 1924 को चिर-प्रतिष्ठित यलोफा का पद समाप्त कर दिया। उस पुकार गिलास्त के समर्पकों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गयी।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि मजहबल हक विलासकृत से व्यवस्था में श्रेष्ठ दूरपाली परिवर्तनों को संभालना पहले ही समझ गये थे और यसको छा-

सुल्तान की दो विशिष्ट हैसियतों की ओर ध्यान आकर्पित कर चके थे। मदानिया की युद्ध विराम सन्धि के बाद और 'खलीफा' तथा 'सुल्तान का पद' सुल्तान की उपाधि की विधिवत् समाप्ति से बहुत पहले तुर्की में इन उपाधियों में परिवर्तन के लिये विभिन्न प्रस्तावों पर विचार होता रहा था। एक प्रस्ताव यह था कि 'खलीफा' और 'सुल्तान का पद' निर्वाचित पद बना दिये जायें, भले ही फ़िलहाल वे आटोमन परिवार तक सीमित रहे। समाचार भारत में भी आया था और हक ने 10 नवम्बर, 1922 के 'दी मदरलैण्ड' में एक लम्बे सम्पादकीय में उस पर टिप्पणी की थी।¹ उन्होंने कहा कि इस समाधार की प्रभागिकता को जाच करने का कोई तरीका नहीं है और यह सम्भव है कि "आगामी लासेन सम्मेलन में ससार के मुसलमानों की भावनाओं को तुर्की राष्ट्र के विमुख करने के लिए अफवाहें फैलायी जा रही हो।" परन्तु उनका व्यक्तिगत विचार था कि "तथ्य सही है पर उनसे अनावश्यक रूप से विचलित होने का कोई कारण नहीं है।" खलीफा का पद सदा ही, कम से कम सिद्धांतः चुनाव पर आधारित रहा है और यह अच्छा ही है कि सिद्धात को पुनः स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मुस्लिम समुदाय कुछ परिस्थितियों में खलीफा को पदच्युत भी कर सकता है। 'सुल्तान' और 'खलीफा' के दोनों पद अलम-प्रलग हैं और यदि तुकं यह अवश्यक समझते हैं कि सुल्तान को पदच्युत कर देना चाहिए तो यह उनका अन्दरूनी मामला है और भारतीय मुसलमान जो "अपने देश में अत्यन्त अधीनस्थ स्थिति में हैं" "तुकं जैसे स्वाधीन लोगों को घरेलू समस्याओं में हस्तक्षेप" नहीं कर सकते। परन्तु जहा तक विलाफत का प्रश्न है, सारा मुस्लिम जगत उसमें "अपरिमित दिलचस्पी" रखता है। हक यह उचित समझते थे कि "खलीफा के चुनाव के समय तुकं ससार के मुसलमानों के विशेष रूप से भारत के मुसलमानों के जिनकी सच्चा ७ करोड़ हैं, मत की उपेक्षा न करें।" हक का यह भी विचार था कि "भावो खलीफा इस्लाम के सामन्ती राज्यों का, जिनमें ससार के सभी स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य हों, धर्माधिक्ष हो और कुछ संटों के समय वह सभी इस्लामी राजाओं को अपनी सहायता के लिये बुला

1. इस समय पव के सम्पादक थे। वी० साहू ये, परन्तु प्रायः हक अपने एम० एच० के नाम से भी समारकीय स्तम्भ लिया करते थे।

सके।” इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, कि खलीफा आठोमन परिवार के सदस्यों में से हीं चुना जाना चाहिए, रायटर से उद्दरण देते हुए हक ने कहा कि मालूम होता है “तुक्के राष्ट्र किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहा है, जो इस्लाम की शरियत के अनुकूल होगी और जो पिलाफत के गोरव और प्रतिष्ठा को बढ़ायेगी।” परन्तु यह आशा आशा ही रह गयी है और वास्तविक घटनाक्रम इस प्रकार चला कि तुर्की नेशनल असेम्बली ने खलीफा के पद को पूर्णतया समाप्त करने का निश्चय कर लिया।

मजहङ्गल के अन्य दोस्त भी उनकी सहायता के लिये आगे बढ़े और उन्होंने उन्हें गुप्त स्प से धन और सामान भेजा। एक ने उन्हें पुराना 10 अश्व शक्ति का स्टोम इंजन भेट किया। मजहङ्गल हक ने इस नये स्थान का नाम सदाकृत आधम¹ (सत्य निवास) रखा, जो अन्य बातों के अलावा हिन्दू-भूस्त्रिम एकता के प्रति उनके महान आदर का दौतक था।

आरम्भ में, छात्र वहा कताई और बुनाई के लिए भारी सम्पा में चरखा तथा अन्य सहायक उपकरण बनाया करते थे। लड़कों के नैतिक विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्वनि दिया जाता था।

इसी बीच, महात्मा गांधी ने, देश भर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महाविद्यालय और सभी प्रकार के राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए आनंदोलन शुरू कर दिया। उनकी योजना में विहार में भी एक विद्यापीठ (राष्ट्रीय विश्वविद्यालय) की स्थापना का प्रावधान था। बतंमान पटना-गया मार्ग पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय एक किराये के मान में पहले ही स्थापित हो चुका था, परन्तु गांधीजी चाहते थे कि विहार में शीघ्र ही एक विद्यापीठ की स्थापना हो जाय। संगठनकर्ताओं को विद्यापीठ के लिए पटना के समीप एक उपमुक्त स्थान ढूँडने में कठिनाई हो रही थी।

जब मजहङ्गल हक को इस बात का पता चला, तो उन्होंने तुरन्त राजेन्द्र प्रसाद को बुलाया और अपने ही धन से विद्यापीठ के लिये भवन निर्मित करा दिया। असहयोग के प्रश्न पर सभी वरिष्ठ नेता असर हो गये थे। इसलिये स्थायी संगठनकर्ता विद्यापीठ को चलाने के लिये धन की अनिश्चितता के कारण फिर भी कुछ-कुछ चिन्तित थे। परन्तु महात्मा गांधी ने एक समूचित राशि, जो उन्होंने महिलायां में एकत्र की थी, उन्हें सौप कर उनका उत्तमाह बड़ाया। वे स्वयं 6 फरवरी को प्रातःज्ञात पटना पहुँचे और उसी दिन विहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। विद्यापीठ का भाव "उन सभी राष्ट्रीय संस्थानों के जो प्रान्त में जन्म सेती चली जा रही थीं विश्वविद्यालय को समन्वित करना और उनका नियन्त्रण और मार्गदर्शन करना था।"

1. 'राष्ट्राद' पारसी एवं अंग व और 'आधम' उंगल का।

मजहूल हक विद्यापीठ के कुलपति और ब्रजकिशोर प्रसाद उपकुलपति वर्ने। जो छात्र सरकारी कालेजों की परीक्षाये नहीं देना चाहते थे, उनकी परीक्षा का प्रबन्ध किया गया। 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रान्त में 10 केन्द्रों में परीक्षा ली गयी। मेट्रिक्युलेशन परीक्षा सभी 10 केन्द्रों में हुई, परन्तु आई०ए०, आई०एस०सी०, बी०ए०, बी०एस०सी० परीक्षाये के बाल पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और मुगेर में हुई। मेट्रिक्युलेशन परीक्षा में कुल 387, आई०ए और आई०एस०सी० में 75, बी०ए० में 33 और बी०एस०सी० में 10 छात्र बैठे। उनकी परीक्षा उन्हीं विषयों में ली गयी, जिन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिये बैं तैयार कर रहे थे।

एक राष्ट्रीय महाविद्यालय भी स्थापित किया गया और राजेन्द्र प्रसाद को उसका प्रिसिपल बनाया गया। महाविद्यालय के अन्य अध्यापक थे आचार्य बद्रीनाथ बर्मी, जगन्नाथ प्रसाद प्रेम सुन्दर बोस, जगत नारायण नाल, रामचरित सिंह और अद्युल बारी। शीघ्र ही विश्वविद्यालय के कुछ सबसे अच्छे लड़के सरकारी कालेज छोड़कर चले आये और राष्ट्रीय महाविद्यालय में भर्ती हो गये। इन छात्रों के विषय में लिखते हुए राजेन्द्र प्रसाद ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये: “हमारे पास काम करने और जीने का एक उच्च आदर्श था। इसके सिवाय ऐसी और कोई चीज उन्हें देने को न थी, जिसकी तुलना उससे की जा सके जिसे वे पीछे छोड़ आये थे। उनमें से कुछ तो हमसे जुड़ गये और अब भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। परन्तु अन्य एक वर्ष या इससे कुछ अधिक समय तक काम करके फिर वापस चले गये और उनसे कुछ इस समय सरकारी सेवाओं में जिम्मेदारी के पदों पर विराजमान हैं।” राष्ट्रीय महाविद्यालय पर राष्ट्रीय शिक्षामंडल का स्वामित्व था, जो उसकी सामान्य नीति को निर्धारित करता था। प्रशासन की बातें, महाविद्यालय परिषद को सौंप दी गयी थीं जिसमें विद्यापीठ के कुलपति, उपकुलपति और रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रिसिपल और अध्यापक वर्ग के पांच सदस्य तथा राष्ट्रीय शिक्षा मंडल द्वारा निर्वाचित 6 व्यक्ति थे।

सदाइत भाष्यम सभी से बिहार में काप्रेस की गतिविधियों पर मुद्रा बेन्ड रहा है।

हिन्दू-मुस्लिम एकता के महान् दूत

स्थ० सिस्टर निवदिता ने अपने एक निवन्ध ने लिखा है “विहार करा ही

भारत का ऐसा प्रान्त रहा है और आज भी हमें विषय के सभी दोनों के सोग वसे। निःसन्देह अपनी सीमाओं के बन्दरबांधों और प्रडार के तख्तों की इसी निकटता के कारण विहार बन्दरबांध के छोड़े चौदांशिक प्रतिभाओं की जन्मभूमि बना है। एक ही ग्रन्थ के बन्दरबांध नहर उसके पीछे अशोक समस्त गुप्तवंश, शेर बहू और अन्य तेर नाविन्द विहार का पैदा होना उस प्रान्त के निर नाविन्द डॉल्हन की बन्दरबांध हृष्णियों के सामान्य हिस्सों से अधिक है।... बन्दरबांध बन्दरबांध संग्रहालय रहा है। कोई दूसरों का अन्यान्यासों मा निवास नहीं रहा है। हाँ एक ने सामयिक परिस्थितियों का विवेदन छोड़ा लिया है और उन्हीं समझा है तथा यह जानकर हि उन्होंने बन्दरबांध बन्दरबांध किया जा सकता है, उन्हें सही दिना ने बन्दरबांध बन्दरबांध गढ़ि बन्दरबांध की है।” विहार में, आमतौर से हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच बन्दरबांध सहयोग काफी समय तक सार्वविनिक गर्वितिहास की बृहत् बन्दरबांध विवेदन रहा। हमने असींगड़ बादोलन का उल्लेख किया है, बन्दरबांध बन्दरबांध भारतीय मुस्लिम सींग ही स्थापित हुए थे बन्दरबांध बन्दरबांध बन्दरबांध विहारी मुस्लिम नेताओं के हस्तगतों बन्दरबांध हो चुके थे। उन्होंने कहा है, “उन्हें तक विहार ने, मूलियों बांग बन्दरबांध के बन्दरबांध बन्दरबांध आवासाओं से प्रेरित होंगे तो होड़े हो जाएं बन्दरबांध के बन्दरबांध कर काम करने का बन्दरबांध बन्दरबांध बन्दरबांध हो जाएगा।”

पर दुर्भाग्य से एक विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आरम्भ से अन्त तक पृथक निर्वाचिन की माग का डट कर विरोध किया। इसके फलस्वरूप, भारत के अनेक मुस्लिम समाचारपत्रों ने उन पर तीखे प्रहार किये। डॉ सच्चिदानन्द सिन्हा ने कहा : “उन पर धूणा, उपहास और गालियों की वर्षा की गयी, परन्तु इनका उनके साहस और देशभक्ति पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। वे परिणामों की परवाह किये बिना लड़े और दृढ़ता से लड़ते रहे। वे हिन्दू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े दूतों में से एक थे। वे सदा उसका उपदेश देते थे और उसे सार्वजनिक रूप से तथा निजी तौर से भी व्यवहार में लाते थे। इस सम्बन्ध में कहीं परीक्षा में भी वे खरे उतरे।”¹ 1910 में डलाहावाद में, कांग्रेस-अधिवेशन में जब मुहम्मद अली जिन्हा ने विधान मंडल में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की निन्दा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया तो मौलाना नजहरुल हक ने बड़ी जोरदार भाषा में उसका समर्थन किया। उन्होंने मालै-मिन्टो सुधारों के क्रियान्वयन को दोनों बड़े सम्प्रदायों के समान हित के लिए धातक बताया और उन्हे सलाह दी कि “वे अलग अलग न रह कर मिल-जुल कर काम करें।”

अगले वर्ष हक को साम्राज्यीय विधान परिषद (इपीरियल लेजिस्लेटिव कॉसिल) में पृथक निर्वाचिन पर बोलने का अवसर मिला। पड़ित मदन मोहन मालवीय ने इस आशय का एक प्रस्ताव परिषद में प्रस्तुत किया था कि परिषद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी समूर्ण जनसंघ्या और सरकार को दिये गये उनके अशादान के अनुपात में होना चाहिए। उन्होंने शिकायत की थी कि पृथक निर्वाचिन और मिथित निर्वाचिन विधि के जरिये मुसलमानों ने इतना अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है कि उसका औचित्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। मजहूल हक ने उस भावना की आलोचना की जिस भावना से प्रस्ताव पेश किया गया था। उन्होंने कहा “श्रीमन्, विशेष निर्वाचिन विधि के सम्बन्ध में मेरे विचार सारे भारत को मालूम हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं छिपाया। मुझे विशेष निर्वाचिन के सिद्धान्त से कोई मोह नहीं है। मूले विश्वास

1. सिन्हा पूर्वोत्तम पुस्तक, पृष्ठ 79

नहीं कि यह सिद्धान्त ठोस है। विशेष निर्वाचित मंडलों से कोई लाभ तो है नहीं पर इतना आवश्य है कि संयुक्त भारत के सपने कुछ हद तक पिछड़ जायेंगे। परन्तु हम को देश को परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। मुसलमान विशेष निर्वाचिक मंडल की माग क्यों करते हैं? कुछ इस विशेष माग का सही उत्तर माननीय श्री गोखले ने दिया है। कुछ अपवादों को छोड़ कर सभी मामलों में, विधान-परिषदों या जिला धोंडों की मुनिसिपेलिटियों के अधिकाश चुनावों में मुसलमान विलकूल कहीं के नहीं रहते। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही प्रत्याशी के रूप में यहे होते हैं, इसलिए नहीं कि उनके सिद्धान्तों या विचारों में कोई अन्तर होता है। वे सब मुश्य रूप से धर्म के आधार पर अपने निर्वाचिकों का समर्थन चाहते हैं। हिन्दू को हिन्दू बोट देता है और मुसलमान मुसलमान को। नतीजा यह होता है कि संघ्या में कम होने के कारण मुसलमान हार जाते हैं। यही मुश्य कारण या जिससे मुसलमान एक शिष्टमंडल को लेकर श्रीमान जी के पूर्वाधिकारी के पास गये और उन्होंने विशेष निर्वाचिक मंडल की माग की।

वास्तव में मिथित निवाचिक मंडलों का सिद्धान्त ही अन्तिम सिद्धान्त है, जिस पर भारत और भारतीय संसद काम करेगी। वेवल कुछ ही वर्ष पहले जब हिन्दू और मुसलमान दोनों मिथित निवाचिक मंडल के गिद्धान्त पर लट्ट रहे थे, तब मृगे अपने तत्कालीन नेता अली इमाम के साथ काम करने का सोमाय्य और गोरख प्राप्त हुआ था, और हम दोनों मिथित निवाचिक के दीच सहते रहे थे क्योंकि मृगे विश्वास या कि वह समय आयेगा जब हिन्दू और मुसलमान मिलेंगे और साय-साय काम करेंगे। तब न तो थर्ड मेंद रहेगा और न देश में सम्प्रदायवाद रहेगा तथा इन विशेष निवाचिक मंडलों के निए कोई स्थान भी न रहेगा!..... 1890 के दशक के आरम्भ में मैं स्वयं संयुक्त प्रान्त में था और तब उनमें बड़ी दोली थी यह में जान गया था परन्तु दुमधिय से कुछ बात हो गयी है और अब दोनों एक दूसरे के बहिष्पार पर तुने हूए हैं 1...मेरे अपने प्रान्त विहार में, मृगे यह बहने में गवं है कि हिन्दू और मुसलमान हाथ से हाथ मिला कर

काम करते हैं। हम एक-दूसरे के प्रति शवृता की भावना से कभी काम नहीं करते। यदि कोई मतभेद पैदा होता है तो नेता लोग बैठ कर चन्द मिनटों में उसे दूर कर देते हैं।

“इस परिषद में हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसे प्रस्ताव न लायें जो दोनों सम्प्रदायों में से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हों और उन्हें उत्तेजित करते हों। इन दिनों सच्चे देशभक्त का यह काम है।....

“श्रीमन् यदि मेरे मिल इस प्रस्ताव को इस भावना से प्रस्तुत न करते जिस भावना से किया है तो मैं उनका समर्थन करता। परन्तु उन्होंने जो भाषण दिया है उसके बाद मैं अन्तःकरण से उनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। इम शब्दों के साथ मैं उनका विरोध करता हूँ और पूरे जोर से विरोध करता हूँ।”

दिसंबर 1912 में घटना में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष को हैसियत से उन्होंने बिहार में विद्यमान साम्राज्यिक एकता का बड़े सन्तोष के साथ वर्णन किया। उन्होंने कहा, “बिहार में हम अपने को ऐसे लोगों की अपूर्व स्थिति में लाने का दावा करते हैं जो हिन्दू-मुसलमान के प्रश्न से प्रभावित नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भेदभाव से मुक्त है। इस भौतिक संसार में ऐसे कल्पना प्रसूत आदर्श स्थिति असम्भव है। जब तक मानव स्वभाव मानव स्वभाव रहेगा, तब तक सदा ऐसे लोग रहेंगे, जो स्वार्थसिद्धि के लिए या अस्थायी लाभ के लिए अथवा किसी गलत धारणा से राष्ट्रीय हितों को भाड़ में झाँकने के लिए तैयार रहेंगे। परन्तु हमारा दावा यह है कि लोगों का हृदय अन्दर तक साफ़ है और यदि दुर्भाग्य से कोई मतभेद पैदा हो जाता है, जैसा कि कभी कभी होना स्वभाविक है तो वह दूर हो जाता है और दोनों बड़े सम्प्रदायों के सामान्य अच्छे सम्बन्धों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं ढालता। दोनों एक ही आदर्श से प्रतिवद हैं, दोनों एक ही मंच पर काम करते हैं और दोनों ही अपनी मातृभूमि की भलाई के लिए कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी अन्तर बहा है, इस प्रश्न के हल में ही भारत की मुक्ति है।

यही उन प्रश्नों का एक प्रश्न है जिस पर प्रत्येक सच्चे देश भवत भारतीय को विचार करने की कोशिश करनी चाहिए और उसे हल करना चाहिए....

“एक जाति, जिसकी जनसंख्या 7 करोड़ है और जिसमें कुछ बहुत अच्छे दुदिजीवी और उच्च कोटि के लोग हैं, एक ऐसा कारक और एक ऐसी शक्ति है, जिसे आसानी से उपेक्षित नहीं किया जा सकता और न किया जाना ही चाहिए। मैंने एक आदर्श, एक लक्ष्य को लेकर संकल्प और उत्साह से मरे अपने भाग्य की अन्तिम सिद्धि के लिए शान्तिपूर्ण प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, 31 करोड़ 50 लाख मानवों का चित्र अनेक बार अपने दिमाग में जातारा है। इतनी यही शक्ति संसार में कही भी अप्रतिरोध्य होगी। परन्तु इसका उल्टा पहलू जिसमें 7 करोड़ सोग मुख्य समूह से कटकर उल्टी दिशा में चलने लगे इतना भयानक है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।”

उन्होंने बाल्कन दूरधों में हिन्दुओं द्वारा मुस्लिम शरणार्थियों के उत्पीड़न के प्रति दिखायी गयी व्यापक सहानुभवि का भी उल्लेख किया। मजरहल हक के लिए यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि संकट और घटारे के समय दोनों समश्रदाय एक हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने हिन्दुओं से अपील की कि वे अपने दिमाग से इस विचार को निकाल दें कि मुस्लिम भारत की ओर न देख कर अरब की ओर अधिक देखते हैं और इसीलिए उनकी देशभक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा “मैंने ऐसी आतोचनायें पढ़ी हैं कि भारत के मुसलमान भारत के बारे में न सोच कर तुर्की और अरब के बारे में अधिक सोचते हैं। यह बिल्कुल सच है। परन्तु इन आतोचकों ने कभी यह समझने की भी कोशिश की है कि ऐसा क्यों है? बहस्तविकता यह है कि इस संसार में धर्म सदा ही मानव प्रोट राष्ट्र के व्यवहार का मुख्य निर्णयिक कारक रहा है और भव भी है। प्रोट मुस्लिमों का धर्म भारत से बाहर है। हम्नाम वा यह एक मुख्य सिद्धान्त है कि सभी मुस्लिम, चाहे वे विभी राष्ट्रोदयता, प्रजाति या जीवन स्तर के हों, माई-माई हैं। उनके युद्ध के पर में न कोई गुरुद्वित ख्यात है प्रोट न कोई विशिष्ट स्थान है प्रोट तुच्छ में तुच्छ मुस्लिम भी संगठन के बड़े से बड़े भूमिकानी समाट को महत्व न देगा। इसका पासन गिरान्त हृषि में हो नहीं, प्रत्येक व्यवहार में भी किया।—

है। इसलिए भारत से बाहर की ओर देखने वाले मुसलमानों पर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। जब तक कोई मुसलमान है, तब तक वह अपनी धार्मिक मुक्ति के लिए भारत से बाहर देखेगा और विना देखे न रहेगा। मैं अपने हिन्दू भाइयों को यह बताना चाहता हूँ कि वे अपनी दृष्टि व्यापक बनायें तथ्यों को तथ्यों के रूप में स्वीकार करें तथा स्थिति को उदारता और सहनशीलता के साथ काबू में करें। वास्तव में मेरा विश्वास है कि यदि वे स्थिति को पूर्ण रूप से और सहानूभूति के साथ समझें, तो वह भारतीय राष्ट्रीयता के हित के लिए कमज़ोरी के बजाय शक्ति का स्रोत बन जाएगी।"

अपने सहधनियों को मजहबूल हक ने सलाह दी कि "चूंकि आप मुसलमान हैं, इसलिए आप भारत से बाहर देखे विना नहीं रह सकते, परन्तु आप अपनी मातृभूमि को न भूलें। भारत को अपने सन्तरत पुत्रों से बहुत आशायें हैं, और उसके हितों को उपेक्षा पाप के समान है।" अन्त में उन्होंने कहा, "यह मेरे जीवन का कार्य है। मैं चाहता हूँ कि दोनों सम्प्रदाय एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे की कमज़ोरियों को सहन करें, हाथ से हाथ मिलायें और साथ साथ काम करें। मेरी समस में यह एक बड़े से बड़ा कार्य है, जिसकी पूर्ति मेरे एक भारतीय को अपना जीवन लगा देना चाहिए।"

1915 में मौलानाम जहरुल हक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने गये। यह वास्तव में उनकी भारी विजय थी। आरम्भ में, यह संगठन उन मुस्लिमों के हाथ में था, जो काप्रेस के हित के विरुद्ध थे। मजहबूल हक जैसे, राष्ट्रवादी मुसलमानों के अद्यक्ष प्रदत्ती से यह धीरे-धीरे काप्रेस के आदर्शों की स्थीरता की ओर विचरता रहा। उसमें एक नयी भावना जागृत हुई और मजहबूल हक ने अनुमति किया कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अमीर्ट महत्वकालान्त्रों की पूर्ति के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य घनिष्ठ सहयोग की अपनी हादिक इच्छा को रेखांकित किया। भाषण के सम्बन्ध में अपनी सम्पादकीय टिप्पणी में 'दी एक्सप्रेस' (5 जनवरी,

1916) ने लिया : “जब कभी भारत के कल्पण के सम्बन्ध में भीर केवल सबसे पहले ही भारतीय नहीं, बाद में भारतीय भीर भन्त तक भारतीय, भारतीय भीर केवल भारतीय रहे हैं। वे किसी समुदाय भीर व्यक्ति का पदा नहीं लेते, बल्कि उनको तरफ होते हैं, जो किसी समुदाय भीर या सम्प्रदाय के, वह सम्प्रदाय चाहे अपना हो या इस्लाम, अधिकारों भीर हितों की अवहेलना किये बिना, सम्पूर्ण भारत की उम्मति चाहते हैं। बाद में मुस्लिम लीग की भूमिका के प्रति हक के रथ का पता ‘दी मदरलैंड’ (9 जनवरी, 1922) में ‘दी मुस्लिम लीग’ भीरक से प्रकाशित एक सम्पादकीय लेख से चलता है। यह मुस्लिम लीग के एक पहले अधिकारों के सम्बन्ध में या, जिसमें मुस्लिम लीग के एक पृथक राजनीतिक संस्था के रूप में जारी रखने की उपयोगिता या अनुपयोगिता के बारे में कुछ विचार हृदय या। मध्यका मोलाना हसरत मोहानी ने उसे जारी रखने का समर्थन लिया था। परन्तु स्वागत समिति के मध्यका मन्त्रालय तंयवजी ने उसे हमारी राष्ट्रीय एवता भीर धार्मिक विश्वास के लिए, घातक बताया था। इस विचारविमां के सन्दर्भ में, हक वे कहा, “मुस्लिम लीग को कांग्रेस में मिला दिया जाय यह कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह बाद रखना चाहिए कि मुस्लिम लीग 14 वर्ष पहले बनी थी। उस समय मुस्लिमों ने सोचा था कि मध्य सम्प्रदायों से अपने राजनीतिक अधिकारों की रका के लिए उनसे एक पृथक संस्था का होना आवश्यक है। माराठियन वर्षों में लीग सरकार को सद्भावना की पूर्ण सेंक रही थी। परन्तु जल्दी ही यह पता चल गया कि भलगाव नीति घातक है भीर मुस्लिम नेताओं के सुदृढ़देशों से कांग्रेस भीर लीग के मध्य स्वस्थ सौमनाम्य सम्बंधों की रखापना हो गयी सम्बन्ध अधिकारों में पूर्ण समझौता हो गया भीर मुस्लिम हिन्दों की रका का राम कांग्रेस द्वारा इसलो वर्तमनिष्टा के काय लिया गया कि हाल के वर्षों में सोय वा राम केवल कांग्रेस को प्रबल समर्थन देना एवं रुदा है। इसारे मत से, मुस्लिम लीग को बने एवता चाहिए, परन्तु उस पर्योजन के लिए नहीं, जिसके लिए वह रायावित की गयी थी, अवैटि

मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्खा के लिए नहीं। यह काम तो पूरी तौर से कांग्रेस के लिए, जो संयुक्त भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है, छोड़ देना चाहिए। परन्तु मुसलमानों के राजनीतिक हितों से अलग अद्वैताधार्मिक प्रश्न और हित हैं, जो या तो केवल मुसलमानों से सम्बन्धित हैं या अन्य सम्प्रदायों के साथ उनके सम्बन्धों से। इन प्रश्नों के ठीक-ठाक हल के लिए मुस्लिम लोग के अस्तित्व को बनाये रखना बहुत सामदायक होगा।”

जैसा कि मजहबल हक ने कहा है, दोनों सम्प्रदायों में एकता का विचार उनके दिमाग में तब अत्या, जब उन्होंने हिन्दू दर्शन शास्त्र पढ़ा जो उनके विचार से सर्वोल्हृष्ट है। उन्होंने अपने सहधर्मियों को सलाह दी कि वे हिन्दू-दर्शन पढ़ें और हिन्दुओं को सलाह दी कि वे मुस्लिम-दर्शन तो न पढ़ें पर कभी से कभी इतिहास अवश्य पढ़ें, क्योंकि तभी उनको अपने ऐसे भाई होने का गर्व होगा। उन्होंने दोनों सम्प्रदायों के हितों की समानता की ओर इंगित करते हुए कहा, “अपने देश के मामलों में मैं एकमात्र अपनी मातृभूमि की प्रमाति पर दृष्टि रखते हुए, सभी सम्प्रदायों के मध्य सद्भावना और घनिष्ठ सहयोग के पक्ष में हूं। यदि हम भारत को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रश्नों को काफी गहराई से देखें, तो पायेंगे कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो सबको समान रूप से प्रभावित न करता हो। क्या हम पर हमारे हिन्दू धर्म पारसी भाष्यों से कम कर लगाये जाते हैं? क्या हाल ही में जो दमन कानून बनाये गये हैं, वे सिखों या मराठों की अपेक्षा मुसलमानों को कम प्रभावित करते हैं? क्या मुसलमानों के अखबार हिन्दुओं के अखबारों से अधिक आजाद हैं? क्या न्याय प्रशासन भारत के विभिन्न सम्प्रदायों पर विभिन्न प्रभाव डालता है? क्या शास्त्र कानून के बठोर और द्वेषपूर्ण विद्यान केवल जुझाझ जाति के लिए ही सुरक्षित हैं भीर वया गैर-जुझाझ उनसे मुक्त हैं? नहीं, सच्चाई यह है कि कानून, करायान, न्याय-प्रशासन, शिक्षा आदि महत्वपूर्ण मामलों में हम सब एक ही नाब में हैं और साथ ही साथ ढूँबेंगे या तैरेंगे। हम अनावश्यक रूप से हिन्दुओं से डरते हैं और उनका अविश्वास करते हैं। हमें शासन का ध्यय ही भय रहा है और अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं रहा और

हमने अपने को हसरों पर निर्भर बना लिया है। यह सभी बदलना चाहिए। इस नीति ने हमें अपने देश के सावंजनिक जीवन में अपने उचित भाग के उपभोग से बंचित कर दिया है जिससे हमारे सर्वोत्तम हितों की अपार धृति हड्डि है। हमे स्वतंत्रता लेनी है और ताजा हवा में अपनी आगे योलनी है।"

मजहबल हक्क को तब बहुत धक्का लगा, जब उन्ही के प्रान्त विहार में शाहीबाद में, 1917 के बवरीद के त्योहार पर, एक भारी साम्राज्यिक दगा हो गया। साम्राज्यिक उन्माद ने शीघ्र ही समूण जिले को अपनी चपेट में ले लिया और वह निकटवर्ती गया जिसे मौके के लिया गया। चारों ओर से लूट और हत्या के समाचार आने लगे। बलबत्ता के कुछ समाचारपत्रों और स्थानीय समाचारपत्रों ने घटनाओं के अतिरिक्त विवरण आपकिर यान बहादुर अहमद अली को, कथित पशापात्रपूण रखें के लिए विशेषरूप से दोधी छहराया गया। मजहबल हक्क देर तक शुपचाप घड़े देखते रहे सर्वते थे। वे स्वयं प्रभावित गांधी में गये और उपद्रवों की जाच-पड़ताल की। इससे "मुस्लिम जनता" को तुरन्त कुछ भाराम और संतोष मिला।" शाहीबाद के उपद्रवों पर मजहबल हक्क की रिपोर्ट बलबत्ता के 'सदाचार' (6 नवम्बर, 1917) में इसी ओर उम्मा मंडोप एवं सरकारी रिपोर्ट में छापा जो इस प्रकार था : "उन्होंने यान बहादुर अहमद अली को इस दोपारोपण में मुक्त कर दिया है जिससे उन्होंने ने शुरू कराया था। सभी जातियों के हिन्दुओं ने दोनों में और मुस्लिमों ने भूटने में भाग लिया था। दोनों को विशालतम् को देखते हैं, पापल मुसलमानों की सरक्या बहुत कम थी। महिलाओं का गोलमण, गिरुओं की हत्या, मस्जिदों को धरवित करने, बुरान को नष्ट करने और स्त्रियों के बुझों में बूढ़ने की बहानियों का वास्तव में कोई आधार नहीं है। उन्होंने महाराजा डूमराव, मूरज पुरा के बौर साहब, गरहनों के बाबू लष्टकन किए हैं और भारा के हिन्दू जमीदारों को देखाये थे। बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के जान-मास को रखा की थी। मिं हक्क तक इस यान का विस्तार करने का तैयार नहीं है जिससे उपद्रव होने का वास्तव

द्वारा शुरू किये गये आनंदोलन का परिणाम था और न वे इस मत का समर्थन करते हैं कि जिला अधिकारियों ने भारत मन्त्री को यह दिखाने के लिए कि हिन्दू और मुसलमान एक नहीं हैं, इसे जानवृक्षकर शुरू किया था। इस उपद्रव का कोई राजनीतिक आधार नहीं है।"

बकरीद के दंगो से सम्बन्धित मुकदमों पर विचार करने के लिए स्थानीय सरकार ने चार न्यायाधिकरण स्थापित किए। उन्होंने 1918 के मध्य तक अपना काम लगभग पूरा कर लिया और शाहाबाद के जिलाधीश ने उच्चाधिकारियों को राय दी कि शान्ति और व्यवस्था बहुत कुछ कायम हो गई है, इसलिए न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया जाए। 1 अगस्त, 1918 को, उसे सूचित किया गया कि आपकी यह सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है कि बकरीद के दंगों के सम्बन्ध में दायर किए गए मुकदमों में भगोड़ों की जांच के लिए शाहाबाद में नए न्यायाधिकरण स्थापित न किए जायें। इसलिए, भगोड़ों के विहङ्ग जारी किए गए वारट बापस ले लिए जायें। परन्तु यह आम माफी सरगनों को नहीं दी गयी।

शाहाबाद के दंगो ने अविश्वास का बातावरण पैदा कर दिया और कुछ समय तक विहार के अनेक जिलों में दोनों सम्प्रदायों के मध्य संघर्ष के मामले में सरकार के नोटिस में आते रहे। सावधानी रखने के बावजूद भी, कुछ मामलों में उपद्रव नहीं रोके जा सके। दोनों सम्प्रदायों के शिक्षित नेता ईमानदारी से यह महसूस करते थे कि सम्बन्धों में खिचाब का जारी रहना देश के स्वस्थ राजनीतिक और सामाजिक विकास और सांविधानिक प्रगति के लिए बाधक है। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि खुले हुए धाव को भर दिया जाए। देश के खिलाफ आनंदोलन ने उन्हें आवश्यक अवसर प्रदान कर दिया। स्थानीय सरकार, स्वयं भी, दूसरे कारणों से ही सही, सामान्य स्थिति साने के लिए उतनी ही उत्सुक थी। प्रान्त में खिलाफ आनंदोलन पर उसे पूरा प्यान देना था। और वह नहीं आहती थी कि पुलिस पर और अधिक भार ढाला जाए। शाहाबाद के दंगों ने फिलहाल अनेक जिलों में पुलिस के काम को अस्तव्यस्त कर दिया था। इसलिए स्थानीय सरकार ने आगे बढ़कर 5 जुलाई, 1920 को पटना में

नेताओं का एक सम्मेलन दुलाया। सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता मेसूरियर ने की, निम्नाकित नेताओं ने भाग लिया—सूरजपुरा के राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, खानवहादुर सैयद मुहम्मद नईम, खानवहादुर छवाजा मुहम्मद नूर, बाबू अदितप्रसाद सिंह, खानवहापुर सैयद फखरहदीन, मजहूल हक, रेजाल हुसैन, अब्दुल अजीज, मौलवी मुहम्मद जलील, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, बाबू गोरखप्रसाद और बाबू हरिकृष्ण सिंह।

मजहूल हक ने देशभर में सान्तवना-समितियों की स्थापना की आवश्यकता पर भाषण दिया। उनका व्याल था कि शिक्षित वर्ग का प्रभाव उतना नहीं है, जितना भूफस्तिल धोकों के मौलियियों आर पड़ियों का है। उनके अनुसार मौलवी गोवध के विद्वद् थे, इसलिए वे सान्तवना समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते थे। सान्तवना समितियों के काम के असावा, राजनीतिज्ञों का भी यह काम होना चाहिए कि वे गावों में जायें और जनता से अपील करें। वे गोवध को नितान्त धार्मिक आवश्यकता नहीं समझते थे, अतः उन्होंने स्पष्ट रूप से सलाह दी कि गोवध अन्तिम रूप से बन्द हो जाना चाहिए। सान्तवना समितियों के सदस्यों का अपन गैर-राजकारी सौगां पर छोड़ देना चाहिए। पदि सान्तवना समितियों वास्तव में प्रतिनिधिमूलक हुई तो वे विधायियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी और यदि वे समझौता कराने में विफल रहीं, तब भी अधिकारियों को जानकारी तो दें ही सकेंगी।

अन्य सशस्यों ने भी अत्यन्त स्पष्टता से अपने मत प्रवर्ठ किए। शम्भेलत द्वारा सर्वेदम्भति से स्वीकृत गिराविल यह थी कि ऐसे गमी धोकों में, जहा उपद्रव हुए थे, स्थानीय समितिया स्थापित की जायें। शपरियर उपराज्यपाल ने यह गिराविल स्वीकार कर ली और तत्त्वावधी एक गश्नी पत्र, 27 जुलाई, 1920 वो, डिवीजनल विभागों के पास भेजा। परन्तु सान्तवना समितियों के काम के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। गोप्य ही, गिराविल और अस्त्येत आन्दोलनों के तुरन्त बाद याँगें ने राष्ट्रीय स्थानेवक दल, ग्राम नेता दल आदि अनेक गम्भाएं स्थापित कर दाती।

खिलाफत और असहयोग आन्दोलन के दौरान मजहबल हक ने हिन्दू मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने जितनी सभाओं को सम्बोधित किया, लगभग सभी में उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। नीचे हम 19 मार्च, 1921 को, झरिया में दिए गए उनके भाषण की खुफिया (सी० आई० डी०) रिपोर्ट से उद्धरण देते हैं :

पूर्ण विचार के बाद, उन्होंने (मजहबल हक ने) सोचा कि गौकशी ही एक ऐसी चीज़ है, जो हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग करती है। वे मोलवी खलीलदाम¹ के इस विचार से सहमत न थे कि गौकशी कम से कम तब तक बन्द रखी जाए, जब तक खिलाफत का प्रश्न हल हो, उन्हें यह बहना चाहिए कि गौकशी सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए। जिन हिन्दुओं के साथ वे 1000 वर्ष से रह रहे हैं, उनकी आवनाओं को, उस गाय की हत्या करके, जिसे वे 'देवता माना' मानते हैं, उन्हें ठेम नहीं पहुंचानी चाहिए। पड़ीसी के दिल को दुखाना न्यायसंगत नहीं है। मुसलमानों का धर्म उन्हें गायों की हत्या करने को इजाजत नहीं देता। मेरा स्वाल है कि गाय खाओगे तो गाय हो जाओगे, अगर सुअर खाओगे तो सुअर हो जाओगे, जैसे अंग्रेज़ सुअर हो गया। ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो अपना प्रभाव नहीं डालती।

मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने नहा है कि अब उन्हें अपने पढ़ीसियों की आवनाओं को आधात पहुंचाने से बाज आना चाहिए और हिन्दुओं से कहा कि इस प्रश्न को उन्हें मुसलमानों पर छोड़ देना चाहिए। हिन्दू गोवध के कारण मनुष्यवध करते हैं। आरा के दंगों में

1. अपनों 'आत्महत्या' में हा० राजेन्द्र प्रभाद ने खनीसदास का उद्देश दिया है। शुरू में उम्मा नाम मुहम्मद खलील था। वह सदाचार आधात के आराम्भिक नियामियों ने से था। वह बुद्धिमान भी था और विद्वान् भी। परन्तु एक दिन मजहबल हक ने इस आधार पर उसे 'आत्मसे से नियाल दिया, तिं वह आधात के अवृत्तासन के विरुद्ध तात्प्रदायित्व दियार्थी था प्रचार कर रहा था। कोई भी तरह हक दो अपने नियंत्र से न हटा सका। बाद में खलील यू० पी० में और अन्य अनेक दर्जों के चिए बास्तव में त्रिम्पेदार पाया गया।

बहुत से लोग मारे गए हैं। धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। वध की हड्डि गायों को सब्द्या कम हो गई है। परन्तु उन्होंने हिन्दुओं से कहा कि गाय के सम्बन्ध में आप अपने को बलग ही रखें, और मुसलमानों से कहा कि यदि आपको अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत का कुछ भी ध्यान है और यदि आप राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो आपको गोवध बन्ध करके हिन्दुओं के प्रति अपने दायित्वों को स्वीकार करना चाहिये।

"यह एक हिन्दू (गाढ़ी) को आवाज थी जो खिलाफत के पश्च में दुलन्द की गई थी। उनके धर्म की खातिर गोवध बन्ध कर दी जाए। ऐसे बहुत से अन्य पशु हैं जिनका वध किया जा सकता है। यदि गाय का प्रश्न हल हो गया तो पूर्ण एकता हो जायेगी!"

"हिन्दू-मुस्लिम एकता अत्यावश्यक है। इसके बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता।"

जब तक खिलाफत और असहयोग आनंदोत्तम अपने उत्कर्ष पर रहे, तब तक हिन्दू-मुस्लिम एकता का भविष्य कुछ उज्ज्वल दीखता रहा। परन्तु दुर्मिय से यह एकता, जो पिछले दो वर्षों के इतिहास को प्रमुख विशेषता थी 1922 के मुहर्रम में भंग हो गई जब मुसलमान में साम्रादायिक भावना आकाश को छू गई। जिससे जन-धन को अपार हानि हुई। एकता की पुनर्स्वापना के लिये किये गये सतत प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। मगहरूल हक ने देश में साम्रादायिक स्थिति का वर्णन 'दो मदरलैंड' (22 सितम्बर, 1922 में) 'हिन्दू-मुस्लिम एकता' शीर्षक से इस प्रकार किया :

"हमें यह सोचकर दुख होता है कि काग्रेस तथा समाचारपत्रों द्वारा यार-चार दी गयी चेतावनियों के बावजूद हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों में तनाव दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। हम तथ्यों का स्पष्ट वर्णन करते हैं क्योंकि हम अपने को धोखा नहीं देना चाहते। कुछ को छोड़कर ऐसा कोई प्रान्त नहीं है, जहाँ दोनों सम्रदायों में कलह नहीं हुई। बंगाल में मुसलमानों की ओर अपना जुकाम प्रदर्शित करने तथा यह आप्रह करने के लिये कि मुसलमान युवकों की शिक्षा के लिये अधिक सुविधाये दी जायें,

मि. फजलुल हक का मजाक उड़ाया गया। तेलिनोपाड़ा का मुहरेम दगा थब भी हमारे दमागों में ताजा है। विहार में, जो हिन्दू-मुस्लिम विप्लव का युद्धक्षेत्र है यद्यपि जनता ने गम्भीरता और समझौते की भावना का परिचय दिया है, परन्तु बुद्धिवादी तिल का पहाड़ बनाने में नहीं चुके। परियद में कुछ मुसलमान पार्टियों ने म्यूनिसिपलिटी में अधिक कानूनी अधिकारों की मांग की, परन्तु जब फखरूदीन और नूरल हसन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि मुस्लिम हित का कभी हनन नहीं हुआ तो वे मान गये। पजाब मामला सबसे अधिक गड़बड़ है। हिन्दू पार्टियों ने मुस्लिम मन्त्री की पक्षपातपूर्णता की शिकायत की और दोनों ने अपना मामला एक विदेशी-राज्यपाल के समक्ष रखा, जिसने डनियल को तरह घोषणा की कि दोनों तरफ बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुल्तान के उपद्रवियों ने तो महाविप्लव खड़ा कर दिया। उन्होंने धार्मिक स्थान जला दिये, महिलाओं का शील भंग किया और जो भी शरारत वे कर सकते थे उन्होंने की। मद्रास की कहानी भी उतनी ही शर्मनाक है। यद्यपि भोपाल उपद्रव शान्त हो गया है, किर भी, उसके पीछे बहुत कुछ हुआ। इन घटनाओं और तथ्यों का वर्णन करते समय हमारा शरीर धर्ता है और हमारा हृदय अवसर हो जाता है। स्थानीय समाचारपत्र भी दलगत पक्षपात से मुक्त नहीं रहे। जब फजलुल हक ने बगाल मुस्लिम हितों का समर्थन किया तो सबसे अधिक उदार समझे जाने वाले पक्षों ने भी समय से काम नहीं लिया अपितु, उसके सिर पर ओलो की वर्षा कर दी। पजाब के दैनिकों ने भी अधिक उदारता नहीं दिखायी।

बगले वर्षों में देश में और भी अधिक साम्प्रदायिक झगड़े हुये। सबमें अधिक भयकर कोहाट में (1924) में हुआ। उसकी प्रतिक्रिया विहार में भी हुई। विहार प्रान्त में अनेक स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हुये; इनमें सबसे अधिक दिल दहलाने वाला भागलपुर में हुआ। महात्मा गौद्धी के 21 दिन के उपवास और एकता सम्मेलन के सदस्यों की प्रतिज्ञा से नि.सन्देह स्थिति में तत्काल मुधार हुआ। परन्तु शोध ही देश पुनः निराशाजनक तताव की स्थिति में पहुच गया। आर्य समाज के शुद्ध आनंदोननके संगठनर्माओं और तक्षिकरों तबलिग आनंदोनन के मुस्लिम

संगठनकर्ताओं ने अपना-अपना प्रचार तेज कर दिया। दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद सभी भाषानक सम्प्रदायिक उपद्रवों से प्रभावित हुये। 1 मई, 1925 को कलकत्ता की एक सभा को सम्बोधित करते हुये महात्मा गांधी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर अपने भाव इस प्रकार प्रकट किये : “मैंने अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली है। मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि मैं एक वैद्य की तरह रोग का इलाज न कर सका। मैं नहीं समझता कि हिन्दू और मुसलमान मेरी दबा स्वीकार करने को संधार हैं। इसलिये थाजकल में समस्या का केवल सरसरी तौर पर उल्लेख कर देता हूँ और यह कह सन्तुष्ट हो जाता हूँ कि यदि हम अपने देश की मुकित चाहते हैं तो हम हिन्दुओं और मुसलमानों को किसी न किसी दिन एक होना पड़ेगा। और यदि हमारे भाग्य में यही बदा है कि एक होने से पहले हमें एक दूसरे का खून बहाना है तो मैं कहता हूँ कि यह काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा। तब हमें घड़ियाल की तरह आँख नहीं बहाने चाहियें। यदि आप किसी को सहानुभूति नहीं दे सकते तो किसी से सहानुभूति मांगिये भी नहीं।”

विहार की ओर भी हिन्दू और मुस्लिम उपदेशकों का ध्यान गया। स्वामी श्रद्धानन्द तथा अर्य आर्य समाजियों ने सक्रियता के साथ विहार का दौरा किया। दूसरी ओर, द्वाजा हसन निजोमती पटना गए और उन्होंने वहाँ के अग्रणी मुस्लिम नेताओं के साथ अपने सम्प्रदाय के गठन की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। विहार सरकार की 31 अगस्त, 1925 की पारिक गुप्त रिपोर्ट में लिखा : “गया और शाहाबाद जिलों में हिन्दू मुस्लिम भावनाओं में अधिक कटुता आ गई है। गया और सासाराम में हिन्दुओं द्वारा मुहरम के जलूस के बहिष्कार के बाद कुछ स्थानों मुसलमानों का आम बहिष्कार शुरू हो गया है। नीची जातियों के हिन्दू नौकर मुसलमानों की नौकरी छोड़ रहे हैं और हिन्दू कृषि मजदूर उनके खेतों से काम करने से इन्कार कर रहे हैं। सासाराम में बहिष्कार पारम्परिक है और हिन्दुओं तथा मुसलमानों के सामाजिक सम्बन्ध पूरी तरह टूट चुके हैं। ऐसा विश्वाश किया जाता है कि दोनों ओर के प्रभावशाली आदमी टकराव रोकने के लिये बस्तुतः उत्सुक नहीं हैं, परन्तु उन्हें डर है कि कहाँ उनकी पार्टी उन्हें समझौताबादी न समझे।

व्यापक साम्राज्यिक तनाव से अत्यन्त दुःखी होकर मजहूल हक् ने, 10 जून, 1926 को छपरा में, विहार के प्रमुख काँग्रेसियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें खिलाफत कमेटी के कुछ सदस्य तथा कुछ अन्य लोग शामिल हुए। सम्मेलन में साम्राज्यिक कटुता के ज्वार को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निश्चय किया। तदनुसार यह निश्चय किया गया कि मजहूल हक्, मौलवी मुहम्मद शकी, जगत नारायण लाल, राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य इस प्रयोजन के लिए प्रान्त का दीरा करें। इससे निःसदैह स्थिति में सुधार तो हुआ परन्तु तनाव जारी रहा। इसी पृष्ठभूमि में, नवम्बर 1926 में, स्थानीय विधान परिषद के चुनाव हुए। मजहूल हक् भी प्रत्याशी थे परन्तु वे चुनाव हार गए। उनके अपने सम्प्रदाय वालों ने तो उन्हे इसलिए छोड़ दिया कि वे उन्हें हिन्दू पक्षपाती कहते थे और हिन्दू मतदाता उन्हें अपना नेता ही नहीं मानते थे। मजहूल हक्, जो जीवन भर साम्राज्यिक एकता के पुजारी रहे इस आधात को न सह सके। लगभग इसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र का देहान्त हो गया जिससे उनका दुख और भी बढ़ गया। ये दोनों घटनाएँ उनके लिए अत्यधिक दुःखदायी सिद्ध हुईं और वे सक्रिय राजनीति से पूर्णतया अलग हो गए तत्पश्चात् उनके मित्रों ने उन्हें बहुत मनोया परन्तु वे उन्हें सन्यास के लिए किए गए अपने निर्णय से न हटा सके।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अन्त तक उनके साथ अपना समर्पक जारी रखा। 1925 से 1927 तक देश में साम्राज्यिक स्थिति का तहाजा या कि कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा हो, जो दोनों सम्प्रदायों पर अपना जोरदार प्रभाव ढाल सके। मौलाना आजाद के विचार से मजहूल हक् ही ऐसे व्यक्ति थे, जो सबसे अधिक उपर्योगी अध्यक्ष हो सकते थे। इसलिए उन्होंने मजहूल हक् को लिखा (20 अगस्त, 1926) : “मैं यह महसूस करता हूँ कि कांग्रेस को आगामी वर्ष में काम के लिए केवल एक ही नारा अननना चाहिए—हिन्दू-मुस्लिम एकता—और कांग्रेस के सभा समठनों का आगामी 12 महीनों के लिए इस नारे की पूर्ति के संघर्ष में जंट जाना चाहिए। ऐसे नारे की पूर्ति के लिए एक उपयुक्त अध्यक्ष को आवश्यक रहा है। श्री निवाम गैर-मन्त्रियों वाले स्वतन्त्र विचार वाले और योग्य

व्यक्ति हैं। परन्तु उत्तर भारत में वे किसी काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यदि आप उठें और आगामी बारह महीनों के लिए अपने को समर्पित करें, तो इसकी पूर्ति के लिए किथा गया थम निश्चय ही प्रभावी और फलप्रद सिद्ध होगा।

“विवास कीजिए, गत चार या पाँच वर्षों की अधिक से, मैंने सदा यह महसूस किया है कि हमारे इस समय के लक्षणों और कार्यों को आपकी क्षमता और आपकी त्याग की भावना से कोई भाहरा नहीं मिला है। और परिस्थितियों ने ऐसा रूप ले लिया है कि एक अमूल्य जीवन विस्मृति के गर्भ में चला जा रहा है। अब समय है कि आप एक नया संकल्प लेकर उठें और अपने लिए कार्य का एक अधिक व्यापक क्षेत्र बनायें। यह सब है कि इस समय लोग आपकी और अधिक नहीं ताकते। परन्तु एक कार्यकर्ता को अन्यों की राय पर ध्यान न देकर अपनी योग्यता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मुश्किल यह है कि आपके बताव ने प्रातों को श्री श्रीनिवास की ओर देखने के लिए विवश किया है। परन्तु यदि अब भी आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हों और मुझे इस विषय में सन्तुष्ट कर दें, तो मैं थी श्रीनिवास के पास जा सकता हूँ और उन्हें आपके पक्ष में अपना नाम वापस करने के लिए मना सकता हूँ।”¹

परन्तु मजहूल हक प्रस्ताव से सहमत न हुए। उन्होंने अपना शेष जीवन अपने फरीदपुर निवास-स्थान पर विताया तथा प्रार्थना और विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन में अपना समय लगाया। परन्तु विहार सरकार की पार्श्वक योग्यताएँ रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट के सम्बन्ध में उनके गांध के निवास-स्थान पर उनके साथ मौलाना आजाद की मूलाकात का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

“अबुल कलाम आजाद 14 मार्च को, छपरा जाते समय पटना से गुजरे, जहा उन्होंने मजहूल हक से मूलाकात की और उनसे कहा कि वे नेहरू-रिपोर्ट-समर्थक जितने मुसलमान दिल्ली भेज सकें भेजें, ताकि उन्हें

1. ग्राही, एस. प्रार. पूर्वोत्तर पुस्तक पृष्ठ 76

मुस्लिम लीग की अपने वश में करने में सहायता मिले।” कानूनी कमीशन (जो साइमन कमीशन कहलाता था) की नियुक्ति के बाद, देश में साम्राज्यिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। परन्तु किसी भारतीय को सदस्य के रूप में कमीशन में न लेने से सभी सम्प्रदायों की भावनाओं को ठेस पहुंची। नेहरू रिपोर्ट राष्ट्र की आहत भावनाओं का सीधा परिणाम थी। नेहरू रिपोर्ट पृथक निर्वाचन के पक्ष में न थी। उसमें सिफारिश की गयी थी कि चुनाव संयुक्त या मन्त्रित निर्वाचक मंडलों द्वारा होना चाहिए और एक मात्र साम्राज्यिक संरक्षण सीटों का आरक्षण होना चाहिए, और वह भी केवल उन मुसलमानों के लिए, जो कही अल्पमत में हैं। हम नहीं जानते कि इन घटनाओं ने मजहूर्ल हक को कितना उत्साहित किया, परन्तु ज़ैसा कि महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पर उनके विषय में लिखा है इसमें कोई संदेह नहीं कि “हमारे अन्तकलहों से ऊबकर वे एकान्तवास करने लगे और ऐसी अनदेखी सेवायें करने लगे जिन्हें वे कर सकते थे तथा कल्पाण के लिए प्रार्थना करने लगे।”

पत्रकार, लेखक और कवि

आरंभिक जीवन से ही मजहबी हक की साहित्य में कुछ-कुछ रुचि थी। उनके एक प्रमुख समकालीन सञ्चिदानन्द सिन्हा¹ लिखते हैं कि जब वे विद्यार्थी थे तब भी कावयामें लिखा करते थे और विंग्टन देश-भाष्य आदि के पत्रों को लेख भेजा करते थे। बाद की अवधि में, अपने व्यावसायिक कार्यों में और कलेशजनक राजनीतिज्ञ गंतिविधियों में भारी व्यस्तता के बावजूद हक ने पढ़ने और लिखने में सक्रिय रुचि कायम रखी। उन्होंने इस्लामी इतिहास और दर्शन में भी रुचि ली। वे सूफी मत में भी दिलचस्पी रखते थे और इस विषय पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थीं।

सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते ही, हक ने एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका 'भाडनं विहार' शुरू की, परन्तु वह बहुत दिनों तक जारी नहीं रह सकी। उनका दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण साहास्रक कार्य या सितम्बर 1921 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक 'दी मदरलैण्ड' निकालना। यद्यपि 'दी मदरलैण्ड' बहुत नहीं चला फिर भी उसने नीतिक और व्यावसायिक स्तर ऊचा ही रखा और देश के राष्ट्रवादी पत्रों में अच्छी रुचाति प्राप्त की। 1922 में हक पर जो मुकदमा चला था और जो उनके जीवन का एक मोड़ था, वह 'दी मदरलैण्ड' की कहानी से धनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पत्र की शुरूआत और कार्य का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

दी मदरलैण्ड

'दी मदरलैण्ड' 30 सितम्बर, 1921 को शुरू हुआ। इस पत्र के मालिक और सम्पादक हक थे। यह अंग्रेजी साप्ताहिक 8 पृष्ठ का था और

1. 'हिन्दुस्तान रिप्पू' पटना जनवरी 1930 पृ० 97

इसकी प्रत्येक प्रति का भूल्य एक आना था। यह नूरुल हसन द्वारा सदाकत आश्रम प्रिण्टिंग प्रेस, दीघा, पटना में मुद्रित और प्रकाशित होता था। यद्यपि इसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय¹ घटनाओं के भी समाचार प्रकाशित होते थे, परन्तु यह मुख्य रूप से खिलाफ़त ग्रीष्मसह्योग आन्दोलनों के हितों के प्रति समर्पित था और इन आन्दोलनों की गतिविधियों को विस्तार से प्रकाशित करता था। हक्क ने पढ़ का उद्देश्य और लक्ष्य, प्रथम अंक के सम्पादकीय स्तम्भ में, इन शब्दों में निरूपित किया; 'दी मदरलैण्ड' किस पक्ष का समर्थन करता है? यह उदारवादी होगा या स्वराज्यवादी? यह सरकार का समर्थन करेगा या जनता का पक्ष लेगा? मान्दफोर्ड मुघारो के प्रति इसका क्या रखेंगा होगा? . . . हमारा उत्तर है कि हम अपनी इस अद्भुत भूमि में रहने वाले सभी लोगों के लिए शुद्ध, सरल और अभिन्नत न्याय के पक्षपाती हैं। . . . यह (मदरलैण्ड) व्यक्तियों के मामलों में बहुत कम दखल देगा, परन्तु दुर्व्यवस्थाओं और ऋूर कार्यों का डट कर विरोध करेगा। . . . 'मदरलैण्ड' भारतीय राजनीति में केवल भारत की महान राष्ट्रीय संस्था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्वारा निर्धारित नीति पर चलना ही ठीक समझता है। . . . हर हालत में, हम कांग्रेस के कार्यक्रम की दो बातों हिन्दू-मुस्लिम एकता और स्वदेशी के ग्रीचित्य और सच्चाई

1. इसमें से अधिकांश मुरदता वामपक्ष से नेतृत्व में तुकों के बीरतामूर्णे राष्ट्रीय समर्थन और नोमन बी संघ के लिए बी गयी राजनीतिक बार्ता से समर्वित है। भारतीय राष्ट्रीय समर्थन के मार्ग एवं महात्व पर अधर्म की पक्षी डॉ. टिप्पणियों वे उदाहरण अधिक रोचक हैं। इस प्रवार इसने अपने 16 जून 1922 के घर में अपेजी के विद्वद समुक्त हिन्दू-मुस्लिम समर्थन के नये हय तथा धर्मी जनित वा पुर्णांदित करने एवं ईशायों की दबाने वे तिए मुमलमानों द्वारा मूलाये जाने वाले दिशक्यायी आन्दोलन वा" वा एक भाग बनने वी उसकी स्मावना वे बारे में धर्मीकी पक्ष-पत्रिकाओं को टिप्पणिया प्रदानित थी। 7 जुलाई के घर में इसने "गांधी आन्दोलन" के महत्व पर एक सम्बोधन शीखा सेवा धूमाके के 'दी बोर्नेन' से उद्घृत किया। लेखक का विवार है कि आन्दोलन वा मुख्य कारण व्यक्ति ग्रीष्म समय के अधिकारी तथा नीहरताही के पक्षी से व्यक्ति के मुस्ति के सम्बन्ध में विवाद था। 9 जनवरी, 1921 के घर में इसने मोटे शोरेंबो में रहने पृष्ठ पर अपरीक्षा के 23 दिनेटों, जब्तो, समाइकों और सार्वजनिक व्यक्तियों वा एक मन्देश आया, त्रिमें भारतीयों को आशावासन दिया गया था। 'हम आओ के महसूस दृष्टि में महापक्ष वरें' "चार इक्क बापना निर्णय बोलिए।'

के बारे में पूर्णतया आश्वस्त है। एक से भारत वास्तविक राष्ट्र बनेगा और दुसरी से भारतीय आत्म निर्भर बनेंगे। हम चर्खा चलाने और खद्दर पहनने की बकालत करेंगे — किसी को हानि पहुंचाने या तंग करने के लिए नहीं, अपितु केवल अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यदि हमारी अन्तरात्मा यह नितान्त आवश्यक समझती है कि अपनी जनता और अपने देश की भलाई के लिए, हमें कांग्रेस के कार्यक्रम की किसी बात के विरुद्ध आवाज उठानी चाहए, तो हम ऐसा करने में नहीं हिचकिचायेंगे, भले ही हमारी आवाज कितनी ही कमज़ोर और, प्रभावहीन बयों न हो। ऐसा करने से भले ही हमें अधिक उपलब्धि न हो, परन्तु अपने कर्तव्य का पालन तो कर ही लेंगे और यही शायद किसी व्यक्ति को मिलने वाला भूख्य और एकमात्र सन्तोष है। क्योंकि हमारे और कांग्रेस के विचारों में पूर्ण सम्म्य है, अतः ऐसे अवसर स्वभावतः कम ही आयेंगे। परन्तु यह अच्छा है कि हम आलोचना का अधिकार अपने लिए सुरक्षित रखें। “यह हक के लिए बड़ी तारीफ की बात है कि वे ‘दी मदरलैण्ड’ के तेजस्वी जीवन में, भले ही वह संक्षिप्त रहा, आरंभ से अन्त तक, इस निश्चय पर दृढ़ रहे।”

यहां यह उल्लेख करना रोचक होगा कि विज्ञापनों के मामले में भी—जिसमें अन्यथा गम्भीर समाचारपत्र भी प्रलोभनों में फंस जाते हैं— ‘दी मदर लैण्ड’ ने अपने लिए एक ऊंचा नैतिक स्तर निश्चित कर लिया था। इसके स्तम्भ में प्रायः यह सूचना छपती थी कि “केवल स्वदेशी वस्तुओं और उद्योगों के यथार्थ विज्ञापन स्वीकार किए जायेंगे और ओप-धियों आदि का कोई भद्दा विज्ञापन ‘दी मदरलैण्ड’ में नहीं छपने दिया जाएगा। इस पर पूरी तरह अमल किया गया और अधिकांश विज्ञापन या तो सदाकात आथर्म प्रेस के प्रकाशनों के बारे में होते थे या स्वदेशी वस्तुओं और अन्य दस्तकारी की चीजों के बारे में।

‘दी मदरलैण्ड’, की प्रसार संख्या अधिक थी। इसके ग्राहक अन्य प्रान्तों में भी थे और विदेशों में भी थे। इसके आरम्भ होने के तीन महीने के अन्दर ही, “हमारे पाठकों की माँग के कारण” यह निश्चय किया

गया कि इसे 3 जनवरी, 1922 से अधं-साप्ताहिक बना दिया जाए, जो प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को प्रकाशित हो।

इसके बाद तुरन्त ही, सरकार इससे नाराज हो गयी। इसके मुद्रक और प्रकाशक एम. एस. एम. शर्मा को नोटिस देकर भूचित किया गया। एक पत्र में प्रकाशित कुछ लेख 'आपत्तिजनक' (एक्स्ट्रावेगेन्ट) पाए गए हैं और यह निदेश दिया गया कि 1910 के प्रेस एकट की धारा 8 के अनुसार वे 1000 रु. की जमानत जमा करे। प्रकाशक ने सरकार को उत्तर दिया कि नोटिस की शब्दावली अत्यन्त अस्पष्ट है और पूछा कि कौन सा लेख 'आपत्तिजनक' पाया गया है और किस दूष्ट से। जिलाधीश के नोटिस और शर्मा द्वारा दिए गए उत्तर का पूरा पाठ, 19 जनवरी, के अंक में, 'प्रेस एकट का भूत्य-घोषः "दी मदरलैण्ड ताजा वर्लि" शीर्षक से छापा गया। उसी शीर्षक के नोचे एक संक्षिप्त सम्पादकीय टिप्पणी में, हक ने 'आपत्तिजनक' के अस्पष्ट आरोप का विरोध किया। उन्होंने जमानत जमा करने से इनकार कर दिया और पत्र कुछ दिन बन्द रहा। 29 जनवरी को, मूर्ख शोर्प 'विदाई' और उपशीर्षक 'अल्लाह-ओ-अकबर, को साथ एक-एक पृष्ठ का अंक निकला, जिसमें हक का निर्माकित विदाई सन्देश पा चिहार सरकार ने 'दी मदरलैण्ड' को हत्या करने का निश्चय कर लिया है। हम गिङ्गिङ्गा नहीं सकते। हम दबाव में नहीं आ सकते। . . . हमने आत्म संयम से काम लिया है और दूसरों को नाराज न करने का प्रयत्न किया है। परन्तु हमने शासन व्यवस्था को निश्चय ही नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम इसे पूरी तरह दूषित समझते हैं। . . . हमने निर्भाकिता से सत्य कथन किया है, पूरी तौर से यह जानते हुए भी कि यह 'विधि एवं व्यवस्था' के वर्णधारों को पसन्द न आएगा। हमारा विदाई अभिवादन 'एड्यू' (सदा के लिए) नहीं, अपितु 'श्रो रोवार' (पुनर्मिलन तक) है। बन्द मात्रम्।

पत्र भागमी वर्ष मई से पुनः साप्ताहिक के रूप में निकलने लगा। परन्तु शोध ही सरकार की ओर से इसे एक भी धब्बा लगा। परन्तु यह सरकार का सीधा याक मण नहीं था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जेल महानिरीक्षक, सर हुरमूसजी बनातवाला ने 'दी मदरलैण्ड' पर मान-

हानि का भुकदमा चला दिया। इस समय, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग के नए प्रयोग के प्रभाव से सारे देश में हलचल मची हुई थी। इसने जनता को आत्मनिष्ठास और आशा की नयी भावना प्रदान की थी और सरकार उसे बलपूर्वक दबाने की स्थिति कोशिश कर रही थी। हक ने सरकार की दमन नीति का, विशेष रूप से जेलों में राजनीतिक बन्दियों के साथ किए जा रहे अत्याचारों का निर्भकता से पर्दाचार दिया। जेल महानिरीक्षक सर हुरमुसजी बनातवाला ने बब्लूट जेन में बन्दियों के साथ दुव्यंवहार के समवय में लिखे गए हक के चुनावकोड़े लिव पर आरक्षि की और उनके विरुद्ध कौजदारी में दावा कर दिया। लूकाये न्यायालयों और समूर्ण न्यायपद्धति के, जिसके बे अंग थे, बब्लूट के लिए प्राप्तवर्द्ध असहयोगवादी होने के कारण, हक ने अपने दब्बाओं के टिकटूठ भी करने से इनकार कर दिया और जमानती बांड न इंद इंद झड़े 26 जुलाई को जेल में बन्द कर दिया गया।

उनकी गिरफ्तारी ने जनता में बदल बुद्धि कर दिया। बिहार व उड़ीसा की विधान परिषद में राजनीति विद्यालय के उच्चायोग के द्वारे में प्रश्न पूछे गये। 'दो इन्डिपेन्डेंट', 'दो लैंड', 'दो न्यू डेमोक्रेट' आदि गवर्नर समकालिक समाचार पत्रों ने हक को 'इन्डिपेन्डेंट', 'द इन्डिपेन्डेंट' की ओर उनकी देशसेवा की प्रशंसा की। इन दो के बाद दूसरे 'द हर भूषण फर्मार मजरहल हक' कहे जाने लगे।

ने प्रात में जो भावना पैदा की है, वह कभी ऐसे हिस्फुर तरीको से 'मर' सकेगी।" हक ने जनता में व्याप्त इस अपेक्षा का भी उल्लेख किया कि उनकी गिरफ्तारी सरकार की उस योजना का एक अंग थी, जो यथा में काग्रेस और खिलाफ़त समीलन आयोजित करने के धोषित कार्यक्रम को रोकने की दृष्टि से प्रान्त के सभी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए बनायी गयी थी। अपनी गिरफ्तारी के इस 'सार्वजनिक पहलू' से हटकर 'व्यक्तिगत पहलू' पर आते हुए, हक ने महानिरीक्षक को विश्वास दिलाया कि असाह-मोगवादी होने के कारण वे अपना वचाव नहीं करेंगे, इसलिए उनकी (महानिरीक्षक की) जीत निश्चित है। परन्तु वे अपने भावी कारावास को अपने कर्त्ता के साथ वास्तविक मिलन के लिए और अपने सभी पापों पर पश्चाताप प्रकट करने के लिए, ईश्वर प्रदत्त अवसर समझते हैं और ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने महानिरीक्षक को धन्यवाद दिया।

हक की गिरफ्तारी के बाद, कृष्णबललभ सहाय (विहार के भूत-पूर्व मुद्यमन्त्री) 'दी मदरलैण्ड' के कार्यकारी सम्पादक बन गये। जब तक हक जेल में रहे, 'दी मदरलैण्ड' के सभी अंकों में मुख्य पृष्ठ पर यह शीर्षक छपता रहा--'संस्थापक और सम्पादक देशभूषण फ़कीर मजहहल हक'... जेल में। "16 सितम्बर को, जेल से छूटने के बाद हक ने पत्र से अपना सम्बन्ध जारी रखा तथा सितम्बर और अक्टूबर के अंकों में कुछ सम्पादकीय भी लिखे। परन्तु मातृम होता है अक्टूबर के प्रति में किसी समय उन्होंने पत्र से नाता तोड़ लिया और कृष्णबललभ सहाय नियमित सम्पादक हो गये। उसके तुरन्त बाद पत्र निःसना बन्द हो गया।

मजहहल हक के जीवन के सबसे अधिक सफल समय में उनके विचारों और विद्ये गये कामों के अध्ययन एवं मूल्यांकन के लिए स्त्रों तामग्री के रूप में 'दी मदरलैण्ड का मूल्य' बहुत अधिक है। इसके सम्पादकीय स्तम्भों में, हक ने केवल खिलाफ़त और अमहायोग आन्दोलनों जैसे सामयिक विषयों पर ही स्पष्टता से अपने विचार प्रकट नहीं किये, अपितु घन्य बड़े और सामान्य विषयों, जैसे स्वतंत्रता, सहनशीलता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, भावी आंतर-भारतीय मम्बन्ध, आदरिश स्वतंत्रता आदि पर भी विचार

प्रकट किये। 'दी मदरलैंड' की प्रतियां अब अत्यन्त दुर्लभ हैं। १इसलिए, इन विषयों पर हर के लेखों से कुछ उद्धरण देना समीचीन होगा।

असहयोग (दी मदरलैंड, 16 जून, 1922)

"मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसका अपने साथी प्रणियों के साथ मिल-जुल कर, सहयोग से, रहना स्वाभाविक है। अतः नितान्त 'असहयोग' नहीं हो सकता। वास्तव में, हमारा स्पष्ट मत है कि असहयोग एक बुराई है, जिससे सभी बुद्धिमान लोगों को दूर रहना चाहिए। परन्तु जिस प्रकार गम्भीर वीभारियों में डाक्टर जहर दे देता है, जिसे स्वस्थ आदमी को वह बभी नहीं देगा, उसी प्रकार कुछ मामलों में असहयोग जरूरी हो जाता है। असहयोग केवल कमजोर के लिए ही नहीं, ताकतवर के लिए भी आवश्यक है। यह मानव जाति की नीतिक बुराईयों के लिए एक प्रकार की ओपेंधि है। निसंदेह असहयोग निराशाजनक बठिन स्थिति पैदा कर देता है। जो यदि अधिक समय तक बनी रहे ता, दोनों पक्षों को नष्ट कर सकती है। निश्चय ही, भारत-अशान्ति के इस जीवन को सदा नहीं जी सकता। विरोधी पक्षों में समझौते का कोई न कोई रास्ता जहर निकालना चाहिए। भारतीय जनता को कई शिकायतें हैं। भारत सरकार इन शिकायतों के आचित्य को स्वीकर परन्तु झूठी शान के कारण उन्हें दूर करने को तैयार नहीं है। मानव जाति के पाचवें हिस्से की निराशा और सक्रिय विरोध की स्थिति में लाकर खड़ा कर देना, हमारे विचार से ऐसी बुद्धिमत्ता वा काम है, जिससे प्रत्येक राष्ट्र को बचाना चाहिए। . . . भारतीयों वा यह कर्तव्य है कि वे देश में ऐसा तूफान खड़ा कर दें, जो ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों पर भी कुछ ध्यान दने को बाध्य कर दे। परन्तु ऐसा करने से पहले भारतवासियों का चाहिए कि वे अपने घर को ठीक करें और अपने सगठन को पूरा करें। हमारे काम का कार्यक्रम हमारे बन्दों नेता ने निर्धारित कर दिया है और हमें इसे पूरा करने में सत्पर हा जाना चाहिए।

१ हम बेपम हर के जो हाल ही में दिवंगत हुई हैं के बड़े मामरी हैं कि उन्हें दी मदरलैंड में पुराने ग्रन्तों का अपना साथ हमारे पात भेजने की दवा दी है। नींव और अन्यत्र दिये गये सभी उद्धरण उनके सम्म में उपलब्ध ग्रन्तों से दिये यद्य हैं।

खदर अवश्य पहननी चाहिए। जिस प्रकार पुराने जमाने में हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई की तरह रहते थे, उसी प्रकार अब भी रहना चाहिए। अरने संगठन को पूरा करके हमें अन्त तक लड़ने का संकल्प कर लेना चाहिए।”

खिलाफत का प्रश्न (दी मदरलैंड, 19 जनवरी, 1922)

..... संसार के प्रचारक जो कुछ कहें, उस सबके बावजूद, खिलाफत का प्रश्न विशुद्ध रूप से एक धार्मिक प्रश्न है, और उसे कङ्गाई के साथ इस्लाम धर्म की व्यवस्थाओं के अनुसार ही मुलाकाना चाहिए। अन्य मान्यताओं के लोग गलती से यह काम समझ लेते हैं कि खिलाफत का प्रश्न केवल एक राजनीतिक प्रश्न है और अन्य राजनीतिक प्रश्नों की भाँति यह भी राजनय के मान्य नियमों द्वारा हल किया जा सकता है। कुस्तुनतुनिया (कास्टेन्ट-नोपिल) को छोड़ कर, जो खिलाफत का मुख्यालय है, गंगोरा, स्पर्ना और तुकं लोगों को प्रभावित करने वाला समझा जा सकता है, क्योंकि देश उनकी मातृभूमि है। संसार के अन्य मुसलमानों के साथ उनका सम्बन्ध केवल इस हद तक है कि इस्लाम के आध्यात्मिक अव्यक्त द्वारा उन पर अधिकार आवश्यक है।

‘जजीरात-उल-अरब’ की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। इसमें पेलेस्टाइन हेडजाज, अरब और मेसोपोटामिया शामिल है। ‘जजीरात-उल-अरब’ इस्लाम के अनुयायियों की गम्भीर धार्मिक भावनाओं को स्पष्ट करता है और जब तक अधिकारवान खलीफा वहा अधिकारव्युत रहेगा, तब तक संसार में शक्ति नहीं रहेगी, तथा उनको आराम न मिलेगा, जो इसमें हस्तक्षेप करेंगे। मह देश मुस्लिम खलीफा के आधिकार में, रहना चाहिए। राजनय और न्याय का तकाजा है कि खिलाफत के प्रश्न को हमारे द्वारा ऊपर झुकाए गये तरीके से अविलम्ब हल किया जाए।”

स्वतन्त्रता (मदरलैंड, 9 जनवरी, 1922)

“स्वतन्त्रता प्रत्येक राष्ट्र का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह दंबी अधिकार है। जो राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के मध्यीन है, उसे काम करने वी

वह स्वंत्रता कभी नहीं मिल सकती, जिसे परमात्मा अपने जीवों को देना चाहता है। इस ईश्वर-प्रदत्त अधिकार को ऐसे किसी राष्ट्र को देने से इन्कार करना ईश्वर को ही नकारना है। 'साय ही, हमें स्वतन्त्रता को हिंसा से नहीं मिलाना चाहिए। ये दोनों दों अलग-अलग वस्तुएं हैं और एक दूसरी की आवश्यक पूरक नहीं हैं।'

सहनशीलता (दि मदरलैंड, 9 जून, 1922)

"यह सिद्धान्त है कि विश्वास प्रतीती का विषय है और वह दबाव में पैदा नहीं किया जा सकता, एक सनातन सत्य माना जाता है"..... परन्तु संसार में सदा ऐसा नहीं रहा। मध्य युग में धर्म के नाम पर भीषण उत्पीड़न इस विश्वास से किए गये कि काफी दबाव डालने से लोगों के दिमागों को उत्पीड़क की इच्छानुसार भोड़ा जा सकता है। उस समय के लोगों को यह नहीं मूँजा कि उन्होंने लोगों के दिमाग को नहीं, शरीर को अपनी इच्छानुसार भोड़ा था। जिस प्रकार पुराने जमाने के लोग धर्म के बारे में सोचते हैं कि जिस पार्टी में वे हैं, वहीं समूर्ण सत्य की एकमात्र ठेकेदार हैं तथा विरोधी पार्टी एक उनुन्मुक्त दिवालिया है, जो सत्य का नाम भी नहीं जानती। 'सत्य किसी पार्टी, सम्प्रदाय या वर्ग का इजारा नहीं हो सकता। यदि हम केवल अधीरता के सामने न झुके और दूसरों को अपना मत छोड़कर हमारा मत स्वीकार करने की उत्सुकता पर नियन्त्रण रखें तो हम पायेंगे कि'..... 'धृणा, तिरस्कार शत्रुता तथा अन्य हजारों बुराईयां असहिष्णुता से पैदा होती हैं। प्रेम, स्नेह, विश्वास सहिष्णुता के फल है। आप किसी सेव के पेढ़ से आम का फल और किसी आम के पेढ़ से सेव का फल नहीं तोड़ सकते। अत्यान्वार प्रेम को और प्रेम धृणा को पैदा नहीं कर सकता।'

हिन्दू-मुस्लिम एकता (दि मदरलैंड, 22 सितम्बर, 1922)

इस प्रश्न को हमने अपने कार्यक्रम में सबसे अधिक प्राथमिकता दी थी। 1910 में ही उन्होंने घोषित कर दिया था कि 'मेरे विचार से इस समय सब प्रश्नों का प्रश्न यह है कि दोनों सम्प्रदायों को एक कर दिया जाए ताकि वे हमारी भातृभूमि के पुनरुद्धार के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर

काम कर सके इस प्रकार एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा था हम हिन्दू हो या मुसलमान, सब एक ही नाव में सवार है। हम साथ ही साथ तेरेंगे या साथ ही साथ ढूब कर मरेंगे।” परन्तु मालूम होता है, असहयोग आनंदोलन कि समाजिक से पहले, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्राप्त सफलता के बारे में उनका भ्रम दूर होने लगा था। 22 सितम्बर का उनका सम्पादकीय भ्रम-भुक्ति की इस भावना को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। उन्होंने लिखा था “हमें यह सोचकर दुख होता है कि काग्रेस और समाचारपत्रों द्वारा बार-बार दी गयी चेतावनियों के बावजूद, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों में तनाव दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। हम तथ्यों का स्पष्ट वर्णन करते हैं, हम अपने को धोखा नहीं देना चाहते। कुछ को छोड़कर ऐसा कोई प्रान्त नहीं है, जहा दोनों सम्प्रदायों में कलह नहीं हुआ।... नाश की असली जड़ तो हमारे हृदय में है। यद्यपि हम भाई-भाई की तरह मिलते हैं, परन्तु हमारी विचारधाराये कभी निमंल नहीं होती। हमने स्वराज्य के लिए सब कुछ दाव पर नहीं लगाया। छोटे-छोटे प्रश्न, जो हमारे स्वराज्य के आदर्श के विपरीत हैं, हर समय हमें आक्रात करते रहते हैं और हमारे कार्यक्रम की मुख्य धारा को बदल लेते हैं। जब तक हमारे आदर्श हमको नियन्त्रित न करेंगे, जब तक हम एक ही उद्देश्य को लेकर चलेंगे जब तक स्वराज्य की प्राप्ति हमें निरन्तर पीड़ित और व्यक्ति न करेंगी, तब तक हम अपना हिन्दू-मुस्लिम कलह समाप्त न कर सकेंगे।”

भावी आंतर-भारतीय सम्बन्ध (दि मदरलैंड, 19 जनवरी, 1922)

उल्नेष्ठनीय भविष्य ज्ञान के साथ हक ने लिखा : “स्वतन्त्रता घृणा के बिना रह सकती है। यद्यपि इगलैंड और अमरीका दोनों एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं, किंतु भी इगलैंड अमरीका से घृणा नहीं करता। हमें यह भी नहीं चाहिए कि भारत स्वतन्त्र होते ही प्रत्येक ग्रंथेज से यह बहेगा कि वह सामान यापे और ग्रन्थविदा वह कर अपने देश को छला चाए।.... एक दूसरे के ग्रन्थ प्रेम और आदर वा भाव के बल स्वतन्त्रता से ही दैदा हो सकता है। जब दोनों राष्ट्र स्वतन्त्र होंगे तो जगंड के लिए कुछ न रहेगा। वे जैसा चाहेंगे वैसा अपना जीवन बनायेंगे।

आयरलैंड, (दी मदरलैंड, 7 जुलाई, 1922)

आयरलैंड स्वतन्त्रता के लिए अपने संघर्ष में रहा है।.....बारहवीं शताब्दी के आरम्भ से ही आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य संघर्ष चल रहा है एक तो अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न कर रहा है और दूसरा उसे हटापने के लिए।.....इंग्लैंड ने अपने स्वाभाविक तरीके से दमन का अपना प्यारा खेल खेलने की कोशिश की। परन्तु क्या सबन से सहत दमन का चक्र किसी के हृदय से स्वतन्त्रता की अभिलाषा को निकाल सकता है।... अपने दमन के खेल में सफल न होने पर, इंग्लैंड ने अपनी नीति ही बदल दी और कुछ अन्य उपाय किये।.....जो सिर लगातार 680 वर्षों तक इंग्लैंड के महाबली सैनिकों के समक्ष नहीं झुके थे, वे ही अब सोने और चादी के ढेरों के सामने नहीं हो गये।.....कुछ वर्षों की विधानित के बाद, आयरलैंड डेनियल ओ-कोनेल के नेतृत्व में फिर जाग उठा। बतंगान संघर्ष उसी जागरण का विस्तार है।.....हम कहते हैं, आयरलैंड अगे बढ़े। सर्वशक्तिमान ईश्वर अधीनीकृतों को स्वतन्त्रता और पीड़ितों को आरम्भ दे और इस प्रकार संसार को शान्ति प्रदान करे।"

मजहूल हक के सम्बादकाल में एक और साप्ताहिक पत्र 'अल बहन' उर्दू में तथा एक मासिक पत्रिका 'दी पटना रिव्यू' अंग्रेजी में निकालने का प्रस्ताव था। 'दी मदरलैंड' के कई अंकों में इसकी घोषणा की गयी थी और प्रस्तावित पत्रों के लिए उपसंयादकों की जगहों के बास्ते विज्ञापन भी छप गये थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हक की गिरफ्तारी और मुकदमे के कारण वह योजना छोड़ दी गई।

लेखक और कवि

मजहूल हक ने उर्दू और अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखी और संकलित की। अन्यों द्वारा लिखी गयी कुछ पुस्तकों की भूमिकायें या प्रावक्ष्यन भी उन्हें लिखे। उनके लेखों को, जिनमें से अधिकांश अब उपलब्ध नहीं हैं, दो श्रेणियों में रखा जा सकता है—1. सामान्य राजनीतिक महत्व के प्रचलित विषयों से सम्बन्धित और 2. धार्मिक एवं साहित्यिक विषयों से सम्बन्धित

सामान्य प्रचलित राजनीतिक विषयों पर उनके लेखों में से निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है :

'दी ग्रेट ट्रायल' (महा-अभियोग)

सदाकान्त आथम प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य आठ अंना था। 125 पृष्ठ की इस पुस्तक में निम्नांकित बातें थी—“महात्मा जी की गिरणतारी तथा मजिस्ट्रेट और सेशन (सब्र) न्यायालय के समक्ष उनके मुकदमे की मुनवाई का पूरा विवरण, वे सभी लेख, जिनके लिए वे दोषी पाये गये, उनके मोहिन और लिखित वक्तव्य, निर्णयों और आदेशों का पाठ, गिरणतारी में पहले और बाद में दिया गया उनका सन्देश, आदि। भूमिका मजहूल हक्क की थी।”

'दी खिलाफत एंड इंसेन्ड'

लेब्हर : सैयद महमूद, प्रकाशन-सदाकान्त आथम, मूल्य : 1 रु. 8 अंने। इस पुस्तक का प्राक्काशन प्रनिधि मर्मांदुके पिछाल नेतिखा था और भूमिका मजहूल हक्क ने। यह पुस्तक खिलाफत आन्दोलन के अंग के हृप में 1920-21 में कभी लिखी गयी थी और दूसरे 'संशोधित एवं बढ़परिवर्धित मंस्करण' 1922 के अरम्भ में छाया था।

'विटेन इन ईराक'

प्रकाशक : सदाकान्त आथम प्रिंटिंग प्रेस, मूल्य : 8 अंना, आमुख : मजहूल हक्क द्वारा।

'तुफान-ए-नूह'

यह पुस्तक शूकी मत पर लिखी गयी थी। दुर्भाग्य से अब यह उपन्यास नहीं है, इसलिए इन्हा विस्तृत मूल्याक्तन मंभव नहीं है। परन्तु, मजहूल हक्क द्वे एक निर्वाचनशीली और साथी के साथ के अनुसार यह “यह विवाहार्पूर्ण दृष्ट्य था।”

कहा जाता है कि हक ने दो और गुर्जके लिखे थे, परन्तु अब दोनों हीं अनुपलब्ध हैं। एक का नाम या 'मजहूस उनूम', परन्तु उसके विषय का पता नहीं है। हँसरे का विषय या कवृत्तर-पालन।

हक ने उद्दृ और फारसी में कवितायें भी लिखी, परन्तु उनका सप्तह छप नहीं है। पांडुलिपि भी खो गयी, मलूम पढ़ती है। 26 अगस्त, 1923 के 'खिलफत गजट' में प्रकाशित उनके फारसी के एक चतुष्पदी अनुच्छेद में डिविन के मनव विकास के तिदांत पर कटाई किया गया है। यह नीचे उद्दृत है :

نسل بزنه رنجه رنجه بزنه بيلم شده
نام آدم زاد گشت و شارب صدم شده

از سرور و جست حرکائش شده پامايان

دورو باطل بآ و مظہر الحق کم شده

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :

(बन्दर) ऐप का बंशज धोरे-धोरे पुच्छहैन हो गया और मनुष्य का नम से जाना जाने लगा और किर वह सैकड़ों पोषे (शरद के) खाली करने लगा। उतकी जगे की हरकतों ने वहः दिन भ किया, विलव हो रहा है और (ऐसे समय में) मजहूस है¹ (सतर का प्रकाश) लुप्त हो गया है।

1. एक उद्दृ द्वितीय, समाचार पत्र सदाकृत प्रेस, 'शरिस्ता', प्रदानी मार्ग, पटगा, विसके संगादक एप्र०ग्र० हुमें है।
2. यही 'मजहूस है' में लेप है। इन शब्दों का गान्धीजी अर्थ है 'सत्य का प्रकाश' और ये ही कवि के नाम को भी घोषित करते हैं।

अन्तिम वर्ष और मृत्यु

1922 के उत्तराधी में बनातवाला मानहनि अभियोग में भजहरल हक का अभियोजन उनके जीवन का एक मोड़ था। वे 26 जुलाई को गिरफ्तर किये गये और उन्हे 1000 रु. जुमानि अववा 3 महीने की सदा सजा का हुक्म हुआ। हक ने जुर्माना देने से इनकार किया, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। यद्यपि 16 सितम्बर को उन्हें अकस्मात् छोड़ दिया गया, परन्तु एक दूसरे मनहानि के अभियोग में उनके विशद्ध कार्रवाई कुछ समय तक और चली।

इसी समय से, हक के चरित्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगा। अत्तद्योग अन्दोलन में शमिल होते ही, जिस ढंग से उन्होंने अपने शशीरन बले और एशबर्पूर्ण जीवन को सदा और कठोर बनाया, वह सुविदित है परन्तु यह परिवर्तन केवल बहरी नहीं था, गहरा आधात्मिक परिवर्तन भी इसके साथ ही हुआ। इस अवधि में हक के स्थितों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अपनी गिरावंती से ठीक पहले, हक ने 14 जुलाई, 1922 के 'दी मदरलैंड' में लिखा: "56 वर्ष तक अंग्रेज में भटकने तथा सभी प्रकार के मानव-सुलभ परियों में लिपि रहने के बाद, यह वास्तव में पहला अवसर है, जब मैं अपने कर्ता के सच वास्तविक सम्पर्क में अड़गा और अपने समस्त परियों का प्रायशित्र करूँगा। . . . शरीर और संसारिक पदार्थों पर अत्यधिक व्यान दिया गया है तथा अस्ति और अमोत्तिक पदार्थों पर बहुत बम। ब्रह्म खुदा की कृपा से मेरे जीवन में एक मवा मोड़ आने वाला है।" दूसरे सदाह का सम्पदकोऽ आधात्मिक परिवर्तन को और भी अधिक स्पष्ट से प्रकट करता है। हक ने लिखा, "मुझे इस संसार में, जहाँ माया का एकलक रुचय है, निरदेश भटकने के लिए अभिशप्त किया गया है।

कोई भी इच्छा रखने की वया अवश्यकता है। तुष्णा आत्मा का हनन कर देती है। अब, मुझे आशा है कि मैं अपने जीवन की उस अवश्या में पहुंच गया हूँ, जहाँ इस संसार की वस्तुये मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करतीं। मैं अपने को बहुत दिनों तक धोखा देता रहा और अपने भावों को तरह-नरह से छिप ता रहा। शायद मेरे बर्तमान रुख में भी शीर्ति न मुझे धोखा दे रहा है। परन्तु मुझे यह भल्लोच है कि मैं पह जानता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, ईमनदारी और सच्चाई से कह रहा हूँ।"

हक अराहतोग अन्दोलन के संचालन के दृग से भी नखुश मालूम पड़ते थे। 19 मई, 1922 के सम्पादकीय में, उन्होंने आन्दोलन के लाभों और हृनियों का लेखा-जोखा किया तथा उन्हें अन्दोलन के संचालन में जो गलतियाँ मन्त्रम् पट्टीरी थीं, उन पर स्पष्टता से अपने विचार प्रकट किये। विधान परिषदों में प्रवेश अथवा उनके विहितकार के प्रश्न पर छिड़े विवाद ने उन्हें और भी नारज कर दिया। इस प्रश्न पर 'दो मदरलैंड' से भी उनका मानेद हो गया, क्योंकि कृष्णबल्लभ सहय के सम्पादकत्व में अब वह परिषद (कौतिल) प्रवेश के प्रस्ताव का समर्यान करने लगा था। हक इस विचार के विशद थे, इसलिए उन्होंने 'दो मदरलैंड' के सम्पादक को एक पत्र भेजा (24 नवम्बर, 1922), जिसमें उन्होंने लिखा कि नये सम्पादक के रूप में आप (धी सहय) का अधिकार है कि आप अपनी अन्तरत्तमा के अनुसार चलें और अपनी योग्यता के अनुसार पत्र को नोटिनिर्देशित करें, परन्तु मैं चाहूँगा कि आप अपने किसी आगमी सम्पादकीय में ऐसी कुछ टिप्पणी जोड़ कर भेजो स्थिति स्पष्ट करें, जिसका आशय निम्नांकित हो:—“हमें विदित है कि भौलवां भजह-हर्हल हक परिषद-प्रवेश के बारे में अधिक उत्सही नहीं हैं, परन्तु वे इसका स्पष्टोकरण आवश्यक समझते हैं क्योंकि अन्यथा लोग यह समझ सकते हैं कि “क्योंकि ‘दो मदरलैंड’ परिषद-प्रवेश के पत्र में है, इसलिए मैं भी इसके पत्र में होऊँगा।” यद्यपि हक ने सम्पादक को विश्वास दिलाया कि वे उनसे नारज नहीं हैं, फिर भी उनके पत्र के निम्नांकित वक्तव्य उनके भोह-भंग को तोड़ भावना को स्पष्टतयां प्रकट करते हैं: “एकमत्त वस्तु, जो मुझे ध्यानित करती है, यह है कि असहयोग की हत्या उसके

प्राकुओं ने उठी. मित्रों ने की है और अब उसे शन से दफनन क्षेप है। मैं प्रदत्त करने पर भी यह नहीं जमक्क सकता कि परिषदों को (अन्दर से) तोड़ने से हमर हित-मन्दर्धन कैसे हो सकता है। और इन राखिए, मैं एह क्षण के लिए भी यह विश्व से नहीं करता कि हम परिषदों को तोड़ सकते हैं। अंग्रेज लोग परिषदें न रहने पर, बिना ही परिषदों के शासन का काम चलाते रहेंगे और दोप हमें देते रहेंगे। अह ! हमरे दल में यह विभाजन अत्यन्त खेदजनक है और मुझे दुख है कि मैं इस सद से अत्यन्त हो जाऊंगा। ... मैं पूरी तरह शान्त रहना चाहता हूँ और यह नमाशा देखना चाहता हूँ जिसकी समाप्ति निश्चय ही पोड़ा और विनश में होगी।"

इसी माननीय स्थिति में हस्त ने पटना छोड़ा और स्थायी निवास के लिए फरीदपुर चले गये। अगले कुछ वर्षों में मलूम पड़ता है, कि अपने राजनीतिक गतिविधियों से बदला रहे। परन्तु, जैसा कि अमृतोर से जनमा जा रही है उन्होंने जमाना सर्वजनिक किरकल्प से अपने को अलग नहीं किया। सारन जिला बोई के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष के रूप में उनका कार्य (1924-27), 1926 में विहार विधान परिषद के लिए चुनाव में उन्होंने विफता और इस अवधि में उनके द्वारा लिखे गये पत्र यह प्राप्त करते हैं कि तर्वजनिक और धर्मार्थ कार्यों में उन्होंने असूर भाग लिया, परन्तु उन्होंने गतिविधियों का दायरा अब बहुत सीमित हो गया था।

सारन जिला बोई के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष

नवे अधिनियम के अनुत्तर, विहार में म्यूनिसिपलिटी के चुनाव अक्टूबर 1923 में शुरू हुए। प्रत्येक काप्रेस सार्मादिके निर्णय के अनुसार काप्रेस प्रत्येकियों ने चुनाव लड़े और उत्तेकर्त्तीय सफलता प्राप्त की। करत्तरहा मध्यहस्त हस्त 28 जून, 1924 को सारन जिला बोई के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने।

सामग्री इसी सम्बद्ध विहार सरकार ने एक सेवा-परीक्षा दियेकर (मास्टर जिल) पेश किया। इस विधेयक द्वारा सरकारी सेवा-परीक्षाओं

को यह अधिकार दिये जाने का प्रावधान था कि वे जिला बोर्डों द्वारा किये गये कुछ खबों की वैधता की जांच करें और सम्बन्धित अधिकारीयों सदस्य को गलत ढंग से स्वीकृत की गयी राशियों को बापस करने के अदेश दें। इससे, स्वभावतः, प्रान्त भर में बोर्डों के सदस्यों में भारी हलचल मच गयी। इस विधेयक पर तथा बोर्डों से सम्बन्धित कुछ अन्य ममताओं पर विचार करने के लिए पटना में एक सम्मेलन हुआ। मजहूल हर इसकी अद्वितीयता करने वाले थे, परन्तु वे अचानक बीमार हो गये और ३० राजेन्द्र प्रसाद ने उनका स्थान यहण किया। सम्मेलन ने, जिसमें जिला बोर्डों के बहुसंघक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, विधेयक की कड़ी अलोचना की।

मजहूल हक 27 जुलाई, 1927 तक सार्वजनिक बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उनके अध्यक्षत्व काल में, बोर्ड ने जिले में निःशुल्क प्रार्थमिक शिक्षा के लिए एक योजना तैयार की। पहले 1911 में, गोखले के शिक्षा-विधेयक का समर्यान करते हुए, हर ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया था और इस प्रयोगत के लिए शिक्षा-संघ (एज्यूकेशन लीग) बनाने का सुझाव दिया था। अब चूंकि वे अपने विचारों को ठोस आकार देने की स्थिति में थे इसलिए उन्होंने उपर्युक्त योजना को बोर्ड से पास कराया और सरकार से भी उसके लिए स्वीकृति ले ली। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण योजना पूरी तरह किरण्वित न हो सकी। फिर भी देश में सरन पहला जिला था, जिसके कुछ भागों में निःशुल्क प्रार्थमिक शिक्षा दी जाती थी।

हक ने जिले में एक छोटी रेल चलाने के लिए भी 'मैसर्स मट्टिन ऐंड बने' द्वारा घटवस्था की भी, परन्तु यह महत्वपूर्ण योजना भी धनभाव के कारण खटाई में पड़ गयी। सरकार के उच्च, किन्तु अमित, अधिकारियों ने जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर के सत्यनिष्ठ एंड निष्पक्ष कार्य-निष्पादन की प्रभूत सराहना की। एक गोपनीय सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि अध्यक्ष बनने के बाद भी, हर जिले में राजनीतिक समर्यान करने रहे, परन्तु जब वे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्णय लेते थे, ताहे वह राजनीति मामतों पर ही थ्यों न हो, उनके विवेक पर इस

बात का कोई असर नहीं पड़ता था। 19 मई, 1925 की पालिक गोपनीय रिपोर्ट में, जो भारत सरकार को भेजी गयी थी, निम्नांकित घटना का उल्लेख है। अप्रैल के मध्य में एक साधु जिसे राजधोह के लिए दो वर्ष के सपरिषम कारावास का दंड दिया गया था, जंल से छोड़ा गया। सारन के जिता नोड, ने आवरण्ड को उरह, विदेशी नौकरशाही के इस शिकार का स्वागताभिनन्दन करने का निश्चय किया। परन्तु अध्यक्ष मजहबल हक ने, स्वराज्यवादी होते हुए भी, प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया तथा इस अवसर के लिए बोर्ड की कार का इस्तेमाल करने को अनुमति देने से इन्कार कर दिया। रिपोर्ट के अंत में कहा गया कि हक का आचरण उनके पद के दायित्व को भावना से अनुशासित था। तिरहृत डिडीजन के अध्यक्ष (चेयरमैन) ज० ज० हिवट्टी ने मी बोड के कार्यों का उच्च चरित्र और सदाचरण के साथ चलाने के लिया हक को प्रशंसा की। उसने लिखा, "मोलवी मजहबल हक ने अच्छा काम किया है और बोर्ड को, जिसके सदस्य कभी-कभी अपने राजनीतिक विचारों को अपनी साधारण बुद्धि के प्रवाह के बहु जाने लेते हैं, निराकार में रखा है।"

नवम्बर 1926 में, हक विहार विधान परिषद के चुनाव में खड़े हुए, परन्तु हिन्दुओं और मुसलमानों के सम्मिलित विरोध के कारण हार गए। हिन्दुओं ने तो उन्हें अपना नेता ही नहीं माना और मुसलमानों ने इसलिए विरोध किया कि उनके विवार हिन्दू-समर्थक बताए जाते थे। जिम ऐक्टिव ने अपने जीवन का अधिकांश भाग हिन्दू-मुस्लिम एकता के संबंधन में लगा दिया, उनके लिए यह 'आपात सबसे अधिक कर' पा। लगभग इसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र हसन मजहबल हक की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गयी, जिससे उनका दृष्टि और भी बड़ गया। इन दोनों पटनाओं ने उन्हें तोड़कर रख दिया और वे सक्रिय राजनीति से हट गए। बायंस के 1927 के वार्षिक अधिकारों की अध्यकाश के लिए हक के नाम पर सक्षमता से विचार हो रहा था, परन्तु उन्होंने एक सार्वजनिक वरन्धन निराल कर प्राप्तना की कि उनके नाम पर विवार न किया जाए।

अगस्त 1926 में मोलाना आजाद द्वारा उनको लिखे गए एक पत्र¹ के प्रकाशित पाठ से स्पष्ट है कि आजाद इस बात को ठीक समझते थे कि अगले बारह महीनों में कांग्रेस को एकमात्र हिन्दू-मुस्लिम एकता का काम ही करना चाहिए और उन्हें विश्वास था कि कांग्रेस की अड्डेक्षता के लिए सबसे योग्य न्यक्ति हक्क है और वे ही इस महत्वपूर्ण कार्य को छला सकते हैं। परन्तु बहुत मनाए जाने पर और इन्हें महत्वपूर्ण मित्र द्वारा नाख जोर दिए जाने पर भी वे एकांतवास छोड़ देने पर राजी न हुए। आशियाना

हक्क ने अपने जीवन के कठिनय अन्तिम वर्ष जो एक प्रकार के अपकर्य के वर्ष रहे जा सकते हैं अपने गांव के घर आशियाना (नीड) में, जो सीधान के दक्षिण में 13 कि. मी. को दूरी पर याम फरीदपुर में था, विताए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उनको बहुत एक निकटवर्ती ग्राम अन्दार के जमीदार को ब्याही थी और जब वह विधवा हुई तो हक्क उसके पास रहने के उद्देश्य से छपरा चले गए। उसों समय उन्होंने फरीदपुर में एक बड़ा-भा भूखंड खरेदा। उस भूखंड पर उन्होंने एक बगीचा लगाया और एक बंगला बनवाया जिसका नाम उन्होंने आशियाना रखा। उन्हें अपना नया मकान और उसका ग्रामीण वातावरण बहुत पसन्द था। उन्हें बागवानी का बहुत शोक था और उन्होंने बाग में विभिन्न किस्मों के गुलाब लगाए थे। तोन वर्ष के सूखे के बाद जब वर्षा हुई तो उन्होंने काको (जिला गपा) में रह रहे अपने घनिष्ठ मित्र फखरुद्दीन को 8 अगस्त, 1929 को एक पत्र² लिखा जिसमें आनन्द विभोर होकर उन्होंने आशियाना के सुन्दर बाग का वर्णन करते हुए उन्हें वहाँ आने के लिए आगम्नित किया ताकि दोनों साथ-साथ वहाँ हरे-भरे बाग में प्राकृतिक शोभा का आनन्द ले सकें।

फरीदपुर नाम का एक गांव बंगाल में भी था इसलिए उनके पत्र अक्षर उसों गाव में पहुंच जाते थे। 5 अक्टूबर, 1929 को अपने एक मित्र को लिखे गए पत्र में इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने

1. जाधे, एस० आर० “मेसेज आफ आशियाना”, छरया, 1962 पृ: 75-76

2. यह पत्र दा० एस० एम० हसनेन, रोडर, उदूँ विमान मण्ड विश्वविद्यालय, गपा के पास है, जो फखरुद्दीन मुहम्मद के संबन्धों हैं।

ASHIYANAH
P O ANDAR
Dr. SARAN
۴ اکتوبر ۱۹۶۹

پارے شمسی

چار پانچ دن ہوئے کہ تمہارا خط آیا تھا۔ مگر ترجمہ نہ آیا۔ انکر رہی کہ کہیں ڈاکخانہ سے شائب تو نہیں ہوا مگر خدا خدا کرکے کل ترجمہ بھی ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں دیر ہوئی۔ یہ لفافہ غلط ہند کی وجہ سے فرید پور بنگال کی سیر کرتا ہوا میرے ہاں ہبونجا۔ اس کے قبل نہیں ایسے واقعات گزر چکے ہیں۔ اسوجہ سے میں نے فرید پور کو اپنے پتھ سے خارج کر دیا ہے۔ اسکی وجہ پر میں نے آشیانہ کا لفظ رکھ دیا ہے۔ یہ پتھ جو اس خط کے اوپر ہے بہت کافی ہے انگستان اور آشربیلیا اور تمام ہندوستان ہے اسی نشانی پر خطوط آتے ہیں کبھی گم نہیں ہوتے۔

بھی میں نے ترجمہ کو ابھی سرسی نظر سے دیکھ لایا ہے۔ خائد نظر ڈائیٹ کے لئے کچھ دن لگینگے مگر اتنا ضرور کہونگا کہ میرے نزدیک ترجمہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ خدا جزاً خیر دے اپنی آخری رائی کچھ دنوں کے بعد لکھوں گا۔ آج کل بعضی کرائل کے لئے ایک مضمون سارداہا ایکٹ کی موافقت میں لکھرہا ہوں خدا کرے ختم ہو جائے۔ معلوم نہیں آپ اس قانون کے موافق ہیں یا مخالف۔ مولویوں نے ایک عجیب ہربونگ مجاز کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ قانون شویعت کے مخالف ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات میں مخالف ہے۔ قطع پر اور حکومتی بھی تو شریعت کے مخالف ہے۔ ہر اس ہر کیوں نہیں صدائے احتجاج بلند کی جاتی۔ ولسلام۔

تمہارا دوست

منظرا الحق

अपने पते से गांव का नाम निकाल दिया है। इसलिए अब आप उस पते पर भेजा करें जो लेटर-फैंड के ऊपर मुद्रित है—“आशियाना, डाकघासा अन्दार ‘जिला सारन’”। हक ने यह भी बताया कि आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और देश के सभी भागों से भेजे गए पत जिन पर इस प्रकार पता लिखा होता है भूमि मिल जाते हैं और कभी दूसरी जगह नहीं पहुंचते।

इस अवधि में ब्रह्मज्ञान और अध्यात्मवाद में हक की हचि बहुत बढ़ गयी। वे एनी बीसेन्ट के ग्रन्थों, विशेष रूप से उनके गीतों के अनुवाद, को बड़ी लगत से पढ़ते थे। वे बोस्टन, पू० एस० ए० से प्रकाशित “स्प्रिंग-ब्लेस्ट” भी पढ़ते थे और कुछ पत्रों को अध्यात्मविद्या पर लेख भेजा करते थे। ऐसे ही एक लेख में उन्होंने सातवीं शताब्दी ए० एच० (14 वी शताब्दी ए० ई०) के प्रसिद्ध इतिहासकार और भाष्यकार अब्दुल लतीफ खातिब बगदादी का उल्लेख कर दिया। इस लेख को पढ़ कर किसी ने मीलाना आजाद को लिखा कि खातिब बगदादी के विषय में जो निव्वा भया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इस प्रश्न के उत्तर में आजाद ने हक को एक व्यक्तिगत पत्र² लिखा जिसमें उन्होंने खातिब की जीवनी और कृतियों के बारे में पूर्ण और सही विवरण दिया। इस पत्र से प्रकट होता है कि यद्यपि आजाद हक की बहुत इज्जत करते थे परन्तु वे अध्यात्मवाद में विशेष रूप से उसके उस भाग में जो परलोक विद्या की सीमा में आता था उनके नए उत्ताह को परम्पर नहीं करते थे।

अक्सर हक अध्यात्मविद्या के विषय पर अपने दुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ विचार विनिमय किया करते थे। अपने 8 अगस्त, 1929 के पत्र में जो ऊपर उल्लिख है उन्होंने अपने मित्र को यह भी लिखा कि मैं आपको एक पुस्तक ‘इज लाइफ दी एंड’ (क्या मृत्यु अन्त है) भेज रहा हूँ जो अमरीका में प्रकाशित हूई है और कहा कि आप इस पर अपनी राय लिख कर भेजिए। वे प्रेतात्माओं संबंधी बैठकों में भी दिलचस्पी लेने

². भाष्य पूर्वोत्तर पुस्तक, पृ० 78 से 79
7DPD/83-10

ASHIYANAH
P O ANDAR
Dr. SARAN
۴ اکتوبر ۱۹۶۹ء

پارے شمسی

چار پانچ دن ہوئے کہ تمہارا خط آیا تھا۔ مگر ترجمہ نہ آیا۔
مگر وہی کہ کہیں ڈاکخانہ سے غائب تو نہیں ہوا مگر خدا خدا
کرکے کل ترجمہ بھی ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں دیر ہوئی۔ بد
لفافہ غلط ہند کی وجہ سے فرید بور بنگال کی سیر کرتا ہوا میرے پاس
بہونجا۔ اس کے قبل بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں۔ اسوجہ سے
میں نے فرید بور کو اپنے ہتھ سے خارج کر دیا ہے۔ اسکی جگہ ہر میں نے
آشیانہ کا لفظ رکھ دیا ہے۔ یہ ہتھ جو اس خط کے اوپر ہے بہت کلی
ہے۔ انگلستان اور آسٹریلیا اور تمام ہندوستان ہے اسی نشانی پر خطوط
آتے ہیں کبھی کم نہیں ہوتے۔

بھی میں نے ترجمہ کو ابھی مرسنی نظر سے دیکھ لیا ہے
ضائد نظر ڈانے کے لئے کچھ دن لکھنگے مگر اتنا ضرور کہونا کہ
میرے نزدیک ترجمہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ خدا جزانی خیر دے
اتنی آخری رائے کچھ دنوں کے بعد لکھوں گا۔ آج کل بیشی کرائل کے لئے
ایک مضمون سارداہا ایکٹ کی موافقت میں لکھرہا ہوں خدا کرنے
ختم ہو جائے۔ معلوم نہیں آپ اس قانون کے موافق ہیں یا مخالف
میں ہوں گے ایک عجیب ہربونگ مجاز کہیں ہے۔ کہنے ہیں کہ یہ
قانون شریعت کے مخالف ہے میں سمجھو میں نہیں آتا کہ کس ہات
میں مخالف ہے قطع بر اور حرز ایسی نہیں تو شریعت کے مخالف ہے
اہر اس ہر کیوں نہیں صدائے احتجاج بلند کی جاتی۔ واسلام۔

تمہارا دوست

مظہر العق

अपने पते से गांव का नाम निकाल दिया है। इसलिए अब आप उस पते पर भेजा करें जो लेटरमैड के ऊपर मुद्रित है—“आशियाना, डाकखाना अन्दार ‘जिला सारन’। हक ने यह भी बताया कि आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और देश के सभी भागों से भेजे गए पत्र जिन पर इस प्रकार पता लिखा होता है मुझे मिल जाते हैं और कभी दूसरी जगह नहीं पहुंचते।

इस अवधि में ब्रह्मज्ञान और अध्यात्मवाद में हक की रुचि बहुत बढ़ गयी। वे एनी बीसेन्ट के ग्रन्थों, विशेष रूप से उनके गीतों के अनुवाद, को बड़ी लगत से पढ़ते थे। वे बोस्टन, यू० एस० ए० से प्रकाशित “स्प्रिट-च्वेलिस्ट” भी पढ़ते थे और कुछ पत्रों को अध्यात्मविद्या पर लेख भेजा करते थे। ऐसे ही एक लेख में उन्होंने सातवाँ शताब्दी ए० एच० (14 वी शताब्दी ए० डी०) के प्रसिद्ध इतिहासकार और भाष्यकार अब्दुल लतीफ खातिब बगदादी का उल्लेख कर दिया। इस लेख को पढ़ कर किसी ने मौलाना आजाद को लिखा कि खातिब बगदादी के विषय में जो लिखा गया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इस प्रश्न के उत्तर में आजाद ने हक को एक व्यक्तिगत पत्र³ लिखा जिसमें उन्होंने खातिब की जीवनी और कृतियों के बारे में पूरा और सही विवरण दिया। इस पत्र से प्रकट होता है कि यद्यपि आजाद हक की बहुत इज्जत करते थे परन्तु वे अध्यात्मवाद में विशेष रूप से उसके उस भाग में जो परलोक विद्या की सीमा में आता था उनके नए उत्ताह को पमन्द नहीं करते थे।

अक्सर हक अध्यात्मविद्या के विषय पर अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ विचार विनिमय किया करते थे। अपने 8 अगस्त, 1929 के पत्र में जो ऊपर उद्धृत है उन्होंने अपने मित्र को यह भी लिखा कि मैं आपको एक पुस्तक ‘इज लाइफ दी एंड’ (क्या मूल्य अन्त है) भेज रहा हूँ जो अमरीका में प्रकाशित हुई है और कहा कि आप इस पर अपनी राय लिख कर भेजिए। वे प्रेतात्माओं संबंधी बैठकों में भी दिलचस्पी लेने

³. आर्जे, पूर्वोत्तर पुस्तक, पृ० 78 से 79

लगे और बताया जाता है कि उन्होंने मद्रास के बीं० डी० झूँपि को, जो 'प्रेतात्माओं' को बुलाने की विद्या में निपुण भाने जाते थे, आमन्त्रित किया था।

इसके साथ ही अपने जीवन की सन्ध्या में भी, हक् सार्वजनिक धर्मर्थ कार्यों में रुचि लेने रहे। 1927 में उनके जन्मस्थान बाहपुरा ग्राम के निवासियों ने एक मदरसा स्थापित किया। जब संगठनकर्ता लोग हक् के पास सहायतार्थ गए तो उन्होंने मदरसे के लिए अपना गांव बाला परदान में दे दिया तथा घर का स्वामित्व एक तिदित दस्तावेज द्वारा दृस्टियों को हस्तान्तरित कर दिया।¹ मृत्यु के ठीक तीन महीने पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण सामाजिक गुधार के पश्च में, जिसका उन्होंने अपने आरभिक बयों में जोरदार समर्थन किया था, अपनी शक्तिशाली लेखनी उठाई। 5 अक्टूबर, 1929 के उपर्युक्त पत्र से प्रकट होता है कि जै गारदा विवाह अधिनियम के समर्थन में एक सेय 'बम्बई शानिकल' के लिए लिख रहे थे। हक् ने अपने भित्र को बताया कि मौलिकियों ने इस आधार पर अधिनियम के खिलाफ शोर भचाया कि वह शरियत के खिलाफ है। परन्तु उन्हें इस बात से आश्चर्य था कि मौलिकी लोग उस समय चूप करों रहे जब ब्रिटिश सरकार ने अपराधों के लिए बुछ प्रबार के दंडों (जैसे चोरी के लिए हाथ बाट देना, मिलावट के लिए पत्यर मार कर मार देना आदि) को, जो शरियत द्वारा अनुमेय है, समाप्त किया था। 1929 के अन्त में हक् ने अपनो पत्नी और छोटे पुत्र हुसैन मजहूल हक् के साथ दिल्ली जाने की योजना बनाई थी।² शायद वे हुसैन को जामिया मिलिया, दिल्ली, में भी भर्ती करना चाहते थे। इस से पहले जनवरी 1929 में, वे मौलाना आजाद का लिख, चुके थे कि वे इस सम्बन्ध में डा० जाकिर हुसैन से बात कर लें जो, उस समय झेंखुल जामेवा थे। मालूम होता है हुसैन मजहूल हक्, जामिया में भर्ती

1. इस सेवय में हक् द्वारा विवे गए पत्र और गुरुनानकज एवं की प्रतिलिपि डा० यूसुफ़ 'खुशेंदी' प्रदाना, 'उद्दै विमान', 'पट्टना' विशेषियालय के 'नास' हैं, जो एक दृस्तों के संबधि है।

2. 8 अगस्त, 1929 का उपर्युक्त पत्र, तथा पार्टी/पर्टीन पूर्वता, पृ० 77।

हो गया था परन्तु यह बात नहीं है कि हक भी उसके साथ दिल्ली गए थे।

अन्त कुछ अधिक तेजी से और अकस्मात आ गया। 27 दिसम्बर, 1929 को उन्हें पक्षाधात हुआ और चन्द दिनों की बीमारी के बाद 2 जनवरी, 1930 को उनका प्राणान्त हो गया। उन्हें बागियाना के अहाते में दफनाया गया। उनकी कब्र पर एक पटिया लगी है जिस पर पवित्र कुरान (अध्याय 39, आयत 73, अध्याय 89, आयत 27-8) से निर्मांकित उपर्युक्त उद्दरण उनके नाम तथा जन्म और मरण की तिथियों के साथ दिया गया है।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبِّعُمْ نَارٌ خَلُوْهَا خَلَدِيْنَ—يَا يَتَّهِمَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ

ارجى الى ربيه راضيته موضعية—

تاریخ ولادت ۱۳۸۲ شعبان ۱۲۸۲

شیخ مظہر الحسن

تاریخ وفات یکم شعبان ۱۳۸۸

ولد شیخ احمد الله

उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है: "करणानिधि, दयानु अल्लाह के नाम पर, तुम्हें शान्ति मिले। तुमने अच्छे काम किए हैं। तुम यहां (स्वर्ग में) प्रवेश करो और यहां रहो। हे आत्मा, तू (स्वर्ग) बुश होती है और उस (अल्लाह) को भी खुश करती है, (पूर्ण) शान्ति और सुन्नोप में अपेने मालिक के पास वापस आ जा।"

శ్రీ మజहబల హక్ బల్ద శ్రీ అహమధుల్లా

जन्मतिथि: शावान 14, 1282 ए० एच०

मरण तिथि: शावान 1, 1348 ए० एच०

महात्मा गांधी ने वेगम मजहबल हक को जो सादा-सा किन्तु कुद्दम सभीं शोक सन्देश भेजा; वह उनकी सति एवं शोक की सच्ची भावना को ही प्रकट नहीं करता, अपितु हक के जीवन और कार्य का यथोचित

एवं संक्षिप्त मूल्यांकन भी प्रस्तुत करता है। महात्मा गांधी ने लिखा, “मजहूल हक एक महान देशभक्त, एक अच्छे मूसलमान और एक दार्शनिक थे। वे आनन्द और विलास की वस्तुओं के शौकीन थे, परन्तु जब असहयोग आया, तो उन्होंने वे उसी तरह फैक दीं, जिस प्रकार हम खाल की अवाचित पपड़ी को उतार कर फैक देते हैं। वे फक्तीरी जीवन के भी उतने ही शौकीन हो गये, जितने राजसी जीवन के थे। हमारे अन्तः कलहों से दुखी होकर वे एकान्त में रहने लगे और ऐसी अनदेखी सेवायें करने लगे जिन्हें वे कर सकते थे तथा सब की भलाई के लिए प्रार्थना करने लगे। वे भाषण और कार्य दोनों में निर्मय थे। पटना के समीप सदाकत आश्रम उन्हीं के रचनात्मक श्रम का फल है। यद्यपि वे उतने दिन आश्रम में नहीं रहे, जितने दिन रहता चाहते थे, परन्तु उनकी आश्रम की कल्पना ने विद्यापीठ के लिए स्थायी स्थान पाना सम्भव बना दिया। अब भी यह दोनों सम्प्रदायों को एक दूसरे से जोड़ने में सीमेंट का काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का विद्योग हर समय खलेगा और देश के इतिहास को इस घड़ी में तो और भी अधिक खलेगा।”

5 जनवरी, 1930 के ‘सचंलाइट’ ने एक लम्बा निधन-समाचार छापा, जिसमें दिवंगत नेता की जीवन-वृत्ति एवं सेवाओं का वर्णन किया गया। समाचार में कहा गया : “मिं हक वस्तुतः सार्वजनिक जीवन से अलग हो गये थे और निम्नकोटि के लोग जिस प्रसिद्धि के लिये सदा लालादित रहते हैं, उससे वे बचते थे। वे निवृति का जीवन विता रहे थे, परन्तु इस एकान्तवास में भी वे सदा प्रेरणा और प्रकाश के स्तोत बने रहे। … उनका ग्राम निवास ‘आशियाना’… जहाँ वे रहते थे, अनेक राजनीतिक एवं अध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए वस्तुतः तीर्थ स्थान बन गया था। … मिं हक अत्यन्त नीतिवान थे और उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। अपने चरित्र को इसी विशेषता के कारण वे उस अवस्था में सक्रिय सार्वजनिक जीवन से विरत हो गये जब बहुत से लोग अपने यश के लिए लड़ते होते हैं तथा अपने नाम एवं प्रसिद्धि के लिए झगड़ते एवं संघर्ष करते हैं। … मिं हक ने वह चीज अपने

सम्प्रदाय को कभी नहीं दी, जो सम्पूर्ण देश के लिए वो तथा उनकी समस्त बुद्धि और समस्त शक्ति मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित थी। किरण भी अपने सम्प्रदाय और धर्म के लिए उनकी सेवायें कम महत्वपूर्ण न थी। ... मिं० हक राष्ट्रीय मुकिति संघर्ष प्रत्येक अवस्था में से गुजरे और व्याप्ति प्राप्त की। जब महान असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ तो उन्होंने यह ही न जाना कि लड़खड़ाना या विफ़ज़ होना किसे कहते हैं। ... उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने महात्मा गांधी के प्रसिद्ध सत्याग्रह आधर के नाम पर सदाकथ आश्रम रखा, जहाँ याद में, राष्ट्रीय महाविद्यालय और विहार विद्यापीठ जो आन्दोलन के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम को चलाने के लिए शुरू किये गये थे, स्थापित किये गये। ... आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला, जिसका नाम 'दी मदरलैड' था। ऐसा था वह व्यक्ति, जो अभी-अभी दिवंगत हुआ है...ऐसा व्यक्ति, जिसके स्थान की पूर्ति आसानी से न हो सकेगी।"

मूल्यांकन

उन्नीसवीं शताब्दी में वडे-वडे मुधार आन्दोलन हुए, जिन्होंने आधुनिक भारत के आविभाव के लिए मार्ग प्रशस्ति किया। भारतीय मुसलमान भी आधुनिकीकरण को इस प्रक्रिया से प्रभावित हुए। सैयद अहमद ने उन्हें परिवर्मी दिवारों और शिक्षा को आत्मसात करने तथा अंग्रेजी राज की वास्तविकता को स्वीकार करने के एक नये और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलने को कहा।

यद्यपि विहार में वहावी आन्दोलन अब भी तेजी पर था, फिर भी वहां सर सैयद के आन्दोलन का प्रभाव पढ़े बिना न रहा। जिस समय सर सैयद ने वैज्ञानिक समाज (साइटिफिक सोसायटी) की स्थापना की, लगभग उसी समय एक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मुसलमान इमदाद अली ने विहार में वैसी ही संस्था बनायी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1880 के दशक में स्थानीय मुसलमान शिल्टवर्ग ने, जिसमें शादी-पुर पटना शहर, के वहावी परिवार के भी कुछ लोग थे, अलीगढ़ काल-जियेट स्कूल के सिद्धान्त पर, स्कूल स्थापित करने में सक्रिय रुचि ली। मजहूल का जीवन और कार्य विहार के मुसलमानों में इस नये, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग के उदय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मजहूल हक के सावंजनिक और राजनीतिक क्रियाकलाप तीन विभिन्न स्तरों पर हुए—स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय। इसके अलावा एक छोटा सा सर्व-इस्लामवादी कार्यक्रम भी था। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद, हक, कुछ व्यक्तिगत कारणों से छपरा में रहने लगे। उनका सावंजनिक जीवन, 1903 में, उनके सारन म्युनिसिपेलिटी के उपाध्यक्ष चुने जाने के साथ शुरू हुआ। इस रूप में उनके द्वारा किये गये कार्यों

के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। परन्तु सावंजनिक कार्यों में पदाधिक उन्होंने सारन म्युनिसिपेलिटी में ही किया तथा बाद में, जब वे व्यापक राजनीति कियाकलाप से निवृत्त हुए, तब भी वे इसी स्थाने में अध्यक्ष बन कर लौट आये। दशक के समाप्त होते-होते, हक छपर से पटना चले गये और इसके साथ ही उनकी गतिविधिया बड़े बार प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गयी।

विहार को पृथक प्रान्त बनाने के लिए राजनीतिक आन्दोलन जोर पकड़ रहा था और हक ने विहार प्रान्तीय सम्मेलन में, जिसने आन्दोलन को गति प्रदान की, महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। अपने प्रमुख समकालीनों अलो इमाम और हसन इमाम के साथ एक संयुक्त हिन्दू-मुस्लिम राजनीतिक मोर्चा बनाने के लिए हक ने सहन परिषद किया और विहार के बोज भी भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग में बोये जा रहे थे तथा सरकार ने पृथक निर्वाचन का विवादास्पद सिद्धान्त प्रस्तुत बर दिया था। हक इस पटना को सम्पूर्ण देश के लिए ही नहीं, स्वयं मुसलमानों के लिए भी खतरनाक समझते थे। उन्होंने तगड़े विरोध के बाबजूद इसका साहस के साथ मुकाबला किया। वे पूरी तरह सफल तो नहीं हुए, परन्तु इस सकट को घड़ों में, समान राजनीतिक और आधिक हितों के आधार पर, हिन्दुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया उसके महत्व कम नहीं है। उनके काम के इस पहलू पर अभी तक समूचित ध्यान नहीं दिया गया और न सराहना की गयी। परन्तु उनके कुछ समकालीनों ने इसके महत्व को समझा। एक गुमनाम 'बंगाली' ने 24 अगस्त, 1922, के 'इंगलिशमैन' में लिखा कि हक "भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में 1909 या 1910 तब चमके, जब मुस्लिम लीग" वायिक अधिवेशन के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने अपने सहधर्मियों के लिए एक नयी नीति निर्धारित की तथा उनसे पृथक और साम्प्रदायिक राजनीति के सभी दुराग्रहों को । यह गती मानून पढ़ती है। मुस्लिम हक ने मुस्लिम लीग के वायिक अधिवेशन की अध्यक्षता 1915 में की थी।

निश्चित रूप से त्यागने का आग्रह किया। '...' वास्तव में वह नये हिन्दू-मुस्लिम मैत्रीभाव की शुभआत थी। यह वहे महत्व की वात है कि मिं० मजहूरन हक ने एकमात्र और नितान्त रूप से इन दोनों महान राजनीतिक समुदायों के राजनीतिक और आधिक हितों की समानता के आधार पर एकता का यह महत खड़ा करने की कोशिश की।" यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक हक आदर्श रूप से उदार और नरम विचार वाले राजनीतिक नेता थे। अधिनंदय कांग्रेसियों की भाँति उनका भी राजनीतिक सक्ष्य ग्रिटिंग शासन की समाप्ति न होगा, उत्तरदायित्व पूर्ण स्वशासन की प्राप्ति था।

ज्यों ही मूरोप के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय धितिज मलिन हुआ और तुर्की के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों की आक्रमक चालें बढ़ी, हक की गतिविधियों ने नया मोड़ ले लिया। राजनीतिक चेतना वाले अधिसर्व युस्लमानों की भाँति हक को भी तुर्की को चिन्ता सताने लगी। भौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ उनके सम्पर्क ने उनको चिन्ता को उत्कृष्ट भावना में बदल दिया और उन्होंने तुर्की के लिए समर्थन जुटाने तथा धन इकट्ठा करने के लिए विहार और बंगल भर में विस्तृत दौरे किये। कानपुर मस्जिद केस (1913), वैरिस्टर के रूप में उन्हें ध्यावसायिक ध्याति और राजनीतिक महत्व प्रदान करने के साथ ही, भारतीय युस्लमानों में से कुछ प्रमुख सर्व-इस्लामवादियों के सम्पर्क में भी से आया। प्रथम विश्व-युद्ध से ठीक पहले उनकी तुर्की-यात्रा तथा प्रमुख तुर्क नेताओं के साथ उनकी वार्ता आमतौर से अज्ञात ही रही है, परन्तु यह उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है और उनके जीवन की संक्षिप्त किन्तु महत्व-पूर्ण सर्व-इस्लामवादी अन्तः कथा है। कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों एवं तुर्क नेताओं के मध्य सहयोग के लिए आरम्भिक किन्तु विफलित प्रयत्नों में उन्होंने प्रमुख भाग लिया, यह सहयोग प्रसिद्ध खिलाफत आन्दोलन का पूर्वरूप था।

खिलाफत और असहयोग आन्दोलन का समय हक के जीवन का सर्वोत्तम समय है। तुर्की के समर्थन में वे कुछ समय पहले से ही काम कर रहे थे। अब इसमें असहयोग के लिए महात्मा गांधी का नवोत्त किन्तु

हनवन नवाने वाला आहूदान और जुड़ या और उसो हक की दृततरी को निरादित कर दिया। यह निरा एक दूसरा राजनीतिक भान्डोलन न था; इनमें नीति और स्वाग की प्रबल अन्तर्भूतिवाँ थी, जो हक के मन को भूति आकर्षित करती थी। उन्होंने इस आहूदान का, केवल राजनीतिक, बाह्य स्तर पर ही नहीं, अपितु आन्तरिक, आज्ञातिक स्तर पर भी अनुसरण किया। उनमें जो यह उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, उस पर अनेक समकालीन व्यक्तियों और समाजार पत्रों ने ध्वनियाँ लीं। उपर्युक्त 'बंगाली' ने लिखा: "मैंने मिठा मजहबत हरु को भ्रस्त्योग से पहले भी देखा था और जाना था। ये बांकीपुर में भ्रस्त्या टिप्पाप फुरोसीब ढंग से रहते थे, जो उनकी भ्रपेजी शिखा-दीशा और उस समस्या बांकीपुर विधिशब्दों के नेता के रूप में उनके स्थान के मनूरूप ही था। उनमें मुस्लिम अभिजात वर्ग की नजाकतों और उच्च वर्ग के भ्रपेजों की विलासमयी भाष्टों का स्थित्य था। . . . मैंने उन्हें परिवर्तन के बाद भी देखा। . . . महात्मा गांधी ऐ कुछ अन्य प्रगृह्य राज्यपत्रों की भाँति, भजहरू हक ने भी अपना अवसाय छोड़ दिया, परन्तु उनके मामले में यह परिवर्तन वास्तव में और घटारणा राजसी जीवन को घर्मात्मा फकीर के जीवन में बदलना था। 'ईंडियंडेट' ने लिखा कि गजहरू हक कांग्रेस के विशेष अधिकेशन के बाद कलकत्ता से लौटे, आपनी अच्छी खासी प्रेक्टिस छोड़ी, पहनाये में परिवर्तन लिया, दाढ़ी यादा सो, और 'गंगा तट पर तपोवन' में जले गए, जिसे राजाकात आधिग कहते थे। तब से वे फकीर बने हुए हैं। एक दूरारे रामायार पत्र 'बी सर्केट' ने लिखा कि जब देश में भ्रस्त्योग का यिगुल यजा तो उन्होंने (हक ने) जो विलासिता में पले थे और जिन्हें लकड़ी का वरदान था, एक राज्य फकीर का जीवन अपना लिया।"

साप ही, भ्रस्त्योग भान्डोलन की रापताना थी, हर भी कानो राकियोग दिया। उन्होंने भ्रस्त्या ध्यान तीन मुद्दों तथ्यों पर व्यक्तित किया राष्ट्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का गठन, राष्ट्रप्रदायिक गोदारे बढ़ाना तथा सरकारी रास्तायों और विदेशी यातुघों का परिवर्तन। प्रभग सद्य के सम्बन्ध में उनकी गतिविधियाँ—राजाकात गायग की लगाना

और विहार विद्यापीठ का कार्यचालन, भले ही वह अधिक दिन नहीं जला, ध्यान देने योग्य हैं। वे उनकी संगठन-पटुता के भी परिचायक हैं।

साम्राज्यादिक ऐवं संवर्धन हक् का दूसरा बड़ा योगदान था। उन्होंने आरम्भिक अवस्था में ही इस तथ्य के विशिष्ट महत्व को समझ लिया और इस विषय पर अपने विचार अपने 1911 के अध्यक्षीय भाषण में बड़ी स्पष्टता से प्रबन्ध किये थे। उनके लिए यह विल्कुल स्पष्ट था कि “इस समस्या का समाधान ही भारत को मुक्ति सिद्ध होगा।” उनके दिमाग में एक आदर्श और एक उद्देश्य को लेकर, ... शांति-पूर्ण प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, साढे इकतीस करोड़ मानव प्राणियों की तस्वीर थी। वे यह भी देखते थे कि इस तस्वीर का उल्टा पहलू ‘जिसमें 7 करोड़ लोग मुक्त रूप समूह से अलग होकर विपरीत दिशा में चलने लगें, इतना भयावह होगा कि सोचा भी नहीं जा सकता।’ यह आशंका सत्य सिद्ध हुई, जिससे उन्हें चिरस्थायी पश्चाताप हुआ और भ्राति भी दूर हो गयी। महात्मा गांधी की तरह हक् भी इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे; इतना अवश्य है कि इसके लिए उन्हें उतना मूल्य नहीं चकाना पड़ा जितना गांधीजी ने चुकाया था।

सरकारी संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हक् के लिए काम का केवल नाकारात्मक कार्यक्रम न था। भ्रातृह्योग का महान नैतिक मूल्य इस बात में था कि इसने करोड़ों साधारण व्यक्तियों के हृदयों में आत्म-त्याग की भावना पैदा कर दी थी। इसने उनमें आत्म-विश्वास का भाव भी जगाया था और विदेशी शासकों वा ‘अनिष्टवारी भय’ भगाया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आन्दोलन से प्रभावित होकर लोग उस ‘झूठी धर्मकारी विलासिता’ का मोह त्यागते लगे, जो ‘हमारी सास्कृतिक विजय का सबसे बड़ा प्रतीक’ थी। अन्त में इसी से देश आत्म-निर्भर हो सकता था और यही ‘स्वराज्य’ का असली अर्थ था।

इस अधिक में हक् की गतिविधियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, उनका पतकारिता के ध्येय में प्रवेश। एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय समचार-पत्र की अनिवार्य आवश्यकता समझ कर, हक् ने ‘दी मदरलैंड’ की स्थापना

की और उसे चलाया और इस प्रकार यथाशक्ति अपनी अंशदान किया। 'दी मदरलैंड' शीघ्र ही असहयोग आन्दोलन का प्रमुखपत्र बन गया। उसका जीवन तो छोटा ही रहा, किन्तु उसने निर्भीक और विवेकपूर्ण पत्रकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके अनेक समकालीनों ने, 1910 के प्रेस अधिनियम के अधीन इस पत्र पर सरकार के प्रथम आक्रमण के समय, भूरि-भूरि प्रशंसा की। निःसंदेह पत्र एक साधन था, परन्तु सच्चे गांधीवादी की भाँति हक इस बात में बड़े सावधान थे कि साध्य की पवित्रता के अनूरूप ही साधन की पवित्रता भी होनी चाहिए।

राजनीतिज्ञ के रूप में हक की एक और विशेषता यह थी कि वे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का ज्ञान रखते थे और उनमें गहरी रुचि लेते थे। 'दी मदरलैंड' के पृष्ठ इसके साक्षी हैं। विशेष रूप से, इंग्लैंड और उसके भू०पू० उपनिवेश अमरीका के मध्य मधुर सम्बन्धों पर उनकी पैनी दृष्टि और इंग्लैंड-तथा स्वतन्त्र भारत के मध्य वैसे ही सम्बन्धों की उनकी कल्पना यह बताती है कि व्यापक ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की उन्हें कितनी जानकारी थी। दक्षिण अफ्रीका की भेदभावपूर्ण नीतियों के शिकार भारतीयों के साथ उनकी सहानुभूति—जो उन्होंने 1911 में प्रकट की थी तथा आयरलैंड के स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनकी दिलचस्पी और उसकी प्रशंसा भी, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति उनकी असाधारण सजगता को प्रकट करती है।

इसके साथ ही, समर्पित और अनुशासित कांग्रेसी होते हुए भी हक एक प्रबल, स्वतन्त्र व्यक्तिगत विचार रखते थे। कांग्रेस के कार्यक्रम के साथ वस्तुतः उनका पूर्ण तादात्मय था; फिर भी उन्होंने संगठन से वैमत्य का तथा यदि "हमारी अन्तरात्मा जनता और देश की भलाई के लिए नितान्त आवश्यक समझे" तो उसकी आलोचना का अपना अधिकार सुरक्षित रखा। यह भारक्षण खाली नाममात्र का भारक्षण न था; असहयोग आन्दोलन के दौरान हक ने निर्भय होकर इस अधिकार का प्रयोग किया।

हक की राजनीतिक गतिविधियों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनकी नीतिकता और विरक्तिप्रवणता थी। उनमें नीतिक मूल्यों की गहरी पैठ

यी, जिसे वह सदा प्रकट भी करते थे। राजनीति उनके लिए शक्ति संचय का नहीं अपितु आत्मशुद्धि के लिए सेवा का एक साधन थी। असहयोग, जो उनकी राजनीतिक गतिविधियों में सर्वोपरि था, एक मात्र राजनीतिक आनंदोलन ही न था, उनके लिए वह “मानव जाति की नैतिक बुराइयों का इलाज था।” इसी प्रकार उन्होंने धोषणा की थी कि ‘दी मदरलैंड’ का सन्देश राजनीतिक के बजाय धार्मिक और नैतिक धर्मिक होगा। परन्तु उनकी धार्मिकता का अर्थ केवल अपने धर्म का रूढ़िवादी आदर नहीं, अपितु व्यापक नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण का भाव था। इस सम्बन्ध में वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे। बस्तुतः महात्मा गांधी की छाप उन पर इतनी जबरदस्त थी कि उसी वे कारण उन्हें ‘फकीर’ की लोकप्रिय और स्नेहपूर्ण उपाधि मिली, जो विलक्ष्ण मौजूद थी। गांधीजी ने एक बार कहा था कि भारत के उन्नयन के लिए काम करने के बास्ते ‘फकीरों’ और संन्यासियों की आवश्यकता है, और यह विचार हक को बहुत पसन्द आया था। राजनीति में ‘वैराग्य’ के रोचक किन्तु प्रत्यक्षतः विरोधी मिथ्यण का विदेशन करते हुए हक ने एक बार लिखा: “वैराग्य का अर्थ है अन्य सभी लक्षणों को छोड़ कर केवल एक लक्षण से बंधना, राजनीति में वैराग्य का अर्थ होगा संसार की सभी वस्तुओं को छोड़ कर केवल अपने देश के हित साधन में लगना।”¹ महात्मा गांधी का भी यही अभिप्राय था। हक ने बताया कि राजनीति में फकीर और संन्यासी वे महान आत्मा वाले ध्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया है। जीवन में उनका एक मात्र उद्देश्य है सम्यता की तुलना में अपनी मातृभूमि को ऊंचा उठाना, उसे विदेशी अतिक्रमण से मुक्त कराना, उसकी खोयी हुई स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करना तथा पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों से उसका आदर कराना। भारत को पवित्र वेदी पर वे सब कुछ न्योडावर करने, सब कुछ चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। . . . वे मातृभूमि के चुनीदा हैं वे देश के चुनीदा हैं।”² हक स्वयं इस चुनीदा श्रेणी के थे और वे बखूबी ‘विहार के गांधी’ माने जा सकते हैं।

1. “दी मदरलैंड”, 9 जून, 1922

2. वही

घडनामों का कालक्रम

२२ दिसंबर	1866	बहुत वित्त रखा है यह।
	1886	मैट्रिक्युलेशन प्रोग्राम उद्दीप्त।
	1886-87	एड्ना कलेज और ईंट्रेंस कलेज, लखनऊ में स्थापना
मई	1888	बहाब द्वारा इवेंड के लिए रास्थान (किंवर में सहेजे होर रानूर को पवार्ड गुरु की)।
	1891	वैरिस्टर बने, पर सोटे।
	1892	पहला विवाह।
	1892	संयुक्त प्रान्त में सारिक सेवा में शिरुत।
अप्रैल	1896	सरकारी सेवा छोड़ी।
	1897	छपरा विधिवाची में शामिल। जिले में भारत के समन सहायता बांध रख संगठन दिया।
	1903-6	छपरा न्यूनिलिपेशियो के उपाधि निवापित।
	1906	दूसरा विवाह (पहली पत्नी का दैहात 1902 में हुआ)।
दिसंबर	1906	बाजा में प्रभुता गुरुतम नेताओं को बैठक में शामिल, जिसके बाद गुरुतम लीग बनी। उन्होंने विहार में भी

लीग बनायी और उसके प्रान्तीय सचिव बने।

1908 पटना चले गये।

1908 विहार प्रान्तीय सम्मेलन के महासचिव।

1909 विहार प्रान्तीय सम्मेलन उपाध्यक्ष।

16 दिसंबर 1909 इस्पीरियल विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित।

नवम्बर 1911 विहार प्रान्तीय सम्मेलन के अध्यक्ष।

दिसंबर 1912 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष।

1913 कानपुर मस्जिद केस में वचाव पक्ष के वकील के रूप में काम किया।

18 अप्रैल 1914 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जहाज द्वारा इंग्लैड के लिए प्रस्थान।

जून 1914 इंग्लैड से वापसी में कुस्तूनतुनिया पढ़ने।

27 जून 1914 तुर्की के सुल्तान से भेट (अन्य प्रमुख तुर्क नेताओं से भी मिले)।

1915 बम्बई में मुस्लिम लीग अधिवेशन के लिए अध्यक्ष निर्वाचित।

16 दिसंबर 1916 होमफ्ल लीग की विहार प्रान्तीय शाखा के अध्यक्ष निर्वाचित।

नवम्बर 1917 भारत भंगी एडविन एस० माटेन्स से मिले।

	1917	तीसरा विवाह (दूसरी पत्नी के देहान्त 1912 में हुआ)।
	1919	असहयोग आन्दोलन में शामिल (बिलाक्षण आन्दोलन के लिए पहले ही उत्साह से काम कर रहे थे)।
नवम्बर-दिसम्बर	1920	सदाकत आश्रम की स्थापना, जिसमें कुछ समय तक विहार विद्यापीठ रहा। उसके बाद से यह विहार प्राचीन काग्रेस समिति का मुख्यालय रहा है।
	1921	विहार विद्यापीठ के कुलपति नियुक्त।
सितम्बर	1921	अग्रेजी साप्ताहिक 'दी मदरलैंड' की स्थापना (एक छापाखाना भी स्थापित किया)।
26 जुलाई	1922	'दी मदरलैंड' में प्रकाशित कुछ लेखों के लिए गिरफ्तार।
दिसम्बर	1922	सक्रिय राजनीति से (अलग 'दी मदर- लैंड' के प्रबन्ध एवं सम्पादकत्व से भी हटे)।
	1923-26	सारन जिला बोर्ड के अध्यक्ष।
2 जनवरी	1930	फरीदपुर, जिला सारन में अपने गाँव के घर पर देहान्त।

